खण्ड-413, अंक-3
मंगलवार, 1 भाद्र, शक संवत् 1916
(23 अगस्त, 1994 ई0)

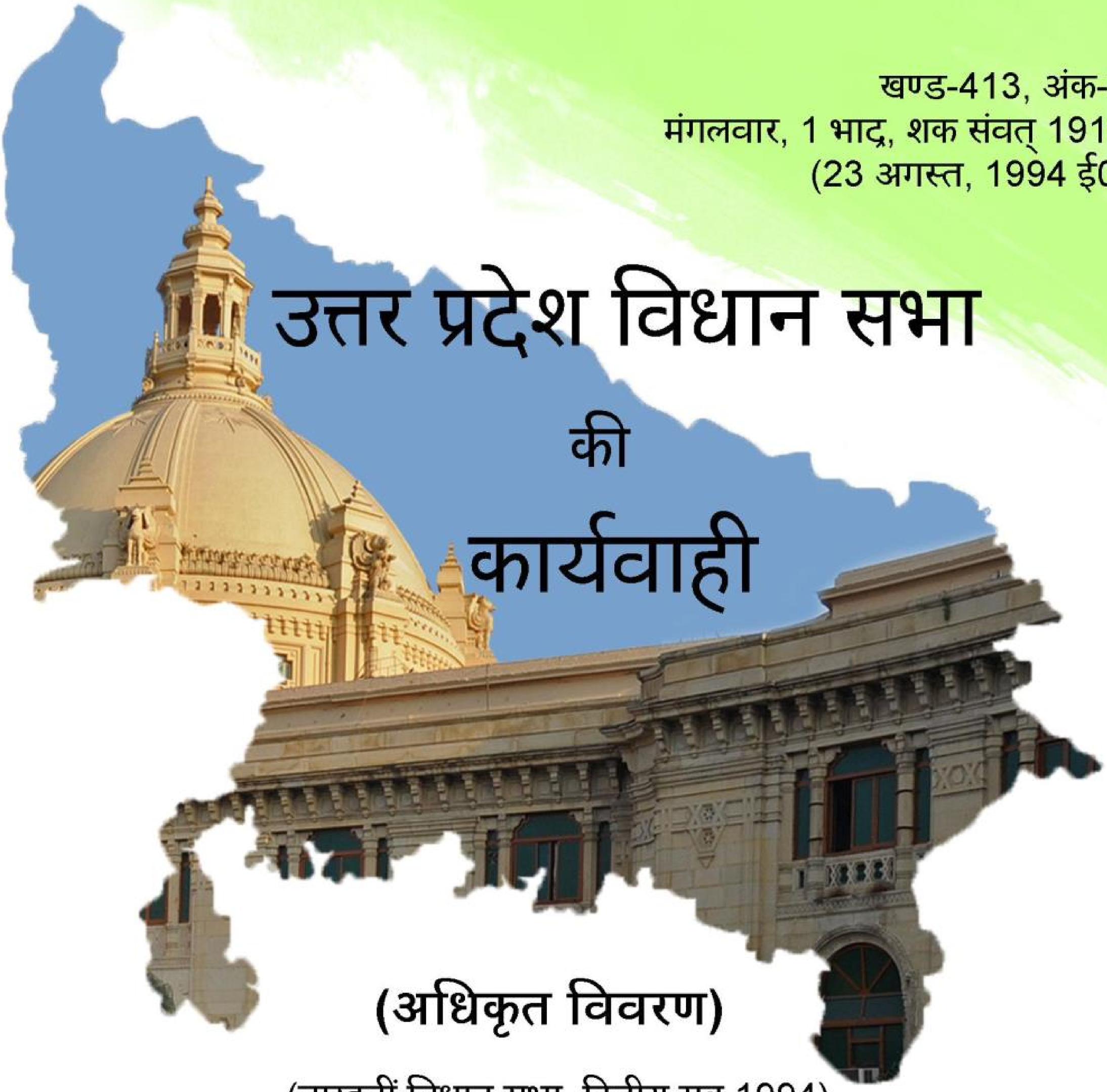

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1994)

खण्ड 413 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–77
उत्तरांचल में सरकार की आरक्षण नीति को लेकर हो रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा	77–136
नियम 301 की सूचनाएं	136
बांदा जिले की कर्वी तहसील के ठप्प डाल सिंचाई प्रखण्ड के पम्प हाउसों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	136-137
देवरिया जनपद के राजकीय नलकूपों की मरम्मत विस्तार एवं आपरेटर की उपलब्धता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137
बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों में संक्रामक रोगों की महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	137
भदोही विकास खण्ड के उमापुर तथा बभनौरी से गिरिया भाला भभहर होते हुए दुरासी डोमैला तक पक्की सड़क बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद आगरा के गांव अजीता के सदियों पुराने रास्ते पर जेल अधिकारियों द्वारा किये गये अवरोध को शीघ्र हटवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138
हरदोई जनपद के हरपालपुर से लखनऊ वाया बिलग्राम सांडी माधोगंज गौसगंज सण्डीला होकर रोडवेज बस चलवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138-139
परियोजना अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की चयन सूची में किये गये कथित घपले की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	139
वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 मई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां ..... (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	139-140
वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 27 मई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां ..... (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	140
वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 जून, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां ..... (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	140
वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 19 जुलाई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां ..... (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	140-141

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 .....(सदन के पटल पर रखी गयीं)	141
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994.....(सदन के पटल पर रखी गयीं)	141
उत्तर प्रदेश सुख साधन कर नियमावली, 1994 ..... (सदन के पटल पर रखी गयीं)	141
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	141-142
उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित किया गया)	143
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994† (पुरःस्थापित किया गया) ...	143
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994† (पुरःस्थापित किया गया)	143-144
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	144–147
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	147–149
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	149–151
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	151–155
वित्तीय वर्ष 1994-95 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण	155
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	156-157
नत्थियां	158–164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा	राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
इरशाद, श्री	आजमगढ़	राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
चन्द्र शेखर, श्री	गाजीपुर	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
जगदम्बा, श्री	बस्ती	लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर	विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
दीनानाथ भाष्कर, श्री	वाराणसी	विश्वम्भर सिंह, श्री	मथुरा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर	हृदय नारायण , श्री	उन्नाव
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण दिये जाने की मांग

**1–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्थिक आधार पर विपन्न-कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ? क्या इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को कोई पत्र भी लिखा था ? भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां ।

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है ।

शासकीय सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों पर लगी पाबन्दी हटाने की मांग

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासकीय सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों पर लगी पाबन्दी को हटा लिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदर्थ व्यवस्था स्वच्छ कार्मिक नीति के अनुकूल न होने के कारण ।

टिप्पणी :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विषाक्त पदार्थ खिलाकर रेल यात्रियों को प्रदेश के सीमान्तर्गत लूटे जाने की घटनाओं का विवरण तथा उसके रोकथाम करने की कार्यवाही

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विषाक्त पदार्थ खिलाकर रेल यात्रियों को प्रदेश सीमान्तर्गत लूटे जाने व अन्य प्रकार से उनके सामान चोरी हो जाने की वर्ष 91-92 तथा 92-93 नवम्बर माह तक कुल कितनी प्राथमिकी दर्ज करायी गयीं ? क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में दर्ज कराई गई घटनाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	लूट	जहर खुरानी	अन्य प्रकार से चोरी
91-92	—	166	4546
92-93	—	216	4554
93 (1-4-93 से 30-11-93 तक)	—	119	2669

ट्रेनों में ऐसी घटनाओं की रोक थाम हेतु प्रचुर प्रयास किये गये हैं उपलब्ध साधनों के माध्यम से ट्रेनों पर अपराध नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(1) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ध्वनि विस्तारण यंत्रों द्वारा रेल यात्रियों को आगाह किया जाता है कि वे किसी अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की चीजें न लें । इस सलाह का मंतव्य यह है कि रेल यात्री जहर खिलाकर अपराध करने वाले अपराधियों से अपने को बचायें ।

(2) जी० आर० पी० उत्तर प्रदेश के कार्य क्षेत्र से गुजरने वाली 268 महत्वपूर्ण ट्रेनों में चलित पुलिस चौकी की स्थापना की गयी है । जिसमें यात्रियों को रिपोर्ट लिखाने हेतु सुविधा उपलब्ध है ।

(3) उत्तर प्रदेश की समस्त यात्री गाड़ियों में रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु एस्कोर्ट व्यवस्था लागू की गयी है । इस व्यवस्था से यात्री गाड़ियों को एस्कोर्ट किया जाता है ।

(4) जहर खुरानी एक गम्भीर अपराध है । जहर खुरानी के अपराधों की विवेचना का पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

(5) समय-समय पर अपराध गोष्ठियों में पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें।

[मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री ऊदल–

[3रे मंगल के लिये स्थगित]

जे० के० जूट मिल, कानपुर को पुनः चालू कराने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास

*2–श्री आर० डी० पाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे० के० जूट मिल, कानपुर को पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जे० के० जूट मिल, कानपुर कब तक चालू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकार द्वारा मेसर्स जे० के० जूट मिल कं० लि०, कालपी रोड, कानपुर को पुनः चालू कराने के लिये, समय-समय पर बैठकें आयोजित की गयी तथा दिनांक 12-5-94 को प्रमुख सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पिकप द्वारा एक पुनर्वास पैकेज तैयार कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिल मालिकों द्वारा चलाया जाना है एतदर्थ सरकार द्वारा प्रयास जारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के अंक प्रमाण-पत्र देने की योजना की जानकारी

*3–श्री राम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग में जो परीक्षार्थी लिखित परीक्षा के लिये शामिल होते हैं, क्या उनको अंक प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह उ० प्र० में भी अंक प्रमाण-पत्र देने की योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जी हां।

अंक पत्र अभ्यर्थियों को भेजे जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया जा चुका है और शीघ्र ही अभ्यर्थियों को अंक पत्र भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है।

*4–श्री रमेश कान्त लवानियां–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

*5–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[व्यापक एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[6ठें गुरु में ता० प्र० सं० 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*7–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[3रे बुध में ता० प्र० सं० 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*8–श्री बालेश्वर त्यागी–

[2रे गुरु में ता० प्र० सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

59वीं अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा दिसम्बर, 1993 का परिणाम काफी विलम्ब से प्रकाशित किये जाने की शिकायत

*9–डा० रामबाबू हरित–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि 59वीं (अखिल भारतीय) व्यवसायिक परीक्षा, 1993 आई० टी० आई० अप्रेन्टिस का परीक्षा परिणाम क्यों घोषित नहीं किया गया जबकि 60वीं अ० भा० शिशिक्षु परीक्षा 25 अप्रैल, 1994 को होने जा रही है ? सरकार एक वर्ष खराब होने वाले छात्रों के लिये क्या करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

59वीं अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा दिसम्बर, 1993 का परीक्षा परिणाम 60वीं अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही घोषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला सीतापुर के थाना लहरपुर द्वारा की गयी पेड़ों की अवैध कटान के संबंध में शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

*10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना लहरपुर, जिला सीतापुर की पुलिस द्वारा अवैध रूप से नवम्बर, दिसम्बर, 1993 की अवधि में लगभग 3,000 हरे पेड़ बिना परमिट के कटवाने संबंधी कोई शिकायती पत्र एस० पी० सीतापुर को 6 जनवरी, 1994 को अथवा उसके आस-पास जो कि श्री सुरेन्द्र नाथ पुरी, पत्रकार निवासी लहरपुर, जिला सीतापुर द्वारा प्रेषित है, मिला है जिसकी प्रतियां डी० आई० जी०, लखनऊ, आई० जी० जोन, लखनऊ को तथा डी० जी० पी०, उ० प्र० को प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? उक्त शिकायती पत्र की जांच किसने की ? उक्त जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को सम्बोधित श्री सुरेन्द्र नाथ पुरी, निवासी लहरपुर, जनपद सीतापुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 6-1-94 प्राप्त हुआ, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी, सदर द्वारा की गयी । जांच के दौरान प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये । प्रार्थना-पत्र विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना संभव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सृजित पदों पर पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

*11–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कुल कितने पद सृजित हैं ? उनमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भारी उद्योग विभाग के अधीन कुल 6238 पद सृजित हैं, जिसमें से 1452 पद रिक्त हैं । शेष पदों पर सामान्य वर्ग के 2585, पिछड़े वर्ग के 1247 तथा अनुसूचित जाति के 953 व्यक्ति हैं ।

समूह "क", "ख", "ग" में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का कोटा पूरा नहीं है । समूह "घ" में पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है किन्तु अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गैट समझौते के अन्तर्गत भारी उद्योग विभाग में विदेशी निवेश लगाने हेतु किसी आवेदन पत्र का न प्राप्त होना

*12–श्री सतीश भाटिया–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गैट समझौते के अन्तर्गत प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग, विदेशी निवेश से लगने हेतु आवेदन-पत्र शासन के पास विचारार्थ आये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गैट समझौते के अन्तर्गत भारी उद्योग विभाग में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

के० पी० सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, लखनऊ को कुछ लोगों द्वारा घर में घुस कर मारने तथा घसीटते हुए ले जाने की शिकायत तथा उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

*13–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनायें बढ़ गयी हैं ? यदि हां, तो क्या के० पी० सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, लखनऊ को 11-8-93 को कुछ लोग कार्यालय से गले में मफलर से बांध कर घसीटते हुए इस्लामिक अदालत में ले

गये तथा मारा पीटा ? यदि हां, तो इसकी एफ० आई० आर० ठाकुरगंज थाने में लिखी गयी ? क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्री के० पी० सिंह यादव, सहायक अभियन्ता जोन-2जल संस्थान, लखनऊ ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 11-8-93 को 10.45 बजे के लगभग 40–50 लोग उनके घर में घुस आये, लात घूसों से मारा, टेलीफोन तोड़ दिया, गऊघाट पम्पिंग स्टेशन पर भी तोड़-फोड़ की, सप्लाई बन्द करा दी तथा उन्हें घसीटते हुए ले गये । इन लोगों ने उनके बच्चों एवं पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। वादी की इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु० अ० सं० 189/93 धारा 452/323/147/504/506/332/342/427 भां० दं० वि० व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट दिनांक 11-8-93 को रफ्फन आसिफ, अतीक, शकील, मुन्ना एवं बाबू भैया के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

इस अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त रफ्फन, सै० कासिम रजा, अयूब, आरिफ, मो० शकील, मुन्ना पुत्र अलीबख्श को दिनांक 11-8-93 को ही गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त चकोर ने दिनांक 12-9-93 को, अभियुक्त गुड्डू ने दिनांक 9-9-93 को अभियुक्त बाबू भैया ने दिनांक 16-8-93 तथा अभियुक्त आसिफ, अतीक, शकील, मुन्ना पुत्र मो० नवाब ने दिनांक 25-8-93 को न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया ।

उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर आरोप सं०–120 दिनांक 4-9-93 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

*14–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

[6ठें बुध में ता० प्र० सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर में चालू वित्तीय वर्ष में हुई दुर्घटनाओं में मारे गये श्रमिकों के परिवार वालों को मुआवजा दिये जाने की मांग

*15–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी दुर्घटनायें हुईं ? उनमें कितने श्रमिक मारे गये तथा कितने घायल हुए ? इन दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या श्रमिकों तथा उनके परिवार को मिल की ओर से मुआवजा दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में वर्तमान तक एक संघातक दुर्घटना एवं 33 असंघातक दुर्घटनाएं हुईं ।

एक संघातक दुर्घटना के फलस्वरूप एक श्रमिक की मृत्यु हुई तथा 33 असंघातक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप 33 कर्मकारों को साधारण चोटें आयीं ।

एक संघातक दुर्घटना, जिसमें एक श्रमिक की मृत्यु हुई, कारखाना अधिनियम के सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुपालन न होने के कारण घटित हुई थी । जिसके लिये कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत सी० जे०

एम० सहारनपुर के न्यायालय में संबंधित कारखाने के अधिष्ठाता एवं प्रबन्धक के विरुद्ध अभियोग दायर कर दिया गया है ।

जी नहीं । क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन आवर्त है । अतएव नियमानुसार मुआवजा आदि देने का दायित्व कर्मचारी राज्य बीमा निगम का है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किये गये उत्पीड़न में उत्पीड़कों के जाति की जानकारी

1–श्री धनराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-1-94 से 15-2-94 के बीच प्रदेश के किन-किन जनपदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने उत्पीड़न की घटनाएं पंजीकृत हुई हैं ? उत्पीड़न की घटना में आरोपित किये गये लोगों में किस-किस जाति के कितने लोग सम्मिलित थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दि० 1-1-94 से दि० 15-2-94 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति पर गैर अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये अपराधों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :––

जनपद	अपराधों की संख्या	जनपद	अपराधों की संख्या
आगरा	24	कानपुर नगर	43
अलीगढ़	30	इटावा	45
एटा	34	फतेहगढ़	58
मैनपुरी	28	कानपुर देहात	65
मथुरा	20	खीरी	64
फिरोजाबाद	14	हरदोई	63
फैजाबाद	45	उन्नाव	92
गोण्डा	60	लखनऊ	99
बहराइच	29	देहरादून	5
सुल्तानपुर	54	पौड़ी गढ़वाल	1
बाराबंकी	36	चमोली	1
इलाहाबाद	119	उत्तरकाशी	1
फतेहपुर	35	बरेली	39
प्रतापगढ़	41	बदायूं	28

जनपद	अपराधों की संख्या	जनपद	अपराधों की संख्या
पीलीभीत	23	सीतापुर	58
शाहजहांपुर	27	रायबरेली	40
नैनीताल	10	वाराणसी	51
झांसी	36	जौनपुर	41
जालौन	47	बलिया	35
हमीरपुर	31	गाजीपुर	28
बांदा	58	मिर्जापुर	20
ललितपुर	14	सोनभद्र	11
गोरखपुर	41	मुरादाबाद	33
आजमगढ़	19	बिजनौर	22
हरिद्वार	9	रामपुर	10
बस्ती	34	मेरठ	22
देवरिया	34	गाजियाबाद	32
मऊ	19	बुलन्दशहर	35
सिद्धार्थनगर	26	सहारनपुर	19
महराजगंज	12	मुजफ्फरनगर	17

उपरोक्त अपराधों में सम्मिलित अभियुक्तों का जातिवार विवरण निम्नवत् है :--

ठाकुर–1034, ब्राह्मण–959, भूमिहार–39, जाट–156, अन्य सवर्ण–441, यादव–771, कुर्मी–420, अन्य पिछड़ी जाति–1125, मुसलमान–575।

श्री एन० पी० त्रिपाठी, उप निरीक्षक सिविल पुलिस द्वारा विभिन्न जनपदों में नियुक्ति के दौरान किये गये इन्काउन्टर में फर्जी हत्या के मामले तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन० पी० त्रिपाठी, उप निरीक्षक, सिविल पुलिस ने गोरखपुर परिक्षेत्र के किन-किन थानों पर नियुक्ति के दौरान कितने-कितने व्यक्तियों को इन्काउन्टर में जान से मार डाला है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनके विरुद्ध फर्जी इन्काउन्टर दर्शाने पर गाजीपुर जनपद के थाना–करीमुद्दीनपुर क्षेत्र के ग्राम प्रधानपुर में दिनांक 10/11 नवम्बर, 1993 को एक ही परिवार के चार लोगों की फर्जी इन्काउन्टर में हत्या की जांच सी० आई० डी० से कराई गई है ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या

है ? क्या उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोरखपुर परिक्षेत्र के जनपद आजमगढ़ के थाना निजामाबाद व फूलपुर, मऊ जनपद के थाना मधुबन एवं जनपद महराजगंज के थाना कोतवाली में श्री एन० पी० त्रिपाठी, उप निरीक्षक नियुक्त रहे।

उक्त थाना क्षेत्रों में श्री त्रिपाठी की नियुक्ति के दौरान उनके नेतृत्व में पुलिस डकैत मुठभेड़ में एक-एक घटना घटित हुई थी जिसमें थाना–फूलपुर (आजमगढ़) की घटना में चार, थाना मधुबन (मऊ) की घटना में एक एवं थाना कोतवाली (महराजगंज) की घटना में एक, कुल 6 व्यक्ति मारे गये थे ।

जी हां ।

जी हां ।

इस संबंध में मु० अ० सं० 219/87 धारा 147/148/149/302/201/120 भा० दं० वि० थाना रसड़ा, जनपद बलिया पर पंजीकृत किया गया ।

उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान शासन द्वारा विधायकों एवं अन्य लोगों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था में प्रतिमाह के खर्च की जानकारी

3–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय वर्तमान शासन द्वारा कितने विधायकों एवं अन्य लोगों को सुरक्षा गार्ड्स उपलब्ध कराये गये हैं ? सुरक्षा गार्ड देने का मापदण्ड क्या है ? इस सुरक्षा व्यवस्था पर शासन का प्रतिमाह कितना धन व्यय होता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान शासन द्वारा 418 मा० विधायकों व 2390 अन्य लोगों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये गये हैं । इस प्रकार कुल 2408 महानुभावों की सुरक्षा हेतु शासन स्तर से सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये गये हैं ।

महानुभावों के जीवन भय को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा गार्ड्स उपलब्ध कराये जाते हैं ।

उक्त प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग रु० 1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख) प्रतिमाह धन व्यय होता है ।

जनपद प्रतापगढ़ के आटो ट्रैक्टर्स परिसर की परिसम्पत्तियों को नष्ट होने से बचाने की शासन की जिम्मेदारी की जानकारी

4–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर्स परिसर की अनेकानेक परिसम्पत्तियों जैसे आवासीय कालोनी, प्रशिक्षण केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर आदि को अधिकाधिक रूप से

क्षतिग्रस्त कर दिया गया है ? इन सम्पत्तियों को पूर्णतया नष्ट होने से बचाने के लिये शासन ने क्या व्यवस्था दे रखी है तथा इसकी जिम्मेदारी किसी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आटो ट्रैक्टर्स लि० के परिसर में आवासीय कालोनी, प्रशिक्षण केन्द्र, कम्यूनिटी सेन्टर इत्यादि में निष्कासित कर्मचारियों के आन्दोलन के समय भवन सुरक्षित रहे केवल फिक्सचर आदि को आंशिक क्षति पहुंची । आवासीय कालोनी के पंखों की चोरी कम्यूनिटी सेन्टर में कुर्सियों के कुशन आदि का निकाला जाना और ट्रेनिंग सेन्टर के शीशों को तोड़ा जाना इसके उदाहरण हैं ?

आटो ट्रैक्टर्स लि० की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धन (मैनेजमेंट) की है । परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा विभाग है, जिसमें सुरक्षाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी तैनात हैं। परिसम्पत्तियों के लिये कोई खतरा मालूम नहीं पड़ता है ।

उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों के चलते हुए भोजनालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के रसोइया के पद पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

5–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों के चलते हुए भोजनालयों में क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रसोइया का निर्धारित आरक्षण पूर्ण है ? यदि हां, तो कुल कितनी नियुक्तियां हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आरक्षण पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं ।

जिला जौनपुर, थाना शाहगंज, ग्राम सुरिस में स्व० राम अचल (चमार) को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की जांच सी० आई० डी० से कराने तथा उसे शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

6–श्री मो० अरशद खान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० राम अचल (चमार) निवासी ग्राम–सुरिस, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर जिसकी 7-5-93 को निवर्तमान कोतवाल शाहगंज द्वारा हत्या कर दी गयी थी उसकी सी० आई० डी०/सी० बी० आई० जांच हो रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसके परिवार दो लाख रुपया सरकारी सहायता स्वीकार की जा रही है ? यदि हां, तो सहायता राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 7-5-93 को पुलिस मुठभेड़ में राम अचल नाम व्यक्ति की मृत्यु हुई थी । इस मुकदमे की घटना की जांच सी० आई० डी० को दी गयी है ।

जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।

ऐसे प्रकरणों में आर्थिक सहायता देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जिला जौनपुर, थाना शाहगंज, ग्राम सुरिस के स्व० राम अचल चमार की पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या को लेकर पुलिस निरीक्षक राम समुझ राय के स्थानान्तरण के कारणों की जानकारी

7–श्री मो० अरशद खान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० राम अचल (चमार) ग्राम सुरिस, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर की हत्या दिनांक 7-5-93 को निवर्तमान कोतवाल शाहगंज द्वारा कर दी गयी थी ? इसी हत्याकाण्ड को लेकर 22-10-93 को सरकार के आदेशानुसार रामसमुझ राय का स्थानान्तरण जौनपुर से मिर्जापुर जनपद के लिये हो गया था एवं हत्या काण्ड की जांच का आदेश भी दिया था ? अब पुनः जनवरी, 94 में उक्त कोतवाल ने अपना स्थानान्तरण मिर्जापुर से कराकर पुनः जौनपुर आ गये हैं एवं वर्तमान समय में मछली शहर कोतवाली के इंचार्ज हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त कोतवाली का जौनपुर से बाहर किसी अन्य जिले में स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । राम अचल एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था ।

यह कहना सही नहीं है कि इस मामले को लेकर निरीक्षक श्री राम समुझ राय का स्थानान्तरण इस जनपद से मिर्जापुर किया गया था ।

जी हां । सी० आई० डी० को ।

श्री राम समुझ राय को पुनः जनवरी, 94 में मिर्जापुर से जौनपुर स्थानान्तरित किया गया था । किन्तु दिनांक 4-4-94 को श्री राम को जौनपुर से वाराणसी के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया । वर्तमान में श्री राय गढ़वाल मण्डल में तैनात हैं ।

परगनाधिकारी, अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा थाना बेवाना को तौहीद खां के मकान के सामने जबरन दीवाल खड़ी करने तथा शान्ति व्यवस्था भंग न होने विषयक प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री राम अचल राजभर, श्री धामू राम भाष्कर तथा श्री तिलक राज बेहड़–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, अकबरपुर, जिला फैजाबाद एक आदेश थाना सम्मनपुर को इस्लाम खां, द्वारा तौहीद खां के मकान के सामने जबरन दीवार खड़ी करने के कारण निकास बन्द हो जाने पर तत्काल स्थानीय जांच कराने व शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में भेजा है ? क्या यह सही है कि थाना अध्यक्ष द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जैतली द्वारा पुनः एक पत्र थानाध्यक्ष द्वारा परगनाधिकारी का आदेश अनुपालन न करने के संबंध में दिनांक 2-3-94 को लिखा गया ? यदि हां, तो परगनाधिकारी के पत्र पर सी० ओ० अकबरपुर, थानाध्यक्ष, अकबर द्वारा उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परगनाधिकारी,अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा थाना सम्मनपुर को नहीं बल्कि थाना बेवाना को तौहीद खां के मकान के सामने इस्लाम खां द्वारा जबरन दीवाल खड़ी करने के बावत जांच कराने तथा निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश दिनांक 2-3-94 को भेजा गया है ।

जी हां ।

परगनाधिकारी, अकबरपुर के प्रश्नगत आदेश के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, बेवाना द्वारा दीवाल का निर्माण रुकवा दिया गया तथा शांति व्यवस्था भंग की सम्भावना को देखते हुए धारा 107/116 जा० फौ० में निरोधात्मक कार्यवाही सम्पन्न की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय में कार्यरत बाहरी विभागाध्यक्षों एवं निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की मांग

9–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–15 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 फरवरी, 1990 के शासनादेश में अपरिहार्यता का कोई जिक्र न होने के बावजूद उसके अन्तर्गत अपरिहार्यता का बहाना लेकर विभागवार 28 फरवरी, 1994 को विभागाध्यक्ष एवं निगमों के कुल कितने कर्मचारी व अधिकारी सम्बद्ध थे ? इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अपरिहार्यता क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विभिन्न विभागों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभागवार स्थिति संलग्न है ।

सचिवालय में स्टाफ की कमी एवं कार्यहित को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बद्ध किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 158 पर)

जनपद मिर्जापुर, थाना विन्ध्याचल के अन्तर्गत खमरिया कलां गांव में निर्माण करवा रहे ठेकेदार श्री अरुण शंकर पटेल की हत्या का मामला

10–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर, थाना विन्ध्याचल के अन्तर्गत खमरिया कलां गांव में सड़क निर्माण करवा रहे श्री अरुण शंकर पटेल, जो पिछड़ी जाति का एवं स० पा०/बसपा कार्यकर्ता था, की सवर्णों द्वारा सामूहिक रूप से हमला करके हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस घटना के अभियुक्त कौन-कौन थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध धारा–82, 83 की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्री अरुण शंकर उर्फ मुनीब के ऊपर ग्राम खम्हरियां कलां में सड़क पर मिट्टी डलवाते समय ठेकेदारी के विवाद को लेकर अभियुक्तगण ओम प्रकाश उपाध्याय, दामोदर पाण्डे, कम्पोडर उर्फ मणि शंकर पाण्डे, अरुण कुमार डागर उर्फ हरिशंकर, अखिलेश कुमार पाण्डे तथा सर्वेश कुमार पाण्डे द्वारा सामूहिक रूप से हमला कर दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी । इस घटना के संबंध मे थाना विन्ध्याचल पर उक्त सात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया ।

अभियुक्त डागर उर्फ हरिशंकर हाजिर अदालत हुआ, शेष सभी 6 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये । घटना से संबंधित अभियोग में पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त उक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

समाचार-पत्रों में किसी व्यक्ति के कारनामों पर छपी खबर के विरुद्ध उस व्यक्ति द्वारा शिकायत किये जाने पर पत्रकार पर विधिक कार्यवाही करने का प्राविधान

11–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि समाचार-पत्रों के पत्रकारों द्वारा किसी व्यक्ति के कारनामों पर कोई खबर छापी जाती है तो उस व्यक्ति की शिकायत के अनुसार, पुलिस विभाग धारा–151 के अन्तर्गत 107–116 की कार्यवाही करते हुए शांति व्यवस्था में शिकायतकर्ता तथा पत्रकारों को बन्द कर देती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिये ऐसे पत्रकारों को उक्त प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कथन सही नहीं है कि समाचार-पत्रों के पत्रकारों द्वारा किसी व्यक्ति के कारनामों पर कोई खबर छापे जाने पर उस व्यक्ति की शिकायत के अनुसार पुलिस विभाग धारा–151 के अन्तर्गत 107–116 की कार्यवाही करते हुए शांति व्यवस्था में शिकायतकर्ता तथा पत्रकारों को बन्द कर देता है । अपितु कानून एवं शांति व्यवस्था संबंधी मामलों में प्रशासन द्वारा सम्यक् परीक्षणोपरान्त ही आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाती है । प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के प्रति शासन पूर्णतया तत्पर है । अन्य बिन्दुओं का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रक्षाराय यादव, उतरौला, गोण्डा को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने संबंधी शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही की प्रगति की जानकारी

12–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्र के प्रति उत्तर के संदर्भ में अनुसचिव, गोपन अनुभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या–एम० एल० ए०–150/93, गो०-7, लखनऊ, दिनांक 3-1-94 जो कि श्री रक्षाराय यादव, उतरौला, गोण्डा को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने और उत्पीड़न किये जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना-पत्र के संबंध में है, में अब तक जांच कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? उक्त जांच कार्यवाही के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं और जांच अधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संदर्भगत प्रकरण में शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा कराई गई । क्षेत्राधिकारी ने अपनी जांच आख्या में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश प्रसाद शुक्ला एवं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री आनन्द विजय सिंह विसेन को दोषी पाया है जिनके विरुद्ध दण्डित किये जाने से संबंधित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । इस संबंध में अन्तिम आदेश शीघ्र ही पारित किये जायेंगे ।

जनपद हमीरपुर के महोबा क्षेत्र के कबरई कस्बे में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हमीरपुर द्वारा अनुमोदित लघु उद्योग हेतु दो वर्षों से लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति का मामला

13–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के महोबा क्षेत्र के कबरई कस्बे में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अनुमोदित लघु उद्योग, पत्थर कटाई, पालिश उद्योग हेतु ऋण/आवेदन पत्र, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर में करीब दो वर्षों से लम्बित हैं ? क्या इसको शीघ्र स्वीकृति शासन द्वारा मिलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त ऋण की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं दी जानी है, वरन् बैंक के नियमों के अन्तर्गत प्रश्नगत स्वीकृति बैंक द्वारा ही दी जानी है ।

इस संबंध में जिला ग्रामोद्योग बोर्ड अधिकारी, हमीरपुर तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण स्वीकृत कराये जाने हेतु उक्त बैंक से निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है । शासन स्तर से भी जिला अधिकारी, हमीरपुर को बैंक से ऋण स्वीकृत कराये जाने के लिये यथोचित निर्देश दिये गये हैं । प्रश्नगत ऋण की स्वीकृति बैंक के नियमों के अन्तर्गत होनी है । इस संबंध में शासन स्तर से कोई समयावधि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

थानाध्यक्ष को इंचार्ज बनाते समय 53 वर्ष की आयु होने के प्रतिबन्ध होने के बावजूद थानाध्यक्षों का प्रदेश में इन्चार्ज के पद पर कार्यरत होने की शिकायत

14–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष को इन्चार्ज बनाते समय 53 वर्ष की आयु होने का प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या 53 वर्ष की आयु से अधिक के भी थानाध्यक्ष प्रदेश में इन्चार्ज के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के ग्राम जिवधरपुर राय, थाना हर्रैया में स्व० मैनपुरी पुत्र श्री बरसाती की मृत्यु का मामला

15–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय मैनपुरी पुत्र बरसाती लाल अनुसूचित जाति (चमार) निवासी ग्राम जिवधरपुर राय, पत्रा०–हर्रैया, थाना–हर्रैया, जनपद बस्ती जो ट्रक नं० यू० पी० बी०-1462 पर क्लीनर पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 21-9-93 को ट्रक मालिक की साजिश के तहत हत्या की गयी ? क्या शासन द्वारा इसकी छानबीन की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या छानबीन करके दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार मैनपुरी पुत्र बरसाती की मृत्यु दिनांक 21/22-9-93 की रात जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा के अन्तर्गत ढिकवा बाजार के पास एक अज्ञात ट्रक द्वारा टक्कर मारने से हुई ।

इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ पर अपराध संख्या–177/93 धारा 279/304ए भा० द० वि० पंजीकृत हुआ । इसकी विवेचना में अज्ञात ट्रक का कोई पता नहीं चल सका । परिणामतः दिनांक 15-12-93 को अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

जनपद हरदोई में थाना अरबल के भवन निर्माण को अविलम्ब पूर्ण किये जाने की मांग

16–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में थाना अरबल का भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद हरदोई में थाना अरबल के भवन निर्माण हेतु आगणन शासन को प्राप्त हो गया है । शासन द्वारा शीघ्र ही स्वीकृति निर्गत की जायगी ।

जनपद बिजनौर में विगत दो वर्षों में दर्ज हत्या, डकैती, अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न आदि की संख्या को देखते हुए अपराधों को नियंत्रणीकरण किये जाने की मांग

17–श्री महाबीर सिंह (बिजनौर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में विगत दो वर्षों में हत्या, डकैती एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुए ? उनमे कितने मामलों के अभी तक गिरफ्तार किये जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जनपद की कानून व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिये शासन ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बिजनौर में दिनांक 15-8-92 से 15-8-94 तक हत्या के 304, डकैती के 25 तथा अनुसूचित जाति उत्पीड़न के 318 मामले पंजीकृत हुए ।

हत्या के उक्त अभियोगों में नामजद/प्रकाश में आये 762 अभियुक्तों में से 743, डकैती के अभियोगों में नामजद/प्रकाश में आये 161 अभियुक्तों में से 141 तथा अनुसूचित जाति उत्पीड़न के उक्त अपराधों में नामजद/प्रकाश में आये 1030 अभियुक्तों में से 1014 अभियुक्त गिरफ्तार/हाजिर अदालत हुए हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसलिये नहीं हो पायी है क्योंकि वे फरार हैं।

जनपद बिजनौर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु यथासंभव पुलिस बल, पी० ए० सी० एवं अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती के साथ-साथ आतंकवादियों की गतिविधियों को देखते हुए स्थानीय पुलिस को स्वचलित शस्त्र, बुलट प्रूफ जिप्सी, ट्रैक्टर, अतिरिक्त वाहन तथा अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। जनपद के 22 थानों व 41 चौकियों के अतिरिक्त थाना नजीबाबाद व कोतवाली शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु एक-एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। जनपद के सभी थानों पर वाहन तथा संचार व्यवस्था उपलब्ध है। सम्प्रति जनपद बिजनौर में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।

जनपद मथुरा में लक्ष्मण पुत्र रोशन लाल नि० ग्राम दतिया, थाना नरहोली द्वारा 21 आरोपोंयुक्त पुलिस उत्पीड़न से न्याय दिलाने हेतु आरोप पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मन प्रसाद पुत्र रोशन लाल नि० ग्राम दतिया, थाना नरहोली, जनपद मथुरा ने 12 मार्च, 1994 को 21 आरोपों का प्रार्थना-पत्र उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या थाना नरहोली, मथुरा के अपराध संख्या–42/94 व 43/94 पुलिस मुठभेड़ की अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करायेंगे जिससे नागरिक पुलिस के उत्पीड़न से न्याय उक्त लक्ष्मन प्रसाद को मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना नरहोली के मु० अ० सं० 42/94 धारा 307 भा० द० वि० एवं मु० अ० सं० 43/94, धारा 25 आर्म्स ऐक्ट की विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त उक्त अभियोगों के अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं। जो न्यायालय के विचाराधीन हैं। अतः इन अभियोगों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद सीतापुर में स्थित विवेक गन्ना मिल लि० रामगढ़ में स्थानीय कर्मचारियों को कार्य देने की मांग

19–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र–मछरेहटा में पड़ने वाले विवेक गन्ना मिल लि०, रामगढ़ में कितने स्थानीय कर्मचारी एवं बाहर के कर्मचारी कार्य हेतु रखे गये हैं? दोनों की संख्या कितनी-कितनी है ? स्थानीय नागरिकों को मिल में कार्य करने हेतु न रखने का

क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि मिल में कार्यरत श्रमिकों को समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में विवेक गन्ना मिल लि०, रामगढ़ में चीनी मिल के निर्माण कार्य में मुख्य नियोजक द्वारा कुल 76 कर्मचारी नियोजित हैं जिसमें 31 स्थानीय तथा शेष 45 अन्य जनपदों के हैं । उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रतिष्ठान के संविदाकार मेसर्स ऐरा कन्सट्रक्शन इंडिया लि० के माध्यम से लगभग 600 अन्य श्रमिक भी कार्यरत हैं जिनमें से लगभग 500 स्थानीय श्रमिक हैं तथा शेष 100 अन्य जनपदों के हैं । चीनी मिल के निर्माण में स्थानीय नागरिकों में से तकनीकी ज्ञान एवं पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर्मचारियों के उपलब्ध न हो पाने के कारण बाहरी जनपदों के ऐसे कर्मचारियों को नियोजित किया गया है । प्रतिष्ठान में मुख्य सेवायोजक तथा संविदाकार के माध्यम से नियोजित समस्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद में श्री फरहत अब्बास रिजवी, निवासी अकबरपुर का नाम बी० एन० के० बी० डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा काटे जाने के कारणों की जानकारी

20–श्री बच्चा पाठक–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–151 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फरहत अब्बास रिजवी निवासी अकबरपुर, जिला फैजाबाद का नाम वर्ष 86-87 में बी० एन० के० बी० डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा किन-किन आधारों पर काटा गया है ? क्या संबंधित छात्र का प्रवेश फार्म तथा बयानहल्फी को मूल रूप से सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसके संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा कोई रिपोर्ट कोतवाली अकबरपुर में लिखायी गयी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री फरहत अब्बास रिजवी के द्वारा महाविद्यालय को असत्य सूचना दिये जाने, प्रवेश हेतु अनुचित दबाव डालने, महाविद्यालय परिसर एवं बाहर अशान्ति व्यवस्था उत्पन्न करने एवं समुचित टी० सी० एवं चरित्र प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर सकने के कारण प्रवेश के लिये उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया ।

उक्त निरस्त आवेदन पत्र विद्यालय के भंडार गृह में रखा गया था जहां वह दीमकों के प्रकोप से नष्ट हो चुका है । अतः मूल आवेदन पत्र की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

जी हां ।

स्वयं एवं परिवार के सदस्यों, आवास तथा महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने से संबंधित था ।

थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद में तैनात थाना इंचार्ज श्री उदय प्रताप सिंह तथा हेड मुहर्रिर श्री लालमणि दुबे द्वारा की गई उत्पीड़न की घटनायें तथा उनके विरुद्ध की गयी शिकायतों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

21–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 में थाना इंचार्ज श्री उदय प्रताप सिंह तथा हेड मुहर्रिर श्री लालमणि दुबे की तैनाती थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद में कब हुई थी और उक्त दिनांक से अब तक इनके कार्यकाल में कितनी-कितनी अपराधिक घटनाएं हुई तथा इनकी सांठ-गांठ से किन-किन अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों की हत्याएं और उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं ? उक्त आपराधिक घटनाओं के संबंध में किन-किन के कितने-कितने प्रार्थना-पत्र शासन/पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? उक्त आपराधिक घटनाओं के लिये जिम्मेदार तथा उक्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

निजी/सहकारी/निगम अथवा अन्य कारखानों में 500 या अधिक श्रमिकों पर अधिनियम के तहत कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का मामला

22–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 49 में यह प्राविधान है कि 500 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करने पर कल्याण अधिकारी की नियुक्ति होगी ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने ऐसे (निजी/सहकारी/निगम अथवा अन्य) कारखाने हैं, जिनमें नियमानुसार कल्याण अधिकारी की नियुक्ति नहीं है और क्यों ? रिक्त पदों को भरने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रदेश में निजी क्षेत्र के 5, सहकारी क्षेत्र के 12 तथा निगमों के अधीन 7 कारखानों में वर्तमान में श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं हैं ।

प्रश्नगत पदों पर नियुक्तियां संबंधित कारखाना प्रबन्धकों के स्तर से होती हैं । प्रबन्धकों को उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर, थाना उभांव के ग्राम सभा तरछापार निवासी निजामुद्दीन के घर हुई चोरी का मामला

23–श्री राधे श्याम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर, थाना उभांव के ग्राम सभा तरछापार निवासी निजामुद्दीन के घर पर 25 जुलाई, 93 को रात्रि को चोरी की गयी थी जिसके

संबंध में विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम मंगल हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर में कहा गया है कि कुछ लोगों से पूछताछ की गयी है तथा माल बरामदगी न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है ? क्या यह सही है कि उक्त चोरी में सम्मिलित एक चोर बिजई जिसे गांव वालों ने पकड़कर थानाध्यक्ष उभांव को सौंप दिया जिसने अपने सारे साथियों के नाम बताये ? थानाध्यक्ष उभांव ने उक्त चोर को किसी दूसरे केस में चालान कर दिया ? क्या सरकार इसकी सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराते हुए थानाध्यक्ष उभांव को दण्डित करने एवं सही चोरों को गिरफ्तार कराने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त बिजई पुत्र बेचन मुसहर सा० पतनारी थाना उभांव, जनपद बलिया को गांव वालों द्वारा थाना पर पकड़ कर लाना नहीं बताया गया है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त बिजई मुसहर का चालान मु० अ० सं० 190/93 धारा 25-ए एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 18-8-1993 को बन्दी बनाया गया है जिसके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 76 दिनांक 2-9-93 को न्यायालय प्रेषित किया गया है ।

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा स्वयं तथा वादी की सूचना पर सम्भावित बरामदगी का प्रयास किया गया तथा कुछ लोगों से पूछताछ की गयी किन्तु सही चोरों की जानकारी नहीं हो पायी । दिनांक 19-9-93 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सी० आई० डी० जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

थ्री स्टार होटल में संगीता सिंह नामक बलिया निवासी नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के विरुद्ध कार्यवाही तथा अनुग्रह राशि की मांग

24–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी जनपद में थ्री स्टार होटल में संगीता सिंह नामक बलिया निवासी नाबालिग लड़की के साथ मई, 94 में बलात्कार हुआ है ? यदि हां, तो बलात्कारी कौन थे तथा उनके नाम क्या हैं ? उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उनके व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? क्या भुक्त भोगी बालिका को अनुग्रह राशि दी जायेगी ? क्या यह भी बतायेंगे कि जिस होटल में बलात्कार हुआ उस होटल का शेयर किन-किन व्यक्तियों ने लिया है ? उक्त होटल के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

बलात्कारी अभियुक्त नौशाद तथा उज्जैर उर्फ महमूद थे । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मु० अ० सं० 280/94 धारा 363/366/376/342/506 भा० द० वि० का अभियोग थाना कैण्ट में दिनांक 18-5-94 को पंजीकृत हुआ था दिनांक 18-5-94 को दोनों अभियुक्तों को उक्त अभियोग में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । दिनांक 26-5-94 को विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

विवेचना से होटल के मालिक एवं कर्मचारीगण का घटना में शरीक होना नहीं पाया गया ।

ऐसे प्रकरणों में अनुग्रह राशि दिये जाने का कोई सामान्य नीति/प्राविधान नहीं है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार होटल का शेयर लेने वाले व्यक्तियों के नाम सर्वश्री लल्लाराम मौर्य, राज नरायन मौर्य, श्रीराम मौर्य, श्रीमती उर्मिला देवी, अमृत लाल, शिव पूजन, सत्य नाथ, श्रीमती जावित्री देवी, रामजीता, मास्टर राहुल, राज कुमार हैं जो कि अभियुक्त नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुजफ्फरनगर में पुलिस विभाग द्वारा पुरानी हिस्ट्रीशीट खोलकर विशिष्ट व्यक्तियों को फंसाने का आरोप

25–श्री सुरेश संगल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में पुलिस विभाग ने बहुत बड़ी संख्या में पुरानी हिस्ट्रीशीट खोलकर आतंक फैला दिया है जिसमें काफी सामाजिक, राजनैतिक व प्रमुख व्यक्ति अनेकों निर्दोष सामान्य नागरिकों के नाम भी शामिल किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वहां कितने व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी है और इसे खोले जाने हेतु क्या-क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 1-1-94 से दिनांक 15-8-94 तक जनपद मुजफ्फरनगर में 618 हिस्ट्रीशीट उन्हीं व्यक्तियों की खोली गयी जो विगत में विभिन्न गम्भीर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे ।

26–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में थानाध्यक्षों के पदों का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने का मामला

27–डा० राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने थानाध्यक्ष के पद हैं ? उनमें से कितनों पर आरक्षित कोटे से व्यक्ति तैनात हैं ? यदि कोटा पूरा नहीं है, तो सरकार उसे कब तक पूरा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में 1432 थानाध्यक्ष के पद हैं ।

224 अनुसूचित जाति/जनजाति के तैनात हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण है ।

जिला आगरा में होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की इमारत ढहने से हुई मृत्यु से मृतक आश्रितों को नौकरी में रखे जाने की मांग

28–डा० राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1993 में आगरा महानगर में होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की इमारत ढहने से कितने जवान मरे ? क्या सरकार द्वारा उनके आश्रितों को नौकरी पर रखा गया है ? क्या सरकार द्वारा उस इमारत की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

वर्ष 1993 में तीन होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर, महानगर आगरा की इमारत ढहने से 3 जवान मरे थे । मृतक होमगार्ड के किसी आश्रित को नौकरी में नहीं रखा गया है । इमारत किराये की होने के कारण उसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकी है ।

जनपद फैजाबाद में पात्र व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु पट्टा दिये जाने की मांग

29–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पात्र व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि पट्टे दिये जायेंगे तो कब तक ?

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

जी हां ।

वर्ष 1994-95 में (माह जून, 94 तक) 103 पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्रजीत सिंह, निवासी पिपरी थाना हलियापुर जिला सुल्तानपुर के प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर जांच की मांग

30–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने उपरिपत्र के साथ संलग्न श्री इन्द्रजीत सिंह, निवासी पिपरी, थाना हलिया पुर, जिला सुल्तानपुर का प्रेषित प्रार्थना-पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1994 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संबंधित प्रकरण की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय सेवा के अवर वर्ग सहायक संवर्ग से प्रोन्नति प्राप्त प्रवर वर्ग सहायक पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

31–श्री बैजनाथ रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय सेवा के अवर वर्ग सहायक संवर्ग से प्रोन्नति प्राप्त प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग से प्रोन्नति प्राप्त अवर वर्ग सहायक पद पर दिनांक 30-4-94 को कार्यरत कुल व अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या व प्रतिशत क्या है ? क्या सचिवालय के अवर वर्ग सहायक संवर्ग से प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में प्रोन्नति में आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दिनांक 30-4-94 को सचिवालय सेवा के कुल कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक तथा अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ? क्या उपलब्ध अवर वर्ग सहायकों से प्रोन्नति द्वारा प्रवर वर्ग सहायक पद के निर्धारित आरक्षण कोटे को पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 30-4-94 को सचिवालय सेवा के कुल कार्यरत नियमित प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या 1109 तथा इनमें अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या–241 हैं ।

अवर वर्ग सहायक संवर्ग से प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में प्रोन्नति के पदों में अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण आरक्षण कोटे को पूरा किये जाने के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग के माध्यम से विशेष भर्ती परीक्षा, 1991 आयोजित कराकर 85 कर्मियों की नियुक्ति की जा चुकी है और चार के संबंध में संस्तुति अपेक्षित है । इस प्रकार प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ।

सचिवालय सेवा के अवर वर्ग सहायक संवर्ग से प्रोन्नत दिनांक 30-4-94 को नियमित रूप से कार्यरत कुल प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या–733 है । इनमें से अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मियों की संख्या–96 है जो प्रोन्नति कोटे में कार्यरत उक्त प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या का 13 प्रतिशत है ।

जी नहीं । अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में प्रोन्नति में आरक्षण कोटा अपूर्ण है ।

जनपद बाराबंकी में श्री अम्बिका प्रसाद राम, क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती-पत्र पर निर्णय लिये जाने की मांग

32–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने श्री अम्बिका प्रसाद राम, क्षेत्राधिकारी, हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के स्थानान्तरण न करने के क्या कारण रहे ? क्या मंत्री जी श्री राम के स्थानान्तरण संबंधी आदेश शीघ्र देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । संदर्भित शिकायती पत्र पर जांच आख्या शासन को दिनांक 11-8-94 को प्राप्त हुई, जो शासन के विचाराधीन है । उस पर निर्णय के उपरान्त ही यथासमय कार्यवाही करना संभव होगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोण्डा में श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री जोखन सिंह निवासी ग्राम मुकैया, थाना खोड़ारे की हत्या का मामला

33–श्री गनपत सिंह तथा श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री जोखन सिंह निवासी ग्राम मुकैया, थाना खोड़ारे, जिला गोण्डा की हत्या विगत मार्च/अप्रैल, 1994 में जनरल मैनेजर बभनान शुगर फैक्ट्री बभनान, गोण्डा (श्री मित्तल) द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी खोड़ारे (श्री लोकनाथ) की साजिश से करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त घटना के पूर्व मृतक श्री विजय बहादुर सिंह द्वारा जनरल मैनेजर (श्री मित्तल) का सार्वजनिक अपमान फैक्ट्री के अन्दर ही किया गया था तथा उक्त थाना प्रभारी हत्या काण्ड के दूसरे दिन ही एक सप्ताह के लिये अवकाश पर चले गये थे ? क्या यह सच है कि आज तक इस मामले में कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे में नहीं आ पाया ? क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि श्री मित्तल द्वारा उक्त थाना प्रभारी से सांठ-गांठ कर हत्या करायी गयी तथा मामले को तत्पश्चात् दबा दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी पाये जाने की दशा में उक्त श्री मित्तल को तत्काल गिरफ्तार करके एवं उक्त थाना प्रभारी को बर्खास्त करने पर भी विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । वास्तविकता यह है कि दिनांक 19-2-94 को 15.10 बजे मृतक श्री विजय प्रताप सिंह के पिता श्री जोखन सिंह द्वारा थाना-खोड़ारे में सूचना दी गई कि उनका उक्त नामक लड़का जो बभनान शुगर मिल में सीजनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नौकरी करता था, दिनांक 14-2-94 को ड्युटी ज्वाइन करने की बात घर पर कह कर गया । दिनांक 15-2-94 को 18.00 बजे बभनान बाजार में श्री प्रकाश की दुकान के सामने देखा गया और 19-2-94 को उसका शव गांव के दक्षिण तरफ सड़क से कटे खन्दक में पड़ा मिला श्री जोखन सिंह की उक्त सूचना पर थाना-खोड़ारे में अपराध संख्या–5/94 धारा–302/201 भा० द० वि का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गई ।

विवेचना के दौरान उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं हुई ।

तत्कालीन थानाध्यक्ष खोड़ारे श्री लोकनाथ सात दिन के आकस्मिक अवकाश पर दिनांक 15-2-94 को 15.15 बजे गये थे ।

जी नहीं । मामले में अभियुक्त ओम प्रकाश गुप्ता, शिवशंकर पाण्डे एवं कृष्ण देव तिवारी को दिनांक 31-5-94 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 6-7-94 को न्यायालय प्रेषित किये गये ।

जी नहीं । अभियोग की विवेचना के मध्य व साक्ष्य से बभनान शुगर फैक्ट्री के जनरल मैनेजर श्री मित्तल एवं थानाध्यक्ष लोकनाथ यादव के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ जिससे यह प्रमाणित हो कि विजय प्रताप सिंह की हत्या इन दोनों की साजिश से हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद दुग्ध संघ दलपतपुर द्वारा दूध से भरे टैंकर को गेट के बाहर जाने में गेट पास में की गई त्रुटि

34–श्री तेजभान सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद दुग्ध संघ, दलपतपुर में दिनांक 6-12-93 को सांय 3.30 बजे ट्रैक्टर नं० 5074, गेट पास संख्या–14654 द्वारा फैक्ट्री से बाहर खाली गया है ? यदि हां, तो क्या दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा 14350 किलो ग्राम दुग्ध की प्राप्ति रसीद उक्त ट्रैक्टर से ही उपरोक्त दुग्ध संघ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त धन दुग्ध संघ में जमा किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या उक्त गेट पास जो खाली दिखाया गया है, की प्रति सदन के पटल पर रखने का आदेश करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, उक्त टैंकर (ट्रैक्टर नहीं) उक्त तिथि को खाली नहीं गया था किन्तु गेटपास में त्रुटिवश खाली टैंकर लिख गया था जिसे यथासमय सही कर दिया गया । उक्त टैंकर से भेजे गये दूध की 14,375 किलोग्राम की प्राप्ति रसीद दिनांकित 7-12-1993 मदर डेरी, दिल्ली से दुग्ध मूल्य का भुगतान भी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त कर दुग्ध संघ के बैंक खाते में दिनांक 15-12-1993 को जमा किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में कांस्टेबिल हेड कांस्टेबिल तथा पुलिस उपाधीक्षक से पुलिस महानिदेशक तक के कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने गृह जनपद परिक्षेत्र में नियुक्त करने का मामला

35–श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय "गुरू जी"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में कांस्टेबिल हेड कान्सटेबिल तथा पुलिस उपाधीक्षक से पुलिस महानिदेशक तक कर्मचारी एवं अधिकारी अपने गृह जनपद, परिक्षेत्र में नियुक्त हो सकते हैं ? यदि हां, तो पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक को गृह जनपद, परिक्षेत्र में नियुक्त न किये जाने के क्या कारण है ? क्या इस संबंध में कोई शासनादेश हुआ है ? यदि हां, तो उक्त दोनों पद के अधिकारियों के लिये ही एक मात्र उक्त विधान बनाया जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हेड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिल को गृह परिक्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु उन्हें गृह जनपद में नियुक्त न किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–5001/आठ–1–86 दिनांक 11-7-86 में नीति निर्धारित है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को उनके जनपद में जनपदीय शाखा में नियुक्त नहीं किया जाता है । भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अपने गृह जनपद के परिक्षेत्र में नियुक्त किये जा सकते हैं ।

निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक का सीधे जनता से सम्पर्क होता है । प्रारम्भिक स्तर से ही निष्पक्ष रूप से कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व उन्हीं पर निर्भर रहता है । यदि इन्हें गृह जनपद, परिक्षेत्र में नियुक्त किया जाता है तो निष्पक्ष रूप से कानून एवं व्यवस्था का पालन न होने की सम्भावना बढ़ जायेगी ।

शासनादेश संख्या–5001/आठ–1-86 दिनांक 11-7-86 में निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक को उनके गृह परिक्षेत्र में नियुक्त न किये जाने की नीति निर्धारित है ।

36–श्री श्याम देव राय चौधरी–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद कानपुर देहात थाना सट्टी में अभियोग में नामित सात अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के कारणों की जानकारी

37–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या-3/94 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात धारा 302, 147, 148, 149 मे आई० पी० सी० के संबंध मे अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें सभी नामित सात अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

अभियोग में नामित सातों अभियुक्त घटना के दिन से ही फरार रहे । ऐसी दशा में न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 20-1-94 को उनकी चल सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी और दिनांक 25-1-94 को मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया ।

पुलिस विभाग में निरीक्षक पद के अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी बनाये जाने पर सरकार का विचार

38–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय "गुरू जी"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस विभाग में निरीक्षक पद के अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या इसी पद राजस्व विभाग में तहसीलदार व अभियोजन विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर राजपत्रित अधिकारी कार्यरत है ? यदि हां, तो पुलिस विभाग में निरीक्षक पद के अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है ? क्या प्रशासन में इनको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है ? क्या आई० ए० एस० एवं आई० पी० एस० अधिकारियों के चयन के संबंध में इनके द्वारा चरित्र संबंधी जांच की जाती है ? क्या महत्वपूर्ण आपराधिक मामले भी इनके द्वारा जांच किये जाते हैं ? क्या इनकी जांच रिपोर्ट भी शासन को मान्य होती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

निरीक्षक के वेतनमान के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं अभियोजन शाखा के सहायक अभियोजन अधिकारी के पद राजपत्रित हैं ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निरीक्षक पद को राजपत्रित पद घोषित करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया तथा इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रस्ताव भी शासन को नहीं उपलब्ध कराया गया है ।

जी हां ।

निरीक्षक, ना० पुलिस को कोई जांच आख्या शासन को सीधे नहीं भेजी जाती है । इसलिए मान्य होने का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना बीघापुर जनपद उन्नाव में पंजीकृत मुकदमें की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय से गायब होने का प्रकरण

39–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थाना बीघापुर जनपद उन्नाव में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं० 162 सन् 1980 की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय से गायब है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस सेवा में कार्यरत कुक एवं कहारों को क्रमशः रु० 750 तथा रु० 550 प्रतिमाह नियत वेतन दिया जाना

40–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान में पुलिस सेवा में कार्यरत कुक एवं कहारों को क्रमशः मात्र 700 तथा 500 रुपया प्रतिमाह नियत वेतनमान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त वेतनमान सभी दृष्टिकोण से न्यूनतम वेतन सीमा से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके वेतनक्रम में वृद्धि करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । पुलिस विभाग में कार्यरत कुक एवं कहारों को वर्तमान में क्रमशः 700 तथा 500 रुपया प्रतिमाह नियत वेतन दिया जा रहा है ।

41–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दि० 22-8-94 को अता० प्र० सं० 177 द्वारा उत्तरित]

जिला हमीरपुर में चरखारी थानानतर्गत ग्राम अस्तौन में हुई बलात्कार की घटना को दबाये जाने का मामला

42–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी थानान्तर्गत ग्राम अस्तौन में 2 जनवरी, 94 को हुई बलात्कार की घटना, जिसकी एफ० आई० आर० दिनांक 17 जनवरी, 94 को लिखी गई, में नामजद

लोगों का विवरण क्या है ? क्या इस एफ० आई० आर० के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय 56 घन्टों के अन्दर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? माह जनवरी, 94 में बलात्कार की कितनी घटनाओं के सन्दर्भ में जिला हमीरपुर में 72 घन्टे के अन्दर फाइनल रिपोर्ट लगायी गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री ईश्वर दास लोधी की सूचना पर दिनांक 17-1-94 को थाना चरखारी, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अभियोग अ० सं० 10/94 धारा 342/376/506 भा० दं वि० बनाम (1) लाल दास पुत्र रघुनाथ, (2) खेमचन्द्र पुत्र रघुनाथ दास, (3) भारत पुत्र मिढिया, (4) मंगल पुत्र दृगपाल, (5) श्री उदय प्रकाश, विधायक, चरखारी (6) नबी अहमद उर्फ नब्बन नेता चरखारी, पंजीकृत किया गया ।

प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना में तथ्य झूठे पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट सं० 3, दिनांक 19-1-94 को मय जुर्म खारिज न्यायालय प्रेषित की गई ।

उक्त अवधि में बलात्कार के दो अभियोग पंजीकृत हुए । इसमें से एक अभियोग में विवेचनोपरान्त लगाये गये आरोप जांच से झूठे पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई एवं एक अन्य अभियोग अपराध सं० 33/94 धारा 342/376/323/506 भा० दं० वि० थाना राठ में विवेचनोपरान्त तथ्य सही पाये जाने पर 72 घण्टे के अन्दर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जनपद हमीरपुर, ग्राम पाठा, थाना खरेला में एक ग्रामीण की हत्या में पुलिस की लापरवाही का प्रकरण

43–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना खन्ना के ग्राम पाठा में पुलिस की गोली से किसी ग्रामीण की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो संबंधित पुलिस के लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक मु० अ० सं० 49/94 ए० व 44ए/94 में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद हमीरपुर का ग्राम पाठा थाना-खन्ना के बजाय थाना खरेला के अन्तर्गत आता है । दि० 15-5-94 को घटित घटना ये श्री करन सिंह पुत्र हर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम पाठा थाना-खरेला की मृत्यु हुई थी । उक्त दिनांक को तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला श्री महेश कुमार दुबे द्वारा पाठा में पुलिस मुजाहमत के संबंध में मु० अ० सं० 49/94 धारा 395/397/398/332/353/225 भा० दं० वि० व 7 क्रि० ला० अमेण्डमेण्ट ऐक्ट का अभियोग थाना-खरेला, जनपद हमीरपुर पर पंजीकृत कराया गया । इसके उपरान्त विपक्षी श्री परशुराम सिंह पुत्र श्री हरप्रसाद सिंह निवासी ग्राम पाठा द्वारा थाना खरेला पर अपने भाई करन सिंह को मारे जाने के बावत अभियोग अ० सं० 49ए/94 धारा 147/148/149/323/302/504 भा० दं० वि० के अन्तर्गत तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला व 6 आरक्षियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । चूंकि प्रश्नगत प्रकरण शासन द्वारा दिनांक 29-6-94 को सी० आई० डी० को सुपुर्द किया जा चुका है, अतः विवेचना के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

जी हां । प्रश्नगत मामले में पूरे प्रकरण अर्थात उपरोक्त दोनों अभियोगों की विवेचना शासन द्वारा सी० बी०, सी० आई० डी० को अभिदिष्ट की जा चुकी है ।

इस प्रकरण में दो मुकदमें 49/94 तथा 49ए/94 पंजीकृत हुए थे अ० सं०–44ए/94 का इस प्रकरण से सम्बन्ध नहीं है । उक्त अ० सं० भा० दं० वि० से भी सम्बन्धित नहीं है । प्रश्नगत प्रकरण/घटना से संबंधित उपरोक्त दोनों मुकदमों की विवेचना सी० आई० डी० को सुपुर्द की जा चुकी है जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

44–श्री अमर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-4-94 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि जांच कराई जा रही है, तो क्या प्रश्नकर्ता की मांग के अनुसार स्वतंत्र एजेन्सी से जांच कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जांच समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना की जानकारी तथा इनमें कर्मचारियों की पदस्थता किये जाने की मांग

45–श्री अमर सिंह–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी ? क्या इनमें कर्मचारियों की पदस्थता की गई थी ? यदि हां, तो अब तक उनको नियमित क्यों नहीं किया गया ? क्या शासन द्वारा इनको नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक इनको नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की चार योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1975-76, 77-78, 80-81, 82-83, 90-91 एवं 91-92 में स्थापना की गयी थी ।

अभिकरणों में मत्स्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती की गयी थी । कर्मचारियों की कमी को देखते हुए कुछ अभिकरणों में अध्यक्ष एवं जिलाधिकारियों द्वारा कुल 101 कर्मचारियों की कान्ट्रैक्ट आधार पर पदस्थता की गयी थी ।

उक्त कर्मचारियों का नियमित चयन नहीं, वरन् कान्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया गया था, अतः उनहें नियमित नहीं किया जा सका है ।

प्रश्नगत नियुक्तियां शासन द्वारा स्वीकृत पदों की सीमा से बाहर की गयी है, अतः नियमित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री सतीश भाटिया–

[2रे बुध में अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

47–श्री बैजनाथ रावत–

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जिला मऊ ग्राम सिंगासी, पो० परसुपुर, थाना मधुबन में श्रीराम कुंवर यादव के घर में हुई लूटपाट में नामजद अभियुक्तों को बन्द न करने के कारणों की जानकारी

48–श्री पारसनाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कुंवर यादव, ग्राम सिंगासी, पो० परसुपुर, थाना मधुबन जिला मऊ के घर पर 1-3-94 को कुछ गांव के ही चोरों द्वारा लूटपाट की गई थी, जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना मधुबन में दर्ज थी ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट पर कोई आज तक थानाध्यक्ष मधुबन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त के संबंध में समाजवादी पार्टी विधान मण्डल के पत्र संख्या 1119 दिनांक 12-4-94 को मुख्य मंत्री को मा० विधायक राधेश्याम वर्मा व दिनांक 12-5-94 को पत्र संख्या 1326 मुख्य मंत्री को व 1139 दिनांक 12-4-94 को पत्र संख्या 1326 मुख्य मंत्री को व 1139 दिनांक 12-4-94 प्रमुख सचिव, गृह को भेजा गया था ? क्या उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस संबंध में थाना मधुबन में अभियोग अपराध संख्या 74ए/94 धारा–394 भा० दं० वि० रामकुंवर यादव बनाम रामसोच यादव आदि 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री रामजीत यादव द्वारा की गयी विवेचना में घटना असत्य पाए जाने के परिणामस्वरूप अन्तिम रिपोर्ट संख्या–3 दिनांक 17-3-1994 द्वारा उक्त अभियोग खारिज किया गया ।

प्रश्नगत पत्रों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त की जा रही है ।

49–श्री पारसनाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ अन्तर्गत थाना मधुबन के ग्राम सिंगासी परसुपुर निवासी श्री राम कुंवर के घर पर दिनांक 1-3-94 को कुछ लोगों द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसकी नामजद रपट थाना मधुबन में श्री राम कुंवर द्वारा लिखाई गई थी । क्या थानाध्यक्ष मधुबन जिला मऊ द्वारा मुल्जिमानों को गिरफ्तार न करते हुए मामले को दबा दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराने व थानाध्यक्ष मधुबन को दण्डित करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, दिनांक 2-3-1994 को राम कुंवर यादव पुत्र दशरथ यादव निवासी ग्राम-सिंगासी, थाना-मधुबन, जनपद मऊ ने थाना मधुबन में इस आशय की सूचना अंकित कराई कि दिनांक 1-3-94 को उसके गांव के ही राम सोच यादव आदि द्वारा उसके घर में घुसकर लूटपाट की गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना-मधुबन में अभियोग अ० सं० 74ए/94 धारा 394 भा० दं० वि० बनाम रामसोच यादव आदि 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ एवं इसकी विवेचना उप पंजीकृत हुआ एवं इसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री रामजीत यादव द्वारा की गई । विवेचना में घटना असत्य पाकर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या : 3 दिनांक 17-3-94 द्वारा अभियोग खारिज किया गया ।

इस प्रकरण में थानाध्यक्ष मधुबन द्वारा कोई शिथिलता अथवा लापरवाही नहीं की गई है। अस्तु उनके विरुद्ध कोई जांच अथवा कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है।

पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिपिकों की नियुक्ति पुलिस ऐक्ट के आधार पर न होने की शिकायत

50–डा० राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 7252/8ए–94/66, दिनांक 6-9-1966 के पुलिस पदनाम, वेतनमान पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिपिकों को दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भी ऐसी नीति अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के साथ समान नीति क्यों नहीं अपनायी जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी न पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत भर्ती ही किये जाते हैं और न वे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान ही दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा के जूता कारीगरों हेतु राहत योजना बनाये जाने की मांग

51–डा० राम बाबू हरित–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि आगरा महानगर में वर्ष 1992-93 में कुछ जूता कारीगर भुखमरी के कगार पर आ गये हैं ? यदि हां, तो उनके राहत के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विकास क्षेत्र नोएडा को औद्योगिक क्षेत्र की भांति उद्योगिक सुविधा दिये जाने की मांग

52–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नोएडा के नाम से जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, वह गाजियाबाद जनपद की सीमा में हैं ? क्या नोएडा में स्थापित उद्योगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या गाजियाबाद जनपद के उद्योगों को भी उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की किरावली तहसील में अवैध खनन से प्रतिबन्धित विस्फोटक पदार्थ को निकालने पर रोक लगाये जाने की मांग

53–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की किरावली तहसील के अन्तर्गत गत 10 माह में कोई अवैध खनन कार्य हुआ है ? यदि हां, तो किन स्थानों पर हुआ है ? क्या इसमें प्रतिबन्धित विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है ? क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या घायल हुए हैं ? ऐसे अवैध खनन को रोकने के लिये जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम ताजपुर ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए जिले के समस्त परगनाधिकारियों को वैध पट्टेदारों की सूची भेजकर अवैध खनन और अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखने के आदेश दिनांक 22-12-1993 को भेजे गये थे । दिनांक 2-8-1994 को आकस्मिक छापा मारकर अवैध परिवहन के 6 मामले पकड़े गये, जिनमें से 2 व्यक्तियों द्वारा कम्पाउडिंग हेतु आवेदन करने पर रु० 0 1500 रु० 1500 रु० खनिज मद में जमा करा कर छोड़े गये, शेष 4 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना-अछनेरा में एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई तथा 3 ट्रक बन्द कराये गये ।

श्रीमती सुशीला देवी निवासी ग्राम शंकरपुर, थाना माल, जिला लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर सी० आई० डी० की जांच

54–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनहोंने दिनांक 18 जुलाई, 1990 को श्रीमती सुशीला देवी निवासी ग्राम शंकरपुर थाना माल जनपद लखनऊ के प्रार्थना-पत्र पर सी० आई० डी० जांच करने के आदेश दिये थे ? क्या उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, इस प्रकरण की जांच सी० आई० डी० से कराने के आदेश दिये थे ।

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से प्रार्थनी द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के थाना कोतवाली भिनगा के अन्तर्गत चहलवा वन चौकी पर हुई हत्या में निर्दोष लोगों को अभियुक्त बनाये जाने की शिकायत

55–श्री छोटे लाल यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 2-10-93 को थाना कोतवाली भिनगा जनपद बहराइच के अन्तर्गत चहलवा वन चौकी पर हुई श्री राजेश श्रीवास्तव रेन्जर एवं श्री सुलेमान वाचर की हत्या में निर्दोष लोगों को अभियुक्त बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त हत्या पर सी० आई० डी० जांच कराई जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी आरक्षित वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा न लागू होना

56–श्री माया शंकर पाठक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित जो व्यक्ति उ० प्र० सरकार की सेवा में कार्यरत हैं क्या उनकी प्रोन्नति में वही नियम लागू करने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है जो नियम अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर लागू होते हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य किसी आरक्षित वर्ग को प्रोन्नतियों में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

मेसर्स अहमद हुसैन दिलदार हुसैन प्रा० लि० अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ के सेवायोजकों द्वारा डेढ़ वर्ष से ताला बन्दी के कारण श्रमिकों को हुई असुविधा की जानकारी

57–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स अहमद हुसैन दिलदार हुसैन प्रा० लि० अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ के सेवायोजकों द्वारा डेढ़ वर्ष से तालाबन्दी के दौरान तीन मजदूर श्रीमती शकुन्तला, दीन मोहम्मद तथा अहमद बक्श के इलाज के लिए पैसे न होने के कारण मृत्यु हो गयी है ? क्या श्रीमती रमादेवी चिकित्सा के अभाव में तथा पैसा न होने के कारण मरने के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मरे हुए लोगों के वारिस को भविष्य निधि बीमा एवं ग्रेच्युटी का पैसा दिलाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेसर्स अहमद हुसैन दिलदार हुसैन प्रा० लि० अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ के सेवायोजकों ने प्रतिष्ठान में दिनांक 30-7-92 से तालाबन्दी घोषित कर रखी है । प्रतिष्ठान की श्रमिक, श्रीमती शकुन्तला देवी को तालाबन्दी से पूर्व दिनांक 27-7-92 से 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था एवं श्रीमती शकुन्तला को अपने समस्त विधिक देयों का भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं । कर्मचारी, श्री दीन मुहम्मद ने स्वेच्छा से माह अप्रैल, 1992 में त्याग पत्र देकर अपने विधिक देयों का आंशिक भुगतान भी प्राप्त कर लिया था ।

शेष भुतान प्राप्त करने हेतु वे तब से उपस्थित नहीं हुये हैं । सेवायोजक उनके उपस्थित होने पर शेष भुगतान करने को तैयार हैं । इसी प्रकार कर्मचारी, श्री अहमद बक्श ने भी जुलाई, 1992 में त्याग

पत्र देकर अपना समस्त विधिक भुगतान प्राप्त कर लिया है । श्रीमती रमा देवी अभी भी कारखाने की सेवा में हैं किन्तु तालाबन्दी के कारण इन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है । उक्त तीन श्रमिकों की मृत्यु तथा श्रीमती रमा देवी की बीमारी के सम्बन्ध में उपालम्भी यूनियन तथा सेवायोजकों द्वारा इनके पते उपलब्ध न कराये जाने के कारण कोई जानकारी नहीं है । उक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि व बीमा का लाभ क्रमशः आयुक्त, भविष्य निधि तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम से आवेदन कर प्राप्त किया जाता है । ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु विहित प्राधिकारी आनुतोषिक भुगतान एवं उप श्रमायुक्त, लखनऊ के समक्ष दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

मेसर्स अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन प्रा० लि० अब्दुल अजीज रोड लखनऊ के सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान बन्द करने की घोषणा करके अवैधानिक उत्पादन अन्य कर्मचारियों से कराने की शिकायत

58–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि अहमद हुसैन दिलदार हुसैन प्रा० लि०, अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ के सेवायोजकों द्वारा डेढ़ वर्ष से अधिक समय से प्रतिष्ठान में तालाबन्दी कर इस दौरान अनुचित और अवैधानिक उत्पादन कराया जा रहा है ? क्या यहां के सभी कर्मचारियों को तालाबन्दी के समय कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की जा रही है तथा गरीब भुखमरी के कगार पर हैं तथा उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है ? यदि हां, तो मजदूरों के आर्थिक सहायता हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मे० अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन प्रा० लि० अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ के सेवायोजकों ने अपने प्रतिष्ठान में दिनांक 30-7-92 से तालाबन्दी घोषित कर रखी है । इस तालाबन्दी के कारण प्रतिष्ठान में उत्पादन प्रक्रिया पूर्णतया बन्द है और किसी भी प्रकार का अवैधानिक उत्पादन नहीं किया जा रहा है ।

तालाबन्दी की अवधि में वर्तमान श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

तालाबन्दी समाप्त कराने एवं श्रमिकों की कठिनाइयों के सामाधान कराने हेतु श्रमिकों व सेवायोजकों के मध्य कई चक्रों में वार्ता कराई गई और तालाबन्दी समाप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु कोई हल नहीं निकला । अतः तालाबन्दी का विवाद नियमानुसार औद्योगिक न्यायाधिकरण (द्वितीय), लखनऊ को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया है ।

पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीणों की मांग व जिम्मेदारी पर गाय/भैंसा सांड़ उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

59–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग द्वारा गाय साड़ों को गांव में आवारा रूप में छोड़ दिया जाता है ? क्या यह सही है कि इन साड़ों द्वारा कृषकों की फसल को अपार क्षति पहुंचती है ? क्या सरकार इन गाय साड़ों को किसी एक व्यक्ति के अधिकार में सौंपने का विचार कर रही है ?

श्री मनोहर लाल–

विभाग द्वारा उन दुरस्थ ग्रामीण अंचलों में जहां पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर ग्रामीणों की मांग पर रुपये 150 के अंशदान पर गाय/भैंसा सांड़ उपलब्ध कराये जाते हैं । जिस

व्यक्ति को सांड़ उपलब्ध कराया जाता है उससे एक अनुबन्ध पत्र भराया जाता है । जिसके अन्तर्गत सुनिश्चित कर लिया जाता है कि सांड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी । बीमार होने पर निकटतम पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सक को सूचित किया जायेगा यह सम्बन्धित व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि सांड़ द्वारा किसी कृषक की फसल को नुकसान न पहुंचाये । सांड़ विभाग द्वारा स्वयं नहीं छोड़े जाते हैं वरन ग्रामीणों की मांग व उनकी जिम्मेदारी पर अंशदान पर छोड़े जाते हैं ।

60–श्री रमेश कान्त लवानियां–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर के थाना बिरनो में थानाध्यक्ष व एस० आई० की पिटाई से श्री जर्नादन यादव की मृत्यु की सी० आई० डी० जांच

61–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में दि० 25/26-4-94 को थाना बिरनो के थाना अध्यक्ष व एस० आई० ने जनार्दन यादव नामक युवक की थाने में पीट-पीट कर हत्या कर दी जिसकी प्राथमिकी 27-4-94 को बिरनो थाने में दर्ज की गई है ? क्या इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच ए० डी० एम० गाजीपुर के द्वारा की गई ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए और किन कारणों से हत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनार्दन यादव की दिनांक 25/26-4-94 को थाना बिरनो में मृत्यु हुई थी । इस घटना के कारणों की जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गई है ।

जी हां । अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

जांच से प्रथम दृष्टया जनार्दन यादव की मृत्यु का दायित्व कतिपय पुलिस कर्मियों पर भी जाता है । इस घटना की और गहराई से सूक्ष्म जांच किये जाने की संस्तुति की गई है । जिसके क्रम में इस घटना की जांच सी० आई० डी० को तथा प्रशासनिक जांच मण्डलायुक्त वाराणसी को सौंप दी गई है । जांच के उक्त पुलिस कर्मियों को सिविल पुलिस से हटा कर दूरस्थ तैनात करने के भी आदेश दे दिये गये हैं ।

समूह 'क' के अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का अधिकार मण्डलायुक्तों को दिये जाने की मांग

62–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3,000–4,500 तथा 3,700–5,000 वेतनमान वाले श्रेणी "क" के अधिकारियों को मण्डल में स्थानान्तरित करने का अधिकार शासन द्वारा मण्डलायुक्तों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रुपये–3000–4500 वेतनमान तक के अधिकारियों के स्थानान्तरण के अधिकार विभागाध्यक्षों को देने के संबंध में दिनांक 15-4-93 के परिपत्र द्वारा समस्त विभागों को निर्देश/सुझाव जारी किए जा चुके

हैं। उक्त अधिकारों के प्रतिनिधायन के लिए प्रत्येक विभाग यथावश्यक पृथक-पृथक आदेश जारी करेंगे। उपर्युक्त को देखते हुए रुपये–3000-4500 तथा रुपये–3700–5000 वेतनमान के अधिकारियों के स्थानान्तरण का अधिकार मण्डलायुक्तों को देने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश के पुलिस विभाग में आरक्षित श्रेणी के समूहवार रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

63–डा० राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने अनु० जाति जनजाति के आरक्षित पद क्लास 1,2,3 के पुलिस विभाग में रिक्त हैं ? क्या सरकार उन्हें विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के पुलिस विभाग में आरक्षित श्रेणी के समूहवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

समूह "एक"	41
समूह "दो"	77
समूह "तीन"	2111

एस० आई० (एम)/स्टेनो के 75 आरक्षित पदों को भरने के लिये विशेष चयन की कार्यवाही प्रचलित है। शेष रिक्तियों के बारे में सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सचिवालय कालोनियों में अन्य कालोनियों की भांति गैराज बनाये जाने की मांग

64–श्री रणधीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, सेक्टर–डी, जानकीपुरम्, अलीगंज, लखनऊ में बनायी गयी श्रेणी–2 के 72 फ्लैटों में भी अन्य कालोनियों की भांति गैराज बनाये जाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। लोक निर्माण विभाग को विशिष्टयों के अनुसार अनुमन्य नहीं है।

राजकीय सचिवालय कालोनियों में अन्य कालोनियों की भांति वाशबेसिन लुकिंक मिरर आदि की सुविधा प्रदान करने की मांग

65–श्री रणधीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, सेक्टर–डी, जानकीपुरम्, अलीगंज, लखनऊ में श्रेणी–2 के 72 फ्लैटों में अन्य समकक्ष कालोनियों की भांति वाशबेसिन तथा लुकिंग मिरर लगाये जाने हेतु पिछले वित्तीय वर्ष में ही धन आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो क्या आवंटित धन से उपरोक्त कार्य सम्पन्न हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। लोक निर्माण विभाग की विशिष्टयों के अनुसार अनुमन्य नहीं है।

जिला उन्नाव, ग्राम-देवरिया, थाना बांगरमऊ के श्री खुशीराम पुत्र श्री रामलाल (चमार) के यहां हुई लूट-पाट की शिकायत तथा जानमाल की सुरक्षा की मांग विषयक पुलिस अधीक्षक को प्रेषित याचना पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

66–डा० सियाराम सागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुशीराम पुत्र श्री राम लाल अनुसूचित जाति (चमार) निवासी, ग्राम देवरिया थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-5-94 को पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस आशय का दिया था कि उनहीं के गांव के सवर्ण लोग श्री अनिल कुमार सिंह (रामू) आदि ने दिनांक 21-5-94 को उनके पिता राम लाल को बुरी तरह पीटा तथा घर के बर्तन जेवर व 5,000 रु० नकद लूट ले गये ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही अब तक हुई ? क्या यह सही है कि अभी भी उक्त सवर्ण आये दिन श्री राम लाल से मारपीट करके आतंक मचाये हुए हैं ? क्या उक्त श्री राम लाल की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जानमाल की रक्षा के लिये तथा मुल्जिमों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, श्री खुशीराम पुत्र श्री रामलाल द्वारा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को दिनांक 22-5-94 को प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें पूर्व की मारपीट की घटना एवं घर का खाने पीने का सामान उठा ले जाने का उल्लेख किया गया था । चोरी अथवा लूट की घटना का उल्लेख नहीं किया गया था ।

प्रार्थना पत्र की जांच कराई गयी जांच से प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रार्थना पत्र के जांच से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया था ।

श्री खुशीराम व उसके परिवारजनों की सुरक्षा हेतु थाना प्रभारी बांगरमऊ को निर्देश दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के थाना भेलूपुर के एस० आई० चौहान के खिलाफ एस० एस० पी० वाराणसी को वकील द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

67–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विमल प्रसाद सिंह, एडवोकेट, कमच्छा, थाना भेलूपुर, जिला वारणसी ने थाना भेलूपुर वाराणसी में एक एस० आई० चौहान के खिलाफ एस० एस० पी० वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है और मुख्य मंत्री के नाम के प्रार्थना-पत्र को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ दि० 10-5-94 को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त एस० आई० को तुरन्त वहां से हटा देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच आदेशित की गयी है ।

आर० डी० चौहान, उप निरीक्षक, थाना भेलूपुर को स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

68–श्री लाल मणि प्रसाद–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

69–श्री लाल मणि प्रसाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

70–श्री लाल मणि प्रसाद–

[3रे मंगल के लिए स्थगित]

जनपद एटा में माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1994 में जिलाधिकारी द्वारा आग्नेयास्त्रों का माहवार लाइसेंस देने के विवरण की जानकारी

71–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले में फरवरी, मार्च, तथा अप्रैल, 1994 में जिलाधिकारी द्वारा आग्नेयास्त्रों के माहवार कितने-कितने लाइसेंस दिये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद एटा में माह फरवरी, 1994 में 942 तथा माह मार्च, 1994 में 1843 लाइसेंस निर्गत किये गये । माह, अप्रैल, 1994 में कोई लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया ।

जनपद सुल्तानपुर के पुलिस स्टेशनों पर आरक्षण के आधार पर थानाध्यक्ष एवं सहायक निरीक्षक के पदों को भरे जाने की मांग

72–श्री अब्दुल रईस–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में जितने पुलिस स्टेशन हैं, क्या उसमें आरक्षण के आधार पर थानाध्यक्ष एवं सहायक निरीक्षक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक आरक्षण का कोटा पूरा हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सहायक निरीक्षक का कोई पद नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

फैजाबाद मण्डल के जनपदों में आपराधिक प्रवृत्ति के थानाध्यक्षों की संख्या तथा उनके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की जानकारी

74–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद मण्डल के किन-किन जनपदों में कितने ऐसे पुलिस सब-इन्सपेक्टर हैं, जिन पर भा० दण्ड संहिता की धारा 302/304 इत्यादि तरह के अपाराधिक मुकदमें

विचाराधीन है ? उनके नाम क्या हैं और किस जनपद के किस थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष के रूप में तैनात हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसे गम्भीर अपराधों में पंजीकृत पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाये जाने का कारण क्या है ? थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने हेतु क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ? क्या उन मापदण्डों के अनुरूप थानाध्यक्षों को नियुक्ति किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के थानाध्यक्षों को तत्काल हटाने की सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोपन अनुभाग में सृजित पदों पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

75–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपन अनुभाग में कितने पद सृजित है ? उनमें सामान्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या कोटा पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोपन के 09 अनुभागों में कुल 100 पद सृजित हैं, जिनके विरुद्ध सामान्य श्रेणी के 66, पिछड़ी जाति के 22 तथा अनुसूचित जाति के 12 कर्मी कार्यरत हैं ।

पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा उत्तर प्रदेश सचिवालय के किसी अनुभाग अथवा शाखा के पदों पर नहीं अपितु संबंधित संवर्ग में केन्द्रीयत आधार पर लागू होता है । अतः गोपन अनुभाग में सृजित पदों पर पृथक से आरक्षण कोटा लागू नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के सृजित पदों पर पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

76–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उनमें सामान्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या शासन द्वारा कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सम्पत्ति विभाग में कुल 1168 पद सृजित हैं ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों की संख्या क्रमशः 626, 176 एवं 241 है । जी नहीं । आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये

गये शासनादेशों के तहत राज्य सम्पत्ति विभाग में पिछड़े व अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित कोटा पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

77–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं । उसमें सामान्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार द्वारा कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यरत हैं । राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय में कुल सृजित पदों की संख्या 91 है । इनमें से वर्तमान में सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के क्रमशः 33,15 व 15 लोग कार्यरत हैं । जो पद रिक्त हैं उनमें आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों श्रेणी के पद हैं और उन पर आरक्षण संबंधी प्राविधानों के अनुसार चयन कराने के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे जा चुके हैं ।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत कुल सृजित पदों की संख्या–20 है । इनमें से वर्तमान में सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमशः 10, 3 व 2 व्यक्ति कार्यरत हैं । समूह ''क'' व समूह ''ख'' में कुल चार अधिकारी वर्तमान में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य कर रहे हैं ? जो पद रिक्त हैं उनमें आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों ही श्रेणी के पद हैं और उन पर आरक्षण संबंधी प्राविधानों के अनुसार चयन कराने के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अधियाचन भेजा जा चुका है ।

भरे हुए पदों के सापेक्ष्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है । रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे जा चुके हैं जिसमें उक्त वर्गों के लोगों को अनुमन्य आरक्षित पदों को सम्मिलित कर लिया गया है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्ति विभाग में सृजित पदों पर पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

78–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्ति विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें सामान्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी हैं ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार द्वारा कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नियुक्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन सेवाओं के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 159 पर)

जनपद गोरखपुर की मुण्डेरा बाजार, ब्लाक सरदार नगर में स्थित रीवो गैस कम्पनी प्राइवेट लि० में ज्वलनशील गैस से अपंग हुए दो श्रमिकों को भरण पोषण एवं सेवा में लिये जाने की मांग

79–बेचन राम–

क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा मुण्डेरा बाजार, ब्लाक-सरदार नगर, गोरखपुर में रीवो गैस कम्पनी प्रा० लि० देवीपुर है ? यदि हां, तो उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कम्पनी में नर्वदा तथा बृज बिहारी नामक व्यक्ति कार्यरत रहे, जो ड्यूटी के दौरान ज्वलनशील गैस से जलकर अपंग हो गये थे ? क्या उक्त कम्पनी ने उनके जीवन निर्वाह के लिये कोई अर्थिक धनराशि प्रदान की है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसी क्रम में यह भी बतायेगी कि उक्त नर्वदा तथा बृज बिहारी को पुनः यथा योग्य कम्पनी सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नगत कम्पनी में कार्यरत कर्मचारी की संख्या 35 है ।

जी हां । परन्तु प्रश्नगत दोनों श्रमिक ज्वलनशील गैस से जलकर अपंग नहीं हुये बल्कि ट्रक से आक्सीजन गैस के सिलेन्डर को अनलोड करते समय एक सिलन्डर का सेफ्टी वाल्व टूट जाने के कारण उससे निकली गैस के झोंके (दबाव) से श्री नर्वदा का दाहिना पैर एवं बृज बिहारी का बांया पैर और दाहिना हाथ टूट (फ्रक्चर) हो गया । जी नहीं । उक्त दोनों श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमांकित हैं । उक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त श्रमिकों को सेवा में रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान का है । संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा बताया भी गया है कि उन्हें सेवा में पुनः रखने का प्रश्न उनके स्वथ्य होने तथा उनकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर है । श्रमायुक्त को वांछित निर्देश दे दिये गये हैं ।

80–श्री हरक सिंह रावत–

[2रे बुध में अता० प्र० सं० 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रम विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

81–लाल मणि प्रसाद–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग के कितने पद सृजित है ? उसमें सामान्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या सरकार द्वारा कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रम विभाग (अधीनस्थ कार्यालयों) में कुल 16,338 पद सृजित हैं जिनमें सामान्य श्रेणी के 9062, पिछड़ी जाति के 2233 तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के 2472 व्यक्ति कार्यरत हैं। शेष पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम भावलखेड़ा के निवासियों द्वारा नागालैण्ड से शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने के कारणों की जानकारी

82–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भावलखेड़ा, (जनपद शाहजहांपुर) में कुल कितने लोग ऐसे हैं, जिनके पास नागालैण्ड से शस्त्र लाइसेन्स जारी किया गया है ? शाहजहांपुर के मूल निवासी इन लोगों को शाहजहांपुर से शस्त्र लाइसेन्स क्यों नहीं दिया गया है ? क्या इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है ? क्या मंत्री जी ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने गलत सूचना के आधार पर लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

5 (पांच)

इनमें से केवल एक व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया था जो आवश्यकता प्रमाणित न होने के कारण निरस्त कर दिया गया।

तीन लोगों का अपराधिक इतिहास है।

गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त लाइसेंसों के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद सुल्तानपुर में खण्डासा थानान्तर्गत मखौली गांव में आपसी रंजिश में हुई अग्नि काण्ड में जिन्दा जली दो महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की मांग

83–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1994 में खण्डासा थानान्तर्गत मखौली गांव के मजरे भूले, सुल्तानपुर में घटित घटना में श्री सहदेव सिंह के परिवार की दो महिला जिन्दा जलाकर

मार डाली गयी थी ? क्या पूरा घर जला कर राख कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रशासन द्वारा आहत परिवार को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

यह अग्नि काण्ड की घटना आपसी रंजिश के कारण घटित हुई थी जो शासनादेश के अनुसार दैवीय आपदा की परिधि में नहीं आती जिसके कारण कोई राहत नहीं दी गई ।

जनपद रायबरेली के थाना सलोन में दर्ज अपराध पर हुई कार्यवाही की जानकारी

84–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना सलोन, जनपद रायबरेली में दिनांक 8 अगस्त, 1991 को अपराध सं० 93/91 धारा 325 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, बल्कि दिनांक 10 अगस्त, 1991 को थाना सलोन जनपद रायबरेली पर मु०अ०सं० 93/91 धारा 325/504 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया था ।

विवेचनोपरान्त दिनांक 7-2-93 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में तलहेड़ी बुर्जुग में नया थाना खोलने की सरकार की योजना की जानकारी

85–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में तलहेड़ी बुर्जुग में नया थाना खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । क्या थाने की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी संस्तुति करके सरकार को भेजी हुई है ? यदि हां, तो यह नया थाना सरकार कब तक खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में थाना कुरारा में जातीय हिंसा में लिप्त सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

86–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या सरकार जनहित में आपसी रंजिश की घटनाओं को जातीय हिंसा का रूप देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या ऐसी घटनाओं की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराई जायेगी ? क्या 44/94 थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर की घटना जातीय हिंसा का परिणाम थी ? यदि नहीं, तो सरकार ने जनहित में जातीय हिंसा का रूप देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

ऐसी घटनाओं की जांच विवेचना मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष के आधार पर सी०बी०, सी०आई०डी० से कराई जाती है ।

प्रश्नगत घटना आपसी रंजिश के कारण हुई थी । अभियोग मु०अ०सं० 44/94 में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । शासन द्वारा प्रश्नगत अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को दिनांक 18-5-94 को अभिदिष्ट की जा चुकी है ।

प्राप्त सूचनानुसार इस संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष कुरारा श्री रामनाथ सिंह यादव को लापरवाही, शिथिलता बरतने के आरोप में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर द्वारा निलम्बित किया गया । तदुपरान्त उक्त थानाध्यक्ष श्री यादव ने मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । इस प्रकार श्री यादव का प्रकरण वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

87–श्री माया शंकर पाठक–

[1ले बुध० में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नये उद्योगों के लगाने अथवा पुराने उद्योगों के विस्तारीकरण में पर्यावरण के प्रभाव को रोकने हेतु सरकार के उपायों की जानकारी

88–श्री गोपाल काली तथा डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नये उद्योग लगाने हेतु अथवा हेतु अथवा पुराने उद्योगों की क्षमता का विस्तारीकरण करने के लिये उद्योगों द्वारा कराये गये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की जांच हेतु कोई तकनीकी समिति शासन द्वारा गठित की गयी है ? यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वर्तमान में उद्योगों द्वारा कराये गये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की जांच भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1985 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण निदेशालय द्वारा की जाती है । स्थल उपयुक्तता के सम्बन्ध में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संस्तुति निदेशालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है । तत्पश्चात बोर्ड द्वारा जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रस्ताव का परीक्षण कर उद्योग की स्थापना अथवा विस्तारीकरण हेतु अनापत्ति जारी की जाती है ।

भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, 1994 की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं व उद्योगों की स्थापना का विस्तारीकरण हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है तथा इस हेतु प्राप्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आख्या की जांच हेतु एक अभिकरण गठित की गयी है जो कि आवश्यकतानुसार अनुसूची–3 में वर्णित तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ले सकती है ।

हस्तिनापुर जनपद मेरठ स्थित मदन सूत मिल के बन्द होने से प्रभावित हजारों मजदूरों के जीवन यापन की समस्या

89–श्री गोपाल काली–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि हस्तिनापुर जनपद मेरठ स्थित मदन सूत मिल पिछले कई वर्षों से बन्द होने के कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं ? तो उक्त मिल बन्द होने के क्या कारण हैं ? क्या मिल पुनः चालू करवाने के लिये शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मेसर्स मदन इण्डस्ट्रीज लि० हास्तिनापुर (मेरठ) दिनांक 8-8-84 से बन्द है जिसके फलस्वरूप लगभग 1200 मजदूर प्रभावित हुए हैं ।

प्रतिष्ठान में वित्तीय संकट के कारण उक्त मिल बन्द है ।

जी नहीं, क्योंकि औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण (भारत सरकार) नई दिल्ली ने उक्त प्रतिष्ठान की वित्तीय व प्रबन्धकीय स्थिति को देखते हुये दिनांक 26-4-90 को इसका समापन करने का निर्णय दिया है । इसके विरुद्ध की गयी अपील भी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 13-5-93 को निरस्त कर दी गई है ।

यू०पी० ड्रग हाउस प्राइवेट लि० लखनऊ को पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ एवं डिप्टी डायरेक्टर सघन पशु विकास परियोजना लखनऊ द्वारा आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई आदेश न दिया जाना

90–श्री सतीश भटिया–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन विभाग में फर्म यू० पी० ड्रग हाउस, प्रा० लि०, लखनऊ द्वारा डिप्टी डायरेक्टर, पशुपालन विभाग, लखनऊ को उनके आदेश पर, फर्म द्वारा बीजक सं० 43/यू० पी०जी०/41 दिनांक 12-3-93 को वास्ते सं० 189-00 तथा डिप्टी डायरेक्टर, सघन पशु विकास परियोजना, लखनऊ को उनके आदेश पर बीजक संख्या 43/यू० पी० जी०/15 दिनांक 9-9-92 वास्ते

रु० 982.00 और मुख्य वेटनरी अधिकारी देहरादून के आदेश पर इसी फर्म द्वारा बीजक क्रम 43/यू०पी०जी/1 तथा 40 दिनांक 25-2-93 को रु 1,134.00 की आपूर्ति की गयी है ? यदि हां, तो इसका भुगतान कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

यू०पी० ड्रग हाउस, प्रा० लि० लखनऊ को पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग, लखनऊ एवं डिप्टी डायरेक्टर सघन पशु विकास प्रायोजन, लखनऊ द्वारा कोई आदेश आपूर्ति के सम्बन्ध में नहीं दिया गया और न ही उनके बीजक संख्या–43/यू०पी०जी०/41 दिनांक 12-3-93 वास्ते रुपया 187.00 तथा बीजक संख्या–43/यू०पी०जी०/15 दिनांक 9-9-92 वास्ते रु० 982.00 ही प्राप्त हुये । अतः भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता । बीजक संख्या–43/यू०पी०जी० तथा 40 दिनांक 25-2-93 वास्ते रु० 1134.00 के भुगतान के सम्बन्ध में मुख्य वेटनरी अधिकारी देहरादून से स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर थाना गौरीगंज में बस स्टेशन पर घटित घटना में नामजद अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग

91–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-5-94 को थाना गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में बस स्टेशन पर घटित घटना की नामजद दर्ज रिपोर्ट अ० सं०–197/94 धारा–147/148/ 149/452/ 323/506 पर अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ? तो रिपोर्ट में दर्ज कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत अपराध संख्या में सम्यक विवेचना की गयी । इस मुकदमें में 9 अभियुक्त नामजद थे, 5 अभियुक्त विवेचन से प्रकाश में आये इस प्रकार कुल 14 अभियुक्तों में से 6 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किये गये । शेष 8 अभियुक्तों (3 नामजद और 5 विवेचना से प्रकाश में आये) वे न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया । दिनांक 23-6-94 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागारों में शासन की नीति के अनुसार पाकशाला प्रबन्धक के स्वीकृत पद में कार्यरत प्रबन्धक को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की मांग

92–श्री तेजभान सिंह–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कारागारों में शासन की नीति के अनुसार पाकशाला प्रबन्धक का पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उनको पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां,

तो जनपद सुल्तानपुर की जिला कारागार में नियुक्त पाठशाला प्रबन्धक को कौन सा वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जिला कारागार सुल्तानपुर में ही पाठशाला प्रबन्धक का मात्र एक पद स्वीकृत है जिसे अभी तक पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है । इनके वेतनमान के पुनरीक्षण की कार्यवाही शासन में विचाराधीन है ।

विभिन्न जनपदों में पुलिस की कस्टडी में मृत व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की जानकारी

93–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से अब तक पुलिस कस्टडी में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ? किन-किन जनपदों में पुलिस की मार कस्टडी में मृत्यु हो जाने की दशा में पुलिस के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये ? जिनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुए उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया गया ? कितनों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दुग्ध विकास विभाग में सृजित पदों पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

94–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित है ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विभाग के लिये सृजित (आस्थगित, भिन्न संवर्ग के तथा एकल पदों को छोड़ते हुये) पदों की संख्या तथा उनके समक्ष रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :

	दुग्ध विकास विभाग	प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि०	राज्य दुग्ध परिषद्
सृजित पद	881	2538	33
रिक्त पद	178	–	7

भरे हुये पदों के समक्ष सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या निम्नवत् है :

	दुग्ध विकास विभाग	प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि०	राज्य दुग्ध परिषद्
सामान्य	384	1269	21
पिछड़े	199	685	5
अनुसूचित जाति	177	533	3

जी नहीं ।

चयन करके कोटा पूरा करने का सक्रिय प्रयास किया जा रहा है ।

अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा नहीं हो सका । अतः कोटा पूरा न करने के सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्टार पेपर मिल्स लि० सहारनपुर के मैनेजमेन्ट द्वारा मिल्स चीफ सेफ्टी आफिसर को मनमाने ढंग से हटाये जाने का मामला

95–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर के मैनेजमेन्ट ने मिल्स चीफ सेफ्टी आफिसर को मनमाने ढंग से उनके पद से हटाकर अन्य पद पर रख दिया है ? क्या बिना किसी सूचना के एक अन्य अप्रशिक्षित (अनट्रेन्ड) को उक्त पद पर आसीन कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह उ० प्र० फैक्ट्रीज (सैफ्टी आफिसर) नियमों–1984 के अन्तर्गत अनियमितता है ? यदि हां, तो सरकार इन अनियमितता के लिये दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984 के नियम 12 के अनुसार मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति व हटाये जाने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के अध्यासी (आकुपायर) का है । उक्त कारखाने में कार्यरत मुख्य सुरक्षा अधिकारी को हटाये जाने का मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है तथा मा० न्यायालय द्वारा उक्त मामले में स्थगनापारित किये जाने के बारे में सूचित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

96–श्री बलेश्वर त्यागी–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजियाबाद के चौकी जी०आर०पी० हापुड़ में सवेश कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश दोभी थाना बाबूगढ़ में चलती ट्रेन में हुई घटना के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही की जानकारी

97–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-2-94 को चौकी जी०आर०पी० हापुड़ जनपद गाजियाबाद पर सवेश कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश दोभी थाना बाबूगढ़ जनपद गाजियाबाद ने चलती ट्रेन 1 एन०डी०एच० नई दिल्ली-हापुड़ शटल में घटी घटना के संबंध में धारा 395/397 भा०दं०स० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

थाना जी०आर०पी० गाजियाबाद पर मु०अ०सं०–30/94 धारा 395/397 भा०दं०वि० के अधीन पंजीकृत किया गया है । अभियोग की विवेचना से घटना डकैती की न होकर मारपीट का होना पाया गया । अतः अभियोग धारा 395/397 भा०दं०वि० से धारा 147/148/323/324/307 भा०दं०वि० 141/145 रेलवे ऐक्ट में परिवर्तित किया गया दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । 21 अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया, उन्हें भी जेल भेज दिया गया । उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं । अभियोग न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है ।

जिला वाराणसी के काशी विश्वनाथ मन्दिर में चढ़ावा आदि के आय व्यय की विस्तृत जानकारी

98–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के अधिग्रहण के बाद से अब तक चढ़ावा के रूप में कितनी धनराशि, सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं प्राप्त हुई हैं ? मन्दिर के विकास तथा तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु कौन से कार्य किये गये और उन पर कितना व्यय हुआ ? मन्दिर हेतु कुल कितने कर्मचारी हैं और उन पर कितना व्यय होता है ? क्या उनके लिए कोई सेवा नियमावली है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 31 मार्च, 1994 तक के प्राप्त सम्परीक्षित आंकड़ों के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर से अब तक कुल रु० 1,36,42,681.51 पै० मात्र की आय निम्नवत् प्राप्त हुई :

(क) सोना	1,206.350 ग्राम
(ख) चांदी	57,028.000 ग्राम
(ग) सिल्वर आर्टिकल	524.000 ग्राम
(घ) चांदी के सिक्के	981.87 ग्राम
	(91.60% शुद्धता)

(ङ) –तदैव	147.50 ग्राम (50% शुद्धता)
(च) प्राइमरी सोना	10.85 ग्राम
(छ) गिन्नी मोहर $7\frac{1}{4}$	57.950 ग्राम

मन्दिर के विकास हेतु अब तक सन्यासी कक्ष एवं कार्यालय तथा निवास कक्ष का निर्माण कराया गया । सुप्रभातम् का नियमित गायन, मन्दिर की ओर से प्रतिदिन लगभग 50 तथा प्रत्येक सोमवार को लगभग 100 व्यक्तियों को भोजन, जिसमें तीर्थ यात्री भी सम्मिलित हैं, कराया जाता है । प्रश्नगत निर्माण कार्यों पर दिनांक 31 मार्च, 1994 तक कुल रु० 17,24,904.15 पै० व्यय हुए ।

कुल 36 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं जिन पर अधिग्रहण के दिनांक से 31 मार्च, 1994 तक कुल रु० 32,47,325.65 पैसे व्यय हुए ।

जी नहीं ।

पूर्व महन्तों ने मन्दिर के अधिग्रहण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है । उक्त पृष्ठभूमि में मन्दिर की न्यास परिषद् ने सेवा नियमावली बनाना उचित नहीं पाया ।

पुलिस थानों/चौकियों में नियुक्ति निरीक्षक/उपनिरीक्षक को दिया जाने वाला मोटर साइकिल एलाउन्स एवं वर्दी भत्ता महंगाई के अनुपात में बढ़ाये जाने की मांग

99–डा० राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोटर साइकिल एलाउन्स व पुलिस वर्दी भत्ता पुलिस कर्मियों को कितना दिया जाता है ? क्या सरकार महंगाई बढ़ने के अनुपात में इसे बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? सी०आई०डी० इन्सपेक्टर को उक्त एलाउन्स कितना मिलता है ? क्या सरकार इसे रु० 1,000 प्रतिमाह करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के थानों/चौकियों पर नियुक्त उप निरीक्षक/उप निरीक्षक को रुपया 120/- प्रतिमाह की दर से मोटर साइकिल भत्ता एवं प्रत्येक पांच वर्ष में रुपया 500/- वर्दी भत्ता दिया जाता है ।

मोटर साइकिल एलाउन्स का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सी० आई० डी० इन्सपेक्टरों को मोटर साइकिल भत्ता नहीं दिया जाता है ।

पुलिस वर्दी भत्ता बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

अपर मजिस्ट्रेट श्री टी० एन० सिंह द्वारा वर्ष 1993 के मध्यावधि चुनाव की अपेक्षा वर्ष 1991 के मध्यावधि लोक सभा/विधान सभा के चुनाव में किये गये कार्य की जानकारी

100–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1991 मध्यवर्ती चुनाव में लोक सभा/विधान सभा चुनाव संचालन हेतु तत्कालीन अपर मजिस्ट्रेट श्री टी०एन० सिंह गोण्डा ने विगत वर्ष 1993 के मध्यावधि विधान सभा चुनाव की तुलना में अधिक मोटर वाहन लगाकर चुनाव संचालन का कार्य दिखाया था जबकि विगत वर्ष 1993 में मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा ने जनपद के 11 विधान सभा क्षेत्रों में कम संख्या में आवश्यकतानुसार मोटर वाहन का संचालन किया था ? क्या वर्ष 1991 के मध्यवर्ती चुनाव में अधिक खर्च 1993 के मध्यवर्ती चुनाव में कम खर्च किया गया है ? यदि हां, तो सरकार तत्कालीन

अपर जिला मजिस्ट्रेट परियोजना के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या पूरे प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से करायी जायेगी और अपर जिला मजिस्ट्रेट को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1991 में मध्यावधि चुनाव लोक सभा एवं विधान सभा का एक साथ कराये गये थे । तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० श्री राजीव गांधी के आकस्मिक निधन के कारण मतदान की तिथि 25-5-91 परिवर्तित होकर 15-6-91 नियत की गई जिसके कारण निर्वाचन व्यवस्था दो बार करनी पड़ी । उक्त चुनाव में निर्वाचन निदेशालय द्वारा कुल स्वीकृत 630 भारी वाहन का ही उपयोग किया गया । अतः आवश्यकता से अधिक वाहन का प्रयोग करने एवं अत्यधिक व्यय करने का आरोप श्री टी०एन० सिंह तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (परियोजना) गोण्डा के विरुद्ध नहीं बनता है ।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता है ।

सचिवालय स्तर पर प्रशासन को चुस्त तथा निष्पक्ष बनाये रखने के लिए अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

101–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय स्तर पर प्रशासन को चुस्त तथा निष्पक्ष बनाये रखने के लिए अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो एक व्यक्ति को कितने वर्ष तक एक अनुभाग में रखा जा सकता है ? क्या निर्धारित व्यवस्था का पूर्ण पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार कब तक इस व्यवस्था का अनुपालन करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 25 जून, 1992 को जारी स्थानान्तरण नीति विषयक आदेश के अनुसार अनुभाग अधिकारी को सामान्यतः एक अनुभाग में चार वर्ष तक तैनात रखा जा सकता है । जी हां । कतिपय मामलों में प्रशासनिक आधार पर अपवाद स्वरूप उक्त नीति में शिथिलीकरण प्रदान किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पशु चिकित्सा (द) श्रेणी को खोलने एवं पशु चिकित्सालय (द) श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्रों के सृजन का तुलनात्मक विवरण

102–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या पशुधन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय (द) श्रेणी तथा पशु औषधालय खोलने का मानक क्या है ? इन संस्थाओं पर अलग-अलग

कितना बजट खर्च होता है ? क्या शासन द्वारा पशु चिकित्सा (द) श्रेणी व पशु औषधालयों का सृजन बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1981 से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उक्त तीनों संस्थाओं के सृजन का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

श्री मनोहर लाल–

वर्तमान में 30 हजार पशुओं की आबादी पर एक पशु चिकित्सालय खोलने का मानक निर्धारित है। "द" श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालय की स्थापना जिला योजना का विषय है जिसमें जिला नियोजन स्थानीय स्तर पर एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। पशु चिकित्सालय, "द'अ श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा सेवा केन्द्र पर अनुमानित व्यय निम्नवत् है :–

संस्था का नाम	अनावर्तक	आर्वतक	योग
1–पशु चिकित्सालय	12.50 लाख	2.20 लाख	14.70 लाख
2–"द" श्रेणी पशु चिकित्सालय	5.00 लाख	1.00 लाख	6.00 लाख
3–पशु सेवा केन्द्र	3.00 लाख	0.70 लाख	3.70 लाख

जी नहीं।

सूचना एकत्र की जा रही है।

103–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

पशु पालन विभाग में 190 वेक्सीनेटर के रिक्त पदों पर हुए साक्षात्कार के परिणाम घोषित करने के बजाय निरस्त करने के कारणों की जानकारी

104–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या पशुधन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में 190 वेक्सीनेटर के रिक्त पदों हेतु मार्च, 93 में साक्षात्कार हुआ था तथा परिणाम घोषित होने के बजाय जुलाई, 93 में उसे निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची कब तक जारी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां।

चयन प्रक्रिया में त्रुटियां एवं माननीय उच्च न्यायालय का आदेश।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कारागार विभाग में पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

105–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

कारागार विभाग में कुल 7336 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 6578 कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनमें 4250 सामान्य 1188 पिछड़ी जाति एवं 1140 अनुसूचित जाति के लोग कार्यरत हैं।

इनमें समूह "क" एवं "घ" के पदों में कोटा पूर्ण है परन्तु समूह "ख" एवं "ग" में इनका कोटा पूर्ण नहीं है। कोटा पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोरक्षा अधिनियम बनने के बाद गौपालन की सरकार की योजना

106–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरक्षा अधिनियम बनने के बाद गौपालन के लिए सरकार की क्या योजना है ? अनुपयोगी गायों के आवारा घूमने तथा उनके द्वारा की जा रही भारी हानियां रोकने की सरकार की क्या योजना है ? सर्वहितकारी समिति रजि० ग्राम अलियासुपुर भांवरा अलीगढ़ में जो गौशाला चला रही है क्या उसने सरकार से आर्थिक सहायता की प्रार्थना की है क्या सरकार इस उचित प्रार्थना पर गौर करके सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

प्रदेश में गोरक्षा हेतु उ०प्र० गोशाला अधिनियम 1964 एवं उ०प्र० गोवध अधिनियम 1955 बना हुआ है। प्रदेश में अनुपयोगी गोवंशीय पशुओं को रखने के लिए 4 राजकीय गोसदन 4 जिला गोसदन एवं एक निजी गोसदन कार्यरत हैं।

आवेदन पत्र दिनांक 31-3-94 को प्राप्त हुआ परन्तु प्रश्नगत गोशाला उ० प्र० गोशाला अधिनियम 1964 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

"भारतीय मूल प्रजातीय देसी सांड़ों के उत्पादन" नामक केन्द्र पोषित योजना में गौशालाओं को वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।

जिला वाराणसी के थाना रोहनियां परिसर में बम विस्फोट से हुई मृत्यु के कारणों की जानकारी

107–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-10-93 को थाना रोहनियां परिसर में बम विस्फोट से लाल जी नामक मजदूर तथा एक राहगीर बुरी तरह से झुलस गये जिसमें लाल जी मजदूर (चमार) थाना चौबेपुर जिला वाराणसी निवासी की मृत्यु हो गयी ? क्या इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अ० शा० पत्र संख्या–35/6-11-94-34 ऐक्यू/94, दिनांक 1-4-94 के द्वारा प्रश्नकर्ता को लिखा है कि इस बम काण्ड की जांच का आदेश जिलाधिकारी, वाराणसी को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी ने उक्त मामले की जांच कर आख्या भेज दी है ? क्या एस० ओ० रोहनियां तथा अन्य पुलिसकर्मी को वहां से हटाया गया ? उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी । बम थाने के अन्दर कहां से आया ? क्या सरकार ने इसका पता लगाया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जांच से प्रकरण में किसी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाया गया । अन्य प्रशासनिक कारणों से तत्कालीन थानाध्यक्ष रोहनियां का स्थानान्तरण हो चुका है ।

बम निरोधक दस्ता द्वारा इस बम को देशी बम होना बताया गया तथा वर्षों पहले जमीन के अन्दर पड़ा होना बताया गया ।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर जो एक धर्मशाला में स्थापित है को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

108–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर का थाना शाहपुर एक धर्मशाला में स्थापित है व थाने द्वारा रास्ते की भूमि पर बैरक आदि का भी निर्माण किया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार का अधिकार पुलिस विभाग को प्राप्त है ? थाने का अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? कब तक थाना अन्यत्र स्थापित हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर का थाना शाहपुर अभी तक एक धर्मशाला में स्थापित है ? थाने का भवन सरकारी न होने के कारण कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ।

थाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर में श्रमिक श्री राजेश्वर पाण्डेय की मृत्यु के कारणों की जानकारी

109–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्टार पेपर मिल्स लि० सहारनपुर में श्रमिक श्री राजेश्वर पाण्डेय की मृत्यु मिल में बराबर बरती जा रही असुरक्षा व पर्यावरण संबंधी अनियमितताओं के कारण हुई है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त अनियमिततायें उप निदेशक व सहायक निदेशक, कारखाना तथा श्रमिकों व सुरक्षा अधिकारियों की बार-बार चेतावनी के बावजूद बराबर जारी है ? क्या सरकार अनियमितताओं के कारण हो रही मौतों को रोकने का कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 24-1-94 को इस कारखाने में एक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई जो कारखाने में स्थापित एक मशीन विशेष पर सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण घटित हुई थी जिसमें श्रमिक श्री राजेश्वर पाण्डे की मृत्यु हो गयी थी । पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में कारखाना प्रबन्धकों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रबन्ध प्रभावी कराये जाने के उद्देश्य से सहायक श्रमायुक्त (कारखाना) द्वारा वर्ष में दो बार एवं उप श्रमायुक्त (कारखाना) द्वारा वर्ष में एक बार कारखाने का निरीक्षण किये जाने के निर्देश हैं । कारखाना अधियिम, 1948 एवं तत्संबधित नियमावली के प्राविधानों को प्रभावी ढ़ंग से लागू किये जाने हेतु निरीक्षण एवं अभियोजन की कार्यवाही हेतु पुनः निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्टार पेपर मिल्स लि० सहारनपुर में श्रम कल्याण अधिकारी के पद को पूर्ति करने का मामला

110–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर में 3-2-93 से श्रम कल्याण अधिकारी का पद खाली पड़ा है ? क्या श्रम कानून के अन्तर्गत यह गम्भीर अनियमितता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता के लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 49 के उल्लंघन के कारण कारखाना प्रबन्धकों के विरुद्ध सी० जे० एम० सहारनपुर के न्यायालय में अभियोग दायर किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की नगर कोतवाली में श्री विजय नारायन तिवारी निवासी सराय शेख महमूद थाना तारुन फैजाबाद के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करने का मामला

111–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की नगर कोतवाली में श्री विजय नरायन तिवारी निवासी सराय शेख महमूद थाना तारून, फैजाबाद व अन्य के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु दिनांक 21-6-91 को सी० डी० ओ० (पी० आर० डी० विभाग) के किसी लिपिक का पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया ? यदि नहीं, तो उसका जिम्मेदार कौन पुलिस कर्मी है ? क्या अब मुकदमा दर्ज किया जायेगा व नकल दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

112–श्री ऊदल–

[1ले बुध० में अता० प्र० सं०– 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ गौरा पट्टी तथा मगरौरा में स्थापित पशु चिकित्सालयों की संख्या और अन्य विवरण की जानकारी

113–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के विकास खण्ड शिवगढ़ व गौरा एवं बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मगरौरा एवं पट्टी में अब तक कितने पशु चिकित्सालय हैं ? उक्त पशु चिकित्सालयों की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के उक्त विकास खण्डों में नये पशु चिकित्सालय के निर्माण की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त विकास खण्डों के कितने गांवों में उक्त निर्माण की योजना है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

प्रतापगढ़ जनपद के विकास खण्ड शिवगढ़, गौरा, पट्टी तथा मगरौर में स्थापित पशु चिकित्सालयों की संख्या तथा उनकी स्थिति निम्नवत् हैं :–

विकास खण्ड का नाम	पशु चिकित्सालयों का नाम	भवनों की स्थिति
1–शिवगढ़	1–सांगीपुर	भवन उपलब्ध है
	2–जामवाली	
2–गौरा	1–गौरा	,,
3–पट्टी	1–पट्टी	,,
	2–पृथ्वीगंज	पशु सेवा केन्द्र के भवन में चल रहा है।
	3–मजाही बाजार	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र के भवन में चल रहा है।
4–मगरौरा	1–कोहाडोर	पशु सेवा केन्द्र के भवन में चल रहा है।
	2–गंगापुर	किराये के भवन में चल रहा है।
	3–मधुपुर	
कुल	9 पशु चिकित्साय	

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निवास सिंह पुत्र स्व० श्री महावीर सिंह साकिन अमएमाफी थाना धम्मौर, जिला सुल्तानपुर का चालान अपराधिक मामले में होने के कारण भी लाइसेंस रद्द न करने के कारणों की जानकारी की मांग

114–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री निवास सिंह पुत्र श्री स्व० महावीर साकिन अमएमाफी थाना धम्मौर, जिला सुल्तानपुर का चालान एक आपराधिक मामले में संबंधित थाने की पुलिस द्वारा माह अगस्त, 1993 में किया गया था ? यदि हां, तो घटना का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि श्री सिंह ने उक्त घटना में अपने निजी लाइसेंस असलहे/विस्फोटक हथियार का भी प्रयोग किया था तथा घटना की गम्भीरता तथा संबंधित ग्राम प्रधान की शिकायत पर तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा इनके असलहे का लाइसेंस निरस्त करने हेतु अपनी संस्तुति वर्ष 1993 में ही पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भेजी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री सिंह के आपराधिक कृत्यों को देखते हुए इनके लाइसेंस के निरस्तीकरण का आदेश संबंधित अधिकारी को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त लाइसेंस कब तक निरस्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

दिनांक 11-8-93 को श्री रामू पुत्र श्री रामदास कहार, नि० अमएमाफी, थाना धम्मौर, सुल्तानपुर की तहरीरी सूचना पर श्री निवास सिंह उर्फ जंजाली सिंह, निवासी अमएमाफी, थाना धम्मौर तथा पांच अन्य के विरुद्ध मु० अप० सं०–279/93 धारा–147/148/149/307/323/506 भा०द०वि० थाना धम्मौर में पंजीकृत किया गया । श्री निवास सिंह को 11-8-93 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । विवेचना से अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म साबित होने पर उनका चालान किया गया ।

घटना का विवरण यह है कि 11-8-93 को सर्वश्री रामू, श्याम एवं नन्हे खेत से लौटते समय सर्वश्री लाल जी सिंह, जंजाली सिंह ध्रुव तथा शेष नाथ आदि द्वारा बम व कट्टा से लैस होकर चक रोड पर नन्हे को गोली से मारा । इस घटना में आग्नेयास्त्र का प्रयोग हुआ ।

जी हां ।

श्री निवास सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह एस० बी० बी० एल० बन्दूक नं०–1243 का लाइसेंस है । इस लाइसेंस के निरस्तीकरण का मामला अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें 24-8-1994 सुनवायी हेतु निश्चित है ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शासन स्तर से अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न हीं उठता है ।

115-116–श्री ऊदल–

[1ले बुध० में अता० प्र० सं०–178-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्दल सिंह निवासी ग्राम बसावन, थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर की हत्या का मामला

117–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्दल सिंह, निवासी ग्राम बसावन, थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर की दिनांक 4-12-93 को की गयी हत्या में श्री राम यादव पुत्र श्री मोहन यादव, निवासी ग्राम बसावन, थाना कल्यानपुर, फतेहपुर को अभियुक्त बनाया गया था ? क्या श्री राम यादव दिनांक 3-1-94 को फतेहपुर अदालत में हाजिर हुए थे ? यदि हां, तो दिनांक 7-1-94 को पुलिस चौकी औंस, थाना कल्यानपुर फतेहपुर के प्रभारी उप निरीक्षक शिव जोर सिंह किस आधार पर श्री राम पुत्र श्री मोहन यादव के मकान में कुर्की का बहाना कर उक्त ग्राम के निवासी चुनवाद तथा उसके सहयोगियों के साथ मिलकर सारी सम्पत्ति लूट ली ? क्या उप निरीक्षक शिव जोर सिंह तथा चुनवाद एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

हत्या दिनांक 4-12-93 को नहीं वरन् 3-12-93 को हुई थी ।

जी हां ।

अभियुक्त श्री राम यादव फतेहपुर का मूल निवासी है । काफी दिनों से अपने ननिहाल ग्राम बसावनपुर में अपने मामा इन्दल के यहां रहता था । इसका अलग से कोई मकान नहीं है । जांच से अभियुक्त श्री राम यादव के घर की कुर्की किया जाना असत्य पाया गया । अभियुक्त इन्दल व बन्नी के फरार होने के कारण उनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 7-1-94 को कुर्की की कार्यवाही की गयी थी । यह कहना गलत है कि पुलिस ने कुर्की के बहाने सारी सम्पत्ति लूट ली ।

चूंकि सारी कार्यवाही नियमानुसार की गयी है और इसमें कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं है । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

चांदपुर, जिला वाराणसी में स्थित इण्डस्ट्रियल स्टेट से निकलने वाले केमिकल युक्त गन्दा पानी से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग

118–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि चांदपुर वाराणसी में स्थित इण्डस्ट्रियल स्टेट में सड़क पर गन्दा व केमिकल युक्त पानी बहता रहता है ? क्या बरसात में सड़क पर पानी जाम हो जाने से अत्यन्त नारकीय स्थिति पैदा हो जाती है ? क्या मंत्री जी इस पानी की निकासी तथा वहां स्थित बन्द नाले को खोलने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय औद्योगिक आस्थान-चांदपुर, जनपद–वाराणसी में नाले द्वारा जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, किन्तु ग्रामवासियों द्वारा नाले को कई स्थानों पर पाट दिये जाने एवं उस पर भवन निर्मित कर दिये जाने के कारण जल निकासी की व्यवस्था अवरुद्ध हो गई और बरसात में सड़क पर गन्दा पानी आ जाता है ।

उक्त आस्थान में जल निकासी की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु उ० प्र० जल निगम, वाराणसी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो प्रगति पर है । इस कार्य हेतु उ० प्र० जल निगम, वाराणसी को रु० 28.55 लाख की धनराशि दी जा चुकी है, जिसमें से रु० 4.00 लाख उद्योग विभाग द्वारा दिया गया है ।

औद्योगिक क्षेत्र लोहा मण्डी में व्यापारियों को आवंटित भूखण्डों की संख्या तथा बिना आवंटित व्यापारियों हेतु निगम की योजना की जानकारी

119–श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के 5वें मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोहा मण्डी में कुल कितने व्यापारियों को दुकान/गोदाम आवंटित है ? क्या जिन 45 व्यापारियों द्वारा लोहा मण्डी में व्यापार किया जाना बताया जा रहा है, वे नगर में अन्य किसी स्थान पर तो व्यापार नहीं कर रहे हैं, लोहा मण्डी को और अधिक आबाद करने के लिये निगम क्या-क्या प्रयत्न कर रहा है ? नगर के उन लोहा व्यापारियों जिनको लोहा मण्डी में आवंटन नहीं हुआ है उनके बारे में निगम की क्या कार्य योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

औद्योगिक क्षेत्र लोहा मण्डी में कुल 371 भूखण्डों का आवंटन व्यापारियों को दुकान/गोदाम हेतु किया गया है ।

औद्योगिक क्षेत्र लोहा मंडी में व्यापार करने वाले कुल 45 व्यापारियों में से 11 आवंटियों द्वारा नवयुग मार्केट गाजियाबाद एवं दिल्ली में व्यापार किया जा रहा है ।

निगम द्वारा इस संबंध में प्रयास किया गया और नोटिस भी दी गयी ।

वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र लोहा मंडी में आवंटन हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। शेष आवंटियों द्वारा लोहामंडी में व्यापार कार्य शुरू न करने की दशा में यदि भूखण्डों का आवंटन निरस्त किया जाता है तो अन्य व्यापारियों के पक्ष में आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। आवंटियों को अन्य व्यापारियों के पक्ष में भूखण्ड हस्तान्तरण एवं किराये पर निर्मित भवन देने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

नये थाने खोलने के मानक के अनुसार गाजियाबाद में नये थाने खोलने की सरकार की योजना की जानकारी

120–श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के पांचवें मंगलवार के अता० प्र० सं०–38 के उत्तर संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये थाने खोलने के संबंध में क्या कोई मानक है ? यदि हां, तो वह मानक क्या है ? उक्त मामले के अनुसार वर्तमान में गाजियाबाद में कितने थाने हैं तथा कितने थाने होने चाहिये ? इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रदेश में थाने की स्थापना हेतु उ० प्र० पुलिस आयोग वर्ष 1960-61 में की गयी संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित मानक है :–

1–शहरी थाना–जनसंख्या–50,000

2–देहाती थाना–(1)जनसंख्या–70,000 से 90,000 तक

(2) क्षेत्रफल–113 वर्गमील

3–थाने के लिये निर्धारित स्टाफ–

उपनिरीक्षक–2, मुख्य आरक्षी–1 एवं आरक्षी–14

गाजियाबाद में कुल 30 थाने हैं तथा वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर कुल 46 थाने होने चाहिये।

शासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में 15 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो कार्यरत हैं. प्रत्येक पुलिस चौकी पर उपनिरीक्षक–1, मुख्य आरक्षी–1 तथा आरक्षी–7 की नियुक्ति है। थाना/चौकी की स्थापना के लिये सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

श्री हरिहर यादव पुत्र श्री राम पियारे यादव, निवासी जियावन का पुरवा, मौजा तिन्दौली थाना कुमारगंज की पत्नी पार्वती देवी का पुलिस द्वारा एक तरफा कार्यवाही किये जाने विषयक शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

121–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिहर यादव पुत्र श्री राम पियारे यादव, निवासी–जियावन का पुरवा, मौजा तिन्दौली, थाना–कुमारगंज की पत्नी पार्वती देवी ने दिनांक 2-4-93 एवं 12-4-93 का कोई रजिस्टर्ड पत्र जो थाना कुमारगंज की पुलिस द्वारा एकतरफा कार्यवाही किये जाने

के विरोध में एवं निष्पक्ष जांच कराये जाने से संबंधित था, पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 27-2-94 जो पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है, उस पत्र पर किन-किन बिन्दुओं पर जांच हेतु लिखा गया था और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कार्यालय श्रम निरीक्षक, अमरोहा, मुरादाबाद के भवन का किराया, एरियर भुगतान एवं भवन खाली कराने का मामला

122–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-3-92 को कार्यालय श्रम निरीक्षक, अमरोहा के भवन के किराये में उ० प्र० शासन द्वारा वृद्धि की गई थी ? क्या पुनः दिनांक 15-12-93 को 14-2-87 से एरियर भुगतान करने एवं दिनांक 17-12-93 को भवन खाली करने के आदेश देकर भवन स्वामी को तिहरा लाभ तथा सरकार पर लगभग पचास हजार रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा ? यदि हां, तो एरियर भुगतान पर रोक लगाने एवं भवन खाली करने के आदेश कब तक निरस्त किये जायेगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? भवन स्वामी को तिहरा लाभ देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पूर्वगामी तिथि से किराया स्वीकृति के आदेश नियमानुसार जिलाधिकारी, मुरादाबाद की संस्तुति पर जारी किये गये, भवन स्वामी को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से नहीं जारी किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उ० प्र० सचिवालय ऐनेक्सी भवन में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति आरक्षण के आधार पर किये जाने की मांग

123–श्री उदय प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, उ० प्र० सचिवालय एनेक्सी भवन में कार्यरत स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को लिपिक वर्ग में पदोन्नति किये जाने के लिये पदोन्नति में आरक्षण संबंधी शासनादेशों का अन्य विभागों की भांति पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी

गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय में कनिष्ठ लिपिक/टंकक के मात्र दो पद सृजित हैं जबकि तृतीय श्रेणी के लिपिक/टंकक के 6 नियुक्तियों के बाद एक पद पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मी को पदोन्नति दिये जाने का शासनादेशों में प्राविधान है । अतः किसी अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई में भूधर लाल अनुसूचित जाति निवासी अटवा बरी थाना सण्डीला का जांच संबंधी गृह विभाग को प्रेषित पत्र पर की गयी जांच की जानकारी

124–श्री चैन सुख भारती–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के द्वितीय मंगलवार के अता० प्र० सं०–41 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूधर लाल अनुसूचित जाति निवासी ग्राम अटवा बरी थाना सण्डीला जनपद हरदोई का प्रार्थना-पत्र अप्रैल, 1993 जो सलाहकार गृह विभाग के यहां से आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को भेजा गया था, पर जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि अभी तक जांच नहीं करायी गयी तो क्यों ? विलम्ब के लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? जांच कराकर कब तक अनुसूचित जाति के उक्त व्यक्ति को मकान का रास्ता खुलवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, हरदोई के माध्यम से करायी गयी । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री भूधर लाल के मकान के सामने गांव का एक रास्ता है । रास्ते की ओर श्री भूधर लाल के मकान का दरवाजा लगा है । दूसरी ओर श्री राम गुलाम का मकान है जिसका भी दरवाजा रास्ते की ओर है । श्री राम गुलाम ने रास्ते की ओर अपनी सहन पर एक चबूतरा बना लिया था जिससे इन दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ । श्री भूधर लाल एवं गांव के लिये रास्ता आवागमन के लिये पूरी तरह से खुला है । कोई अवरोध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमजान पुत्र रोशन निवासी ग्राम दिलावलगढ़ मजरे आजादपुर थाना शिव रतनगंज जिला रायबरेली के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

125–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमजान पुत्र रोशन निवासी ग्राम दिलावलगढ़ मजरे आजादपुर थाना-शिव रतनगंज जिला रायबरेली द्वारा प्रेषित थाना इंचार्ज, जगदीशपुर सुल्तानपुर पुलिस

अधीक्षक सुल्तानपुर महानिरीक्षक लखनऊ जोन, महानिदेशक एवं मा० मुख्य मंत्री उ० प्र० को सम्बोधित रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 14-5-94 जो लड़की को मारकर कुआं में डाल दिये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी डाक्टरी रिपोर्ट तथा अब तक की गयी जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना द्वारा की गई, जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक रमजान की लड़की मजीदुल निशा पत्नी इस्लाम निवासी दौलतपुर, जगदीशपुर अपने मामा के गांव मिट्टी में शिरकत करने जाना चाहती थी परन्तु उसके पति ने उसे जाने नहीं दिया, इस बात को लेकर पति पत्नी दोनों में मन मुटाव हो गया तथा पति द्वारा प्रताड़ित करने पर अवसर पाकर मजीदुल निशा ने दिनांक 25-4-94 को कुऐं में कूद कर आत्म-हत्या कर ली, जिसकी सूचना चौकीदार रामबरन द्वारा थाना जगदीशपुर में दी गई । शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण डूबने से होना पाया गया । इस संबंध में थाना जगदीशपुर में मु० अ० सं० 113/94 धारा 306 भा० दं० वि० पंजीकृत कर विवेचना की गई, अभियुक्त इस्लाम को दिनांक 14-5-94 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । विवेचना के पश्चात् अभियुक्त इस्लाम के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र संख्या 36/94 दिनांक 15-5-94 को न्यायालय प्रेषित किया गया । जांच से मजीदुल निशा की मृत्यु मारने पीटने से होने के आरोप की पुस्टि नहीं हुई । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । मृतका श्रीमती मजीदुल निशा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की छाया प्रति मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकित की जा सकती है ।

नागरिक पुलिस में सीधी भर्ती व प्रशिक्षण पाये उपनिरीक्षकों में से स्थानीय इकाई में भेजने के लिये चयन की गयी प्रक्रिया की जानकारी

126–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में उ० प्र० नागरिक पुलिस में सीधी भर्ती व प्रशिक्षण पाये उपनिरीक्षकों में से स्थानीय अभिसूचना इकाई में भेजने के लिये चयन का आधार सर्वाधिक अंक प्राप्त करना था ? क्या 1982-83 से पूर्व तथा उसके बाद भी स्थानीय अभिसूचना इकाई में भेजने के लिये चयन का आधार यही रहा है ? क्या ऐसे उपनिरीक्षकों कि अभिसूचना इकाई में भेजने के लिये सहमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन उपनिरीक्षकों को वापस नागरिक पुलिस में भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं । उपयुक्ता के आधार पर चयन किया जाता है ।

जी नहीं ।

अभिसूचना विभाग से जिला पुलिस में उन्हीं उप निरीक्षक को वापस किया जाता है जो अभिसूचना विभाग के लिये उपयुक्त न हो। समय-समय पर संबंधित अधिकारियों की कार्य-कुशलता व उपयुक्तता के अनुसार विचार किया जाता है।

जनपद फैजाबाद के ग्राम उसमापुर थाना मालीपुर में पड़ी डकैती के कारण कुछ परिवारों के द्वारा बन्दूक के लाइसेन्स की मांग पर हो रहे विलम्ब के कारणों की जानकारी

127–श्री दल बहादुर कोरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें मंगलवार को उत्तरित अता० प्र० सं० 3 के उत्तर के आधार पर क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित व्यक्तियों के लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जिन परिवारों में डकैती के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, उनको शासन की नीति के अनुरूप प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद भी अब तक लाइसेन्स न प्राप्त होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जिला प्रशासन को उन्हें बन्दूक का लाइसेन्स देने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की आख्या अपेक्षित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उप श्रमायुक्त फैजाबाद द्वारा अकबरपुर जिला–फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के प्रबन्धकों को तालाबन्दी करने के निर्देशों की आख्या की जानकारी

128–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त, फैजाबाद द्वारा अकबरपुर (फैजाबाद) स्थित राज्य कताई मिल के प्रबन्धकों को अपनी नोटिस संख्या–119-221 एफ० आर० आई० आर० द्वारा दि० 7-6-90 को इस आशय की दी गयी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1947 के नियम 4 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए वार्ता के दौरान तालाबन्दी निषिद्ध होने की बात का उल्लेख किया गया था ? क्या इसके साथ ही उक्त कार्यालय द्वारा अपने पत्र सं० 3721-22/एफ० आर० आई० आर०/80 दि० 13-6-90 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 एस० एवं छः टी० के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में तालाबन्दी को अनुचित अवैधानिक होने व अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों नोटिसों को सदन के पटल पर रखते हुए यह भी बतायेंगे कि श्रम विभाग ने प्रबन्धकों के द्वारा उक्त दोनों नोटिसों की अवहेलना करने के कारण उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त नोटिस दिनांक 7-6-90 एवं दिनांक 13-6-90 की प्रतियां संलग्न है । मेसर्स उ० प्र० राज्य कताई कं० लि० अकबरपुर फैजाबाद प्रतिष्ठान के सेवायोजकों द्वारा अपनी नोटिस दिनांक 10-6-90 में श्रमिकों द्वारा अभद्र व्यवहार करने, अधिकारियों को कार्य न करने देने, उनकी हूटिंग करने, स्टोर से सामान गायब होने तथा मशीनों की मरम्मत न करने देने तथा उत्पादन में काफी कमी आ जाने आदि कारणों का उल्लेख करते हुए दिनांक 11-6-90 से तालाबंदी घोषित कर दी गई । विवाद के निराकरण हेतु दोनों पक्षों के मध्य अनेक बैठकें आयोजित की गयीं । परन्तु अभी तक समझौता सम्पन्न नहीं हो सका ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 160-162 पर)

पुलिस संरक्षण में तस्करों द्वारा गाय बैलों का वध करके बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर भेजने की शिकायत

129–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि पुलिस संरक्षण में तस्करों द्वारा वध हेतु बड़े पैमाने पर गाय तथा बैलों को राज्य के बाहर भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो इस अवैध धन्धे को रोकने तथा पशुओं को संरक्षण न प्रदान करके तस्करी करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ग्राम कनकोटा, तहसील कर्वी, थाना राजापुर के निवासी श्री शिवरोमन पुत्र श्री रामरतन द्वारा पुलिस के अधिकारियों को प्रेषित नवजात शिशु की हत्या किये जाने विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

130-श्री ऊदल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी, थाना राजापुर के अन्तर्गत ग्राम कनकोटा के श्री शिवरोमन पुत्र श्री रामरतन ने दिनांक 10-8-93 को पुलिस अधीक्षक बांदा डी० आई० जी० झांसी डी० जी० पी० लखनऊ को सम्बोधित एक नवजात शिशु की हत्या के प्रकरण के साथ अनेकों बिन्दुओं पर जांच एवं कार्यवाही के संबंध में पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । आवेदक के दो प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त हुए । प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी कर्वी/थानाध्यक्ष राजापुर द्वारा कराई गई । जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में कार्यरत पी० सी० एस० अधिकारियों का एक वर्ष के अन्दर ही स्थानान्तरण किये जाने के कारणों की जानकारी

131–श्री मुक्ति नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत कार्यरत कितने पी० सी० एस० अधिकारी दो-तीन वर्षों अथवा इससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत हैं ? क्या पी० सी० एस० अधिकारियों जो एक वर्ष की ही सेवा पूरी किये हैं, को स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई नहीं ।

जी हां, दो पी० सी० एस० अधिकारियों को जनहित में जनपद देवरिया से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है ।

प्रदेश में वर्ष 1993 तथा 1994 में हुई वाहन चोरी में पंजीकृत मामलों में पुलिस की सफलता/विफलता के कारणों तथा पंजीकृत मामलों की संख्या की भी जानकारी

132–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 तथा 1994 में अब तक वाहन चोरी के कितने मामले राज्य भर में पंजीकृत हुए ? उक्त मामलों को वर्क आउट करने में कितने मामलों में पुलिस को सफलता मिली ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाहन चोरी के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को रोकने में पुलिस की विफलता का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस विभाग में कार्यरत कान्सटेबुल के मूल वेतन को प्राइमरी के अध्यापकों के मूल वेतन के बराबर दिये जाने की मांग

133–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग में कार्यरत सिपाही (कान्सटेबुल) का मूल वेतन प्राइमरी के अध्यापक से भी कम है ? यदि हां, तो क्या इस विसंगति को दूर करने हेतु सरकार ने विचार करने का निश्चय किया है ? यदि हां,तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

134–श्री लाल मणि प्रसाद–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

श्री पुत्तूलाल पुत्र श्री रामलाल निवासी पुरैना थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर के प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

135–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पुत्तूलाल पुत्र श्री रामलाल, निवासी पुरैना थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र मई, 1994 के अंतिम सप्ताह में उन्हें (रजिस्टर्ड) प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संबंधित प्रकरण में रिपोर्ट गलत लिखने की जांच की गयी । क्या मंत्री जी जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जांच से मामला अहस्तक्षेपीय अपराध का ही पाया गया । जांच के उपरान्त संबंधित दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा–107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की गई ।

136–138–श्री विश्वनाथ–

। राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1994 में हत्या, अपहरण, बलात्कार के पंजीकृत मामलों की संख्या तथा न्यायालय को प्रेषित अभियोगों की जानकारी

139–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994 में शाहजहांपुर जनपद के थाना सदर बाजार में कितने अभियोग हत्या, अपहरण बलात्कार के पंजीकृत हुए ? उनमें कितने अभियुक्तों का पता नहीं चला ? कितने अभियोगों में अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में वर्ष 1994 में हत्या के 8 तथा बलात्कार का एक अभियोग पंजीकृत हुआ। उक्त थाने पर आलोच्य अवधि में फिरौती हेतु अपहरण का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

हत्या के उक्त सभी अभियोगों में सभी अभियुक्तों का पता चल चुका है तथा तीन मामलों में विवेचना पूर्ण करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिये गये। बलात्कार के अभियोग में लड़की के पागल होने के कारण विवेचना के दौरान चूंकि वह विवेचक तथा न्यायालय के समक्ष कोई उचित बयान नहीं दे सकी जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों का कोई पता नहीं चल सका और अभियोग में अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गई।

लखनऊ के कृष्णानगर, आलमबाग, तालकटोरा, हुसैनगंज, नाका हिन्डोला तथा सदर थाने में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में अनुसूचित जाति द्वारा पंजीकृत अपराधों की संख्या की प्रतिशत की जानकारी

140–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृष्णानगर, आलमबाग, तालकटोरा, हुसैनगंज, नाका हिन्डोला तथा सदर थाने जनपद लखनऊ में वर्ष 1993-94 में कुल कितने अपराध पंजीकृत हुए। वर्ष 1992-93 की अपेक्षा कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त थानों में वर्ष 1993 में कुल 2443 तथा वर्ष 1994 में 1329 अपराध पंजीकृत हुए।

उक्त थानों में कुल अपराधों की अपेक्षा अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों द्वारा पंजीकृत कराये गये अपराधों का वर्षवार प्रतिशत निम्नवत है :–

वर्ष	प्रतिशत
1992	1.6 (लगभग)
1993	2.0 (लगभग)
1994	3.8 (लगभग)

श्री सरनाम सिंह ग्राम पूरे, रिसालदार का पुरवा, पो० शाहगढ़ थाना मुंशीगंज, जिला सुल्तानपुर का पुलिस महानिदेशक को दिया गया शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

141–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेगे कि पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को सम्बोधित तथा उन्हीं को स्वयं मिलकर के श्री सरनाम सिंह, ग्राम-पूरे रिसालदार का पुरवा, पो० शाहगढ़ थाना–मुंशीगंज, सुल्तानपुर

द्वारा दिनांक 13-6-94 को पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की ? क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी गौरीगंज से करायी गयी । जांच से ज्ञात हुआ कि श्री सरनाम सिंह के द्वारा काल्पनिक भयवश यह प्रार्थना पत्र दिया गया था उन्हें कभी पुलिस कर्मी ने परेशान नहीं किया और न उन्हें पुलिस से कोई शिकायत ही है ।

युवा कल्याण अधिकारी फैजाबाद द्वारा प्रेषित पत्र के अन्तर्गत वर्णित तथ्यों की तथा पत्रावली को गायब करने की धमकी आदि जैसे कृत्यों को देखते हुए दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मांग

142–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेगे कि जिला युवा कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के पत्रांक 131, दिनांक 26-1-91 एवं पत्र दिनांक 6-4-91 तथा सी० डी० ओ० फैजाबाद के पत्रांक 161/ दिनांक 4-2-91 में वर्णित तथ्य क्रमशः क्या हैं ? क्या उक्त पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ? क्या अभिलेख गायब कर देने के तथ्य को बता देने पर बन्दूक दिखाकर जान से मार डालने की धमकी भी अधिकारी को दी गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? शासन द्वारा धमकी देने वाले का बन्दूक लाइसेन्स कब तक निरस्त किया जायेगा ? क्या बन्दूक जमा करायी जायेगी ? क्या उक्त कृत्यों के लिये दोषी के विरुद्ध अब मुकदमा दर्ज कराया जायेगा ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ० प्र० को मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद का पत्र तथा इंगित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी

143–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ० प्र० को मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद का पत्रांक 730/दिनांक 12 जनवरी, 94 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र व उसके संलग्नक का ब्योरा क्या है ? क्या लिपिक के पत्र दिनांक 10-11-93 द्वारा अनुरोध करने पर उसका बयान लिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को कब और कहां पर ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित प्रकरण में संवैधानिक व्यवस्था के हनन की साजिश की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसी साजिश का उत्तरदायी कौन है ? क्या लिपिक का बयानात लिया जायेगा ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 10-11-93 को कोई प्रार्थना-पत्र किसी भी अभियुक्त द्वारा बयान अंकित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन को नहीं प्राप्त हुआ है इसलिये संवैधानिक व्यवस्था के हनन का कोई प्रश्न नहीं उठता। अभियुक्तगण श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव तथा श्री राम प्रसाद शुक्ला का कथन अन्तर्गत धारा 161 जा० फौ० में क्रमशः सी० डी० ओ० फैजाबाद तथा ब्लाक टाण्डा जनपद फैजाबाद में दिनांक 6-9-94 को विवेचनाधिकारी वाराणसी इकाई द्वारा लिया गया है। ट्रेप से संबंधित अभियोग की विवेचना पूर्ण करके आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 7-6-93 को प्रेषित किया जा चुका है। अतः मुल्जिम के पुनः बयान लेने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली की आवश्यकतानुसार फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग

144–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार खतौली, (जनपद मुजफ्फरनगर) में वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों तथा अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में फायर स्टेशन स्थापित करना वर्तमान में सम्भव नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उप श्रमायुक्त कार्यालय फैजाबाद में भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के मंत्री के नेतृत्व में किये गये प्रदर्शन एवं ज्ञापन की मांगों की पूर्ति में की गयी कार्यवाही की जानकारी

145–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 11-2-94 को उप श्रम आयुक्त, फैजाबाद के कार्यालय पर भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री प्रेम सागर मिश्र के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धरना देकर श्रम आयुक्त, उ० प्र० को संबंधित ज्ञापन उप श्रम आयुक्त, फैजाबाद को दिया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मांगें क्या हैं ? शासन द्वारा उक्त मांगों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

ज्ञापन में नवीन संगठनों के पंजीयन में केन्द्रीय श्रम संगठनों से परामर्श लिया जाय तथा आई० टी० आई० लि० मजदूर संघ, मनकापुर व एच० ए० एल० कर्मचारी "मजदूर संघ, कोरवां सुल्तानपुर व एस० पेपर मिल, दर्शननगर, फैजाबाद में ठेके के श्रमिकों को बैठकी के पूरे वेतन तथा स्थायी श्रमिकों को मिलने वाली सभी सुविधायें प्रदान करने, कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण सहित वार्ता करने कृषि फार्म गिरजापुरी, बहराइच तथा वन विभाग के श्रमिकों का वेतन भुगतान, आदि मांगें की गई हैं।

नवीन यूनियन पंजीयन के संबंध में केन्द्रीय श्रम संगठन से राय लेने का प्रकरण नीतिगत मामला है । आई० टी० आई० लि०, मनकापुर, गोण्डा की 21 सूत्रीय मांग दिनांक 28-1-94 के संबंध में सेवायोजकों द्वारा अधिकांश मांगों पर निर्णय लिया जा चुका है । कतिपय मांगें कारपोरेट आफिस व भारत सरकार से संबंधित है । एच० ए० एल० मजदूर संघ, कोरवा डिवीजन अमेठी, सुल्तानपुर के वेतन पुनरीक्षण व अन्य मामलों पर समझौता वार्ता चल रही है । दिनांक 30-4-94 को श्रम संगठन की अनुपस्थिति के कारण वार्ता समाप्त कर दी गई । ठेके पर बैठकी मजदूरों के वेतन के संबंध में श्रमिक संगठनों से न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी गई है ।

केन्द्रीय राज्य कृषि फार्म, गिरजापुरी बहराइच में शासकीय अधिसूचना संख्या 2486/36-3-23 (एम० डब्लू०)/93, दिनांक 13 जुलाई, 1992 द्वारा न्यूनतम वेतन से छूट प्रदान कर दी गई है । मेसर्स अमृत बाटलर फैजाबाद के दो कर्मचारी श्री बलराम तिवारी व श्री गिरधारी लाल द्वारा दिये गये दिनांक 15-7-93 के मांग पत्र पर श्रम अधिनियम के अन्तर्गत अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय भेजा जा चुका है ।

वन विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान संबंधी एवार्ड का प्रतिपालन सामाजिक वानिकी द्वारा न किये जाने पर मुख्य दण्डाधिकारी सुल्तानपुर के न्यायालय में प्राभियोजन दायर किया जा चुका है ।

अधिसूचना विभाग की शाखा एल० आई० यू० में एल० आई० यू० प्रभारी के पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

146–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिसूचना विभाग के शाखा एल० आई० यू० में कुल कितने एल० आई० यू० प्रभारी के पद हैं ? उसमें आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के कितने पद हैं ? क्या उक्त विभाग में आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि आरक्षित पदों को सामान्य जाति से भरा गया है, तो क्यों ? क्या संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद को परिवादकर्ता का पत्र एवं उसमें निहित शिकायत तथा कार्यवाही की जानकारी

147–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद द्वारा दिनांक 28-6-91 को सी० डी० ओ० कार्यालय के लिपिकों के कथित ट्रेप कार्यवाही, किस स्तर से, किसके शिकायत व आदेश पर, परिवार में क्या तथ्य दर्शाकर की गयी है ? उक्त ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित सभी कर्मचारी/अधिकारी, किस-किस स्थान पर कार्यरत रहे हैं ? इनका स्थायी पता व पूरा नाम क्या है ? क्या परिवादकर्ता द्वारा इससे पूर्व जनपद के विकास खण्ड तारून में अन्य किसी का ट्रैप कराया गया है ? क्या किसी ट्रैप का जनपद में गवाह बना है ? अन्य कितनों के लिये परिवाद दिया है ? पूरा ब्यौरा

है ? क्या पुलिस संगठन में परिवादकर्ता का कोई संबंधी भी कार्यरत है ? यदि हां, तो किस पद पर तथा कहां ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिवादकर्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-6-91 पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, फैजाबाद को सीधे प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर परिवादकर्ता का बयान उसी दिन 11.00 बजे अंकित करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ ट्रेप का आयोजन किया गया था । परिवाद पत्र में पी० आर० डी० जवानों द्वारा ड्यूटी किये गये दैनिक भत्ता बिलों के भुगतान हेतु 5 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत मांगे जाने के तथ्य अंकित किये गये हैं ।

उक्त ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित कर्मचारियों/अधिकारियों का कार्यरत रहने का स्थान, पूरा नाम एवं स्थायी पता अभियोग के हित में दिया जाना सम्भव नहीं है ।

अन्य किसी के लिये परिवाद नहीं दिया गया है ।

जी नहीं ।

श्री राम बहाल निवासी हाथ पाकड़ थाना गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद के प्रार्थनापत्रों पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद द्वारा की गयी कार्यवाही

148–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा कोई पत्र संख्या–आर० के०/मेमो–94 दिनांक 6 अप्रैल, 1994 को श्री राम बहाल निवासी हाथ पाकड़, थाना गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र 30-8-93, 21-10-93, 31-1-94, 6-4-94 के संबंध में लिखा गया है ? यदि हां,तो क्या मूल पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अभिलेखागार में रखे गये अभिलेखों को नष्ट करने की अवधि क्या है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित एफ० आई० आर० के मुकदमें में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या संबंधित एफ० आई० आर० को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना अकत्रित की जा रही है ।

विधायक निवासों में कार/जीप के गैराजों की संख्या तथा उनमें अनधिकृत कब्जे की शिकायत

149–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में कार/जीप के कितने गैराज हैं, जो विधायकों को आवंटित न हो कर अनधिकृत रूप से अन्य लोगों को दे दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये गैराज इन लोगों से खाली करवाकर विधायकों को दिये जावें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधायक निवासों में कुल 65 गैराज हैं जिसमें 54 गैराज मा० विधायकों/अधिकारियों को आवंटित हैं शेष 11 गैराज अनधिकृत कब्जे में हैं।

10 गैराज अनधिकृत रूप से मा० भूतपूर्व/वर्तमान विधायकों के कब्जे में हैं तथा एक गैराज कार्यालय वर्क चार्ज दैनिक वेतन भोगी, लोक निर्माण विभाग के कब्जे में है। विधायक निवासों से सम्बद्ध गैराजों में अनधिकृतों का प्रकरण आवास समिति की आगामी बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

पूर्व परगनाधिकारी अकबरपुर व जलालपुर जिला फैजाबाद को पदच्युत किये जाने का मामला

150–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व परगनाधिकारी अकबरपुर व जलालपुर, जनपद फैजाबाद को शासन द्वारा वर्ष 1993-94 में निलम्बन सेवा मुक्ति का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन आरोपों में ? क्या यह सही है कि पूर्व में भी संबंधित अधिकारी को शासन ने निलम्बित किया था ? यदि हां, तो किन-किन आरोपों में ? क्या यह भी सही है कि संबंधित अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पुनः कार्यभार ग्रहण किया था ? यदि हां, तो फर्जी स्थगन आदेश के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कितने मुकदमों का निस्तारण कहां कहां किया गया गया है ? क्या वह वाद न्याय संगत माने जायेंगे ? यदि नहीं, तो शासन न्याय की परिधि में विधिक राय लेकर उन मुकदमों के संबंध में सरकार कोई आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पूर्व परगनाधिकारी अकबरपुर व जलालपुर जनपद फैजाबाद के पद पर कार्यरत अधिकारी श्री बंश बहादुर सिंह को वर्ष 1993-94 में निलम्बित व सेवामुक्ति का आदेश नहीं दिया गया बल्कि शासन के आदेश सं०–286/दो-3-34/3(14)88 दिनांक 19-2-94 द्वारा उन्हें पूर्व में पदच्युत किये जाने संबंधी आदेश सं०–1935/दो–3-22(14)87 दिनांक 20-4-89 को पुनः लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, जब वे तहसीलदार कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के पद वर्ष 1985-86 में कार्यरत थे तो उनके द्वारा राहत कोष से आवंटित धनराशि में से रु० 1,75,000 की धनराशि के गबन के तथ्यों की प्रथम दृष्टया पुष्टि के फलस्वरूप शासन के आदेश दिनांक 8-2-1988 द्वारा निलम्बित किया गया था।

जी हां।

एस० डी० ओ० अकबरपुर के रूप में 255 राजस्व वादों, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी फैजाबाद के रूप में 2698 चकबन्दी अपीलों, परगनाधिकारी जलालपुर के रूप में–101 राजस्ववादों तथा 17 फौजदारी वादों का निस्तारण किया। विधिक राय के आधार पर कार्यवाही सम्भव होगी।

जनपद पीलीभीत में शस्त्र विक्रय लाइसेंस के अन्तर्गत अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस देने की शिकायत

151–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शस्त्र विक्रय लाइसेंस धारकों को शस्त्र विक्रय किये गये हैं ? क्या अधिकांशतः ऐसे शस्त्र धारक अपराधी प्रवृत्ति के हैं ? क्या उन्होंने गलत पता दर्शाकर शस्त्र लाइसेंस अन्यत्र प्राप्त कर लिये हैं ? यदि हां, तो क्या इन सभी तथ्यों की विस्तृत जांच करवाकर शस्त्र लाइसेन्स धारकों के विरुद्ध वांछनीय कार्यवाहियां की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सम्प्रति ऐसे कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं ।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

152–श्री राम सरन वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों का पंजीकरण न होने की शिकायत तथा पंजीकरण करने की नीति को सख्ती से लागू करने की मांग

153–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि सम्पूर्ण उ० प्र० में भारी संख्या में अपराधों का पंजीकरण नहीं हो रहा है अथवा अपराधों की प्रकृति बदलकर पंजीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि जन प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसी घटनाओं की सूचना अनुश्रवणार्थ मांगने पर उपलब्ध करायी जाय तथा उत्तर न मिलने पर अथवा नकारात्मक उत्तर मिलने पर किसी दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अपराधों के अनुश्रवणार्थ आयोजित मासिक बैठकों में भी जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

154–श्री बालेश्वर त्यागी–

[2सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत में दूसरे प्रान्त के व्यक्तियों द्वारा स्थानीय निवासी दर्शाकर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की शिकायत

155–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत श्री अजय प्रताप सिंह तथा श्रीमती नीलमा सिंह (मूल रूप से बिहार प्रान्त निवासी) तथा अन्यों के नाम स्थानीय निवासी दर्शाकर शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं तथा कुछ को इसी कारण निरस्त भी किया गया है ? क्या जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जो अनियमितताएं हो रही है की उच्च स्तरीय समिति गठित कर अथवा सी० आई डी० से जांच कराकर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद पीलीभीत में शस्त्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता नहीं हो रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी में निवर्तमान खनिज सुपरवाइजर श्री नारायण दास कुशवाहा के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा जांच एवं कार्यवाही

156–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में निवर्तमान खनिज सुपरवाइजर श्री नारायण दास कुशवाहा के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा 1992 में अपराध सं० 64/92 की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सतर्कता जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व से श्री कुशवाहा को जिला स्तर से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर दिनांक 12-10-92 से निलम्बित करते हुए विभागीय जांच की जा रही है । सतर्कता जांच के आधार पर अतिरिक्त अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव घरौना, थाना ससनपुर, पुलिस चौकी सिधौना, जिला गाजीपुर में शकुन्तला नाम की गर्भवती महिला के साथ किये गये अभद्र व्यवहार की घटना

157–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव घरौना, थाना खानपुर, पुलिस चौकी सिधौना, जिला गाजीपुर में शकुन्तला नाम की गर्भवती महिला 19 वर्ष को बुरी तरह से मारा गया और घसीट कर घर के बाहर ले जाया गया है ? क्या पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ने दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट धारा 452, 232,

504, 506 के अलावा अनुसूचित जाति उत्पीड़न की एक धारा बढ़ाने का आदेश दिया है ? क्या यह भी सही है कि घटना की रिपोर्ट चार व्यक्तियों के खिलाफ धारा 452, 323, 504, 506 भा० दं० वि० एवं 3 (1) अनु० जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) में 18-4-94 को थाना खानपुर जिला गाजीपुर में लिखायी गयी है ? क्या उक्त महिला का डाक्टरी मुआइना कराया गया है ? अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्य में शिथिलता बरतने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

घटना की रिपोर्ट दि० 18-6-94 को लिखाई गई ।

जी हां ।

घटना के संबंध में पुलिस चौकी सिधौना, थाना खानपुर में मु० अ० सं० 61/94 धारा 452/323/504/506 भा० द० वि०/3(1) (पांच) (3) (1) (11) तथा 3(1) (15) अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान एक अन्य अभियुक्त भी प्रकाश में आया । दिनांक 22-6-94 को अभियुक्त अखिलेश को तथा दिनांक 24-6-94 को बोडर उर्फ राम जनम को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण किये । सभी अभियुक्तगण वर्तमान समय में जमानत पर हैं । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी के उपचार हेतु एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करायी गयी ।

इस प्रकरण में चौकी प्रभारी सिधौना द्वारा अपने कर्तव्य पालन में शिथिलता बरती गयी, जिसके लिये दिनांक 18-6-94 को उन्हें निलम्बित कर पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है ।

जिला वाराणसी में रोहनियां थाना के दफ्तर के पीछे हुए बम विस्फोट से मृत व्यक्ति की घटना में पुलिस का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होना

158–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अक्टूबर, 93 में थाना रोहनियां, जिला वाराणसी के दफ्तर के पीछे बम विस्फोट हुआ जिसमें लाल जी नाम का एक अनुसूचित जाति (चमार) निवासी पचरांव, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी बम विस्फोट में मर गया ? क्या यह सही है कि रोहनियां थाने के एस० ओ० आज भी थाना रोहनियां, वाराणसी में कार्यरत हैं ? अब तक इनको क्यों नहीं हटाया गया और कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से किसी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध इस घटना के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु अन्य प्रशासनिक कारणों से तत्कालीन थानाध्यक्ष रोहनिया का स्थानान्तरण हो चुका है ।

159–श्री ऊदल–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा की सात तहसीलों में राजस्व विभाग द्वारा बालू खनन की नीलामी अग्रिम आदेश तक रोकने का शासनादेश

160–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की सातों तहसीलों में राजस्व विभाग बालू खनन का नीलाम विगत कई वर्षों से करता चला आ रहा था जिससे शासन को राजस्व प्राप्त होता था ? क्या सरकार ने 1 जनवरी, 94 से 31 मार्च, 94 के बीच कोई शासनादेश निर्गत किया है कि ग्राम समाज क्षेत्र की बालू जो जिलाधिकारी द्वारा नीलाम की जाती थी, अब भविष्य में अग्रिम आदेश तक नीलामी नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो क्या यह आदेश मात्र जनपद गोण्डा के लिये निर्गत किया गया है अथवा समस्त उ० प्र० के लिये ? क्या सरकार शासनादेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ? यदि ऐसा आदेश नहीं किया गया है, तो सरकार जिलाधिकारी, गोण्डा को आदेश निर्गत करेगी कि पूर्व की भांति बालू का नीलाम कराया जाये ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित शासनादेश समस्त उत्तर प्रदेश के लिये निर्गत किया गया है । शासनादेश की प्रति संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 163-164 पर)

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर मे भाभर नाला से वर्ष 1993-94 में अवैध बालू खनन को रोकने के आदेश

161–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तुलसीपुर में भाभरनाला से वर्ष 1993-94 वित्तीय वर्ष में बालू निकालने का ठेका जिला अधिकारी ने सामान्य रूप से नीलाम किया था और ठेकेदार द्वारा 31 दिसम्बर, 93 तक बालू निकासी का कार्य भी किया था ? क्या जनवरी, 94 को माननीय उप मंत्री वन श्री लाल जी चौहान ने स्थल का निरीक्षण करके बालू निकासी का कार्य रोक दिया और जिला अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया ? क्या प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा

वन प्रभाग तथा परगना मजिस्ट्रेट तुलसीपुर संयुक्त तत्वावधान में जांच की गयी जिसमें यह पाया गया कि वन क्षेत्र में बालू खनन नहीं हो रहा है ? क्या इसके बाद भी जिला मजिस्ट्रेट ने 31 मार्च, 1994 तक बालू निकासी का कार्य ठेकेदार को नहीं करने दिया ? क्या सरकार इस क्षति को पूरा करने के लिये ठेकेदार को तीन माह की अवधि प्रदान कर बालू खनन हेतु प्रदान करेगी ? क्या सरकार इसके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वित्तीय वर्ष 1993-94 बालू निकालने का ठेका गांव सभा–बानगढ़ के बालू क्षेत्रों के नाम दिया गया था और इसी में भाभर नाले से बालू निकासी सम्मिलित है ।

मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा द्वारा अवैध बालू खनन जांच करने तथा इसी बीच सम्बन्धित स्थल से बालू खनन कार्य तुरन्त रोकने के आदेश दिये गये थे ।

जी हां ।

चूंकि जांच के पश्चात् गांव सभा बानगढ़ की वन विभाग की आराजी और राजस्व विभाग की आराजी का नियमानुसार मौके नक्शे पर अलग-अलग रेखांकन करना तथा प्रकरण के अन्य बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना शेष था ।

नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में सरकार की आरक्षण नीति को लेकर हो रहे आन्दोलन के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन के अन्य कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए, नियमों को निलम्बित करते हुए उत्तरांचल जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा करने की आप अनुमति प्रदान करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने लिखित रूप से आपके पास भेजा है कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो विषम परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सभी नियमों को शिथिल करके प्रश्नकाल स्थगित कर दें और इस पर चर्चा करा दें जिससे समस्या का निदान हो सके ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि नियम 311 में नियमों को निलम्बित करते हुए उत्तराखण्ड जैसे गम्भीर मसले पर चर्चा करा ली जाए लेकिन मेरा एक और आपसे अनुरोध है कि चूंकि विरोध पक्ष का सबसे बड़ा अधिकार होता है प्रश्न प्रहर, यदि यह हमसे छिन गया तो जनता के सामने हम जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिये निवेदन है कि प्रश्न प्रहर के तुरन्त बाद उत्तराखण्ड के मसले को ले लिया जाये।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों ने उत्तराखंड के मामले में नियम 311 की सूचना दी है और नियमावली में प्राविधान है कि इस नियम में यदि कोई लोक महत्व का प्रश्न है जिसमें बहुत की सहमति है तो नियमों को आप शिथिल कर दें, इसलिये आप नियमों को निलम्बित करके चर्चा इस पर करा दें।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, बड़े दुख के साथ आपसे निवेदन करना है कि कल ही इस मसले पर बहस होने वाली थी और सर्वसम्मति से यह फैसला भी ले लिया गया था लेकिन कल का दिन तो दूसरे प्रकार से समाप्त हो गया। मैं तो आपके कक्ष में भी गया था किन्तु दुबारा नहीं गया था। परन्तु अपने आफिस से सुनता रहा और आज अब सुन रहा हूं कि प्रश्न प्रहर को निलम्बित करके उत्तराखण्ड के सवाल को बहस के लिये आप स्वीकार कर लें। जबकि पूरा का पूरा प्रश्न प्रहर विरोध पक्ष का होता है और बहुत सी समस्याओं का समाधान प्रश्न और उत्तर के माध्यम से होता है। मैं समझता हूं कि संसदीय परम्पराओं को देखते हुए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कल से आज तक हो रही है। इसलिये मैं इसकी निन्दा करता हूं और फिर आप जैसा चाहें वैसा करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपसे मेरा एक आग्रह है कि सदन नियमों से चलता है लेकिन नियमों के साथ ही साथ परम्पराओं से भी सदन चलता है। जब कभी सदन के नेताओं की आपस में बैठकर कोई बात हो जाती है और संसदीय कार्य मंत्री सहमति प्रदान कर देते हैं और आपकी कृपा हो जाती है तो कोई जरूरी नहीं होता है कि उसका कोई उल्लेख यहां करते। लेकिन परिस्थितियां आ गयीं इसलिये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपके कक्ष में मैंने, नेता विरोधी दल ने और पर्वतीय अंचल के सदस्यों ने आपसे आग्रह किया था और उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने सहमति प्रदान कर दिया था, इसलिये कल जो अव्यवस्थित सदन था और उसके बाद यहां जो धरने पर बैठे थे उनको उठाया गया तो वह आश्वासन के बाद ही उठे थे। इसलिये यदि आज चर्चा न प्रारम्भ कराते तो उनके साथ विश्वासघात होता। इसलिये आपसे निवेदन है कि जो बचन दिया है उसका सम्मान करते हुए आप चर्चा करने की अनुमति दें लेकिन इस परम्परा न बनाया जाये।

(11 बजकर 05)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

प्रमोद तिवारी जी ने जो बात कही है, मैं उससे असहमत नहीं हूं, मैंने केवल निवेदन यह किया .... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप अनुमति दें तो मैं बोलूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन्, आपने अनुमति तो मुझे दी थी और.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने क्या कहा उसको आपने सुना नहीं ? आप बड़े उदार हैं। हमारी प्रक्रिया नियमावली में दिया हुआ है, आप देखें.....

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मेरी राय उनसे और आप से भिन्न हो तो उसमें उन्हें नियम और कानून दिखाने की आवश्यकता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा निवेदन यह है कि जो तिवारी जी ने बात कही कि कल नेताओं की बैटक में यह बात तय हुई थी, तो मुझे यह जानकारी नहीं थी। यदि नेताओं की बैठक में कोई इस प्रकार की बात तय हुई है, तो उसको सम्मान देना हमारा सबका दायित्व है और उसको मैं भी सम्मान देता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि जो तय हुआ है उसके अनुसार ही आप सदन की कार्यवाही संचालित करें।

श्री ऊदल–

मुझे भी किसी ने नहीं बताया और न आपने बताया। जैसा तय हुआ है उसी के अनुसार आप कार्यवाही करें। मुझे मालूम होता तो मैंने न कहा होता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नेता विरोधी दल ने, कांग्रेस के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी ने, श्री ऊदल जी और श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो कुछ यहां कहा है, यह सदन तो जन समस्याओं को उजागर करने के लिये ही बुलाया गया है और जो महत्वपूर्ण बातें है उस पर चर्चा होनी चाहिए। कल भी हम उस पर सहमत थे। कोई भी नेता यह नहीं कह सकता है कि सरकार उस पर बहस नहीं कराना चाहती है। हम आज भी तैयार हैं और तत्काल तैयार हैं। हमारे नियमों में प्राविधान है, आप उस पर तत्काल चर्चा करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं यहां एक ही बात कहना चाहूंगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर रहा हूं। मैंने कल भी इसे सबसे पहले अपने विवेक से सुनने के लिये चुना था और नेताओं की जो बैठक हुई उसमें भी कहा कि मैं इस विषय पर जरूर सुनूंगा, पर पता नहीं कि कौन परिस्थितियां रही कि कल यह सब नहीं हो सका। जो कल तय हुआ उसके अनुरूप अब मैं उत्तराखण्ड के बारे में ही सुनूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं पहले इस पर खड़ा हुआ हूं, इसलिये इस विषय पर आप मुझे पहले बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसमें पहले यह भी देखूंगा कि समय किस प्रकार.... (व्यवधान)

* श्री रंगनाथ–

आप समय के बारे में क्या देखेंग, सीधे-सीधे आप अब नेता विरोधी दल को बोलने का मौका दें। इन्हें नेता विरोधी दल की मान्यता दी गयी है, यह सारे विपक्ष के नेता हैं, इन्हें आप बोलने दें, इसमे आप समय क्या देखेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त रहिये। शोर गुल मचाने से कोई लाभ नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मुश्किल तो यह है कि उनको यह नेता ही नहीं मानते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नेता विरोधी दल खड़े हुए हैं, उनको आप बोलने दें। उनके बीच में कोई बाधा न पड़े, पर नेता विरोधी दल को भी चाहिए कि वह अपने सदस्यों को नियंत्रित करें।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल बोलना चाहेंगे तो वरीयता उन्हीं को होगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

पहले आप यह बता दें कि किन-किन माननीय सदस्यो की सूचनाएं आयी हैं। उसके बाद नेता विरोधी दल बोलना चाहेंगे तो प्राथमिकता उन्हें दी जाए। प्राथमिकता उनकी होती है और उन्हीं की होनी चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सभी नियमों को निलम्बित करके उत्तराखंड के विषय पर चर्चा करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जानना चाहते हैं कि सूचना किस-किस की है तो मैं आप लोगों को नाम बता दे रहा हूं। पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, कल्याण सिंह की है उसमें डा० हरक सिंह रावत, श्री बच्ची सिंह रावत, श्री रमेश पोखरियाल निशंक आदि के नाम हैं। इसके बाद दूसरी सूचना माननीय नरेन्द्र सिंह की है, अगली सूचना माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, उसके बाद अगली सूचना माननीय लक्ष्मी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नारायण पाण्डेय जी की है, उसके बाद की सूचना श्री राम आसरे वर्मा की है उसके बाद की सूचना माननीय नरेश जी अग्रवाल, माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय जगदम्बिका पाल और श्री शूरवीर सिंह सजवाण, श्री राम प्रसाद टम्टा और यशपाल आर्य की है, इसके बाद की सूचना माननीय सुरेन्द्र सिंह नेगी की है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैंने भी सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास जो सूचनाएं थीं, मैंने उनके नाम बता दिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, उसमें किरन पाल जी का भी नाम है। आपने देखा न हो।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपके कक्ष में तय हो गया था कि सबसे पहले.....

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, मैं सबसे पहले दलों के माननीय नेताओं को ही बुला रहा हूं। पहले मैं नेता प्रतिपक्ष को बुला रहा हूं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने उत्तरांचल के सम्वेदनशील विषय पर यहां परचर्चा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है। मैं आपको, सभी दलों के नेताओं को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात बिन्दुवार इस माननीय सदन में रख सकूं और आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि चूंकि यह बड़ा ज्वलन्त प्रश्न है इसलिये विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र के विधायक जो किसी भी दल के क्यों न हों, उनको भी पर्याप्त समय दिया जाय ताकि उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिल सके। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आयेगा वह जनता के सामने जायेगा। मैं अपनी बात को यहां से प्रारम्भ करना चाहता हूं कि उत्तरांचल का मामला हमारी दृष्टि से मात्र आंचलिक मामला नहीं है। इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी विचार करने की आवश्यकता है।

उत्तरांचल वह क्षेत्र है जहां पर नेपाल, और चीन की सीमायें मिलती हैं। सामयिक और सामरिक दृष्टि से यह बहुत सम्वेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र में अगर वहां के जन मानस मे अशांति बनी रहे, जनमानस में कुंठा बनी रहे तो सामरिक दृष्टि से राष्ट्र के हित में नहीं होगा और मैं चाहूंगा कि सरकार भी इस प्रश्न पर इसी दृष्टि से विचार करके कोई हल निकालने का प्रयास करे। इस क्षेत्र के नवजवान पलायन करके रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्र में भागने लगे तो हमारी दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। आठों जिलों में इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है इसीलिये श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि कोई हटवादिता का रवैया न अपनायें।

और ऐसे बयान कोई न दें जिससे समस्या का समाधान होने के बजाए समस्या और बढ़ जाय, उत्तेजना पैदा हो जाय, आक्रोश पैदा हो जाय, कुंठा पैदा हो जाय। ऐसा होना प्रदेश के हित में नहीं होगा। आन्दोलनकारियों से बातचीत करके समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम सामने है। समूचा उत्तरांचल बहुत बुरी तरह से आन्दोलित है। विशेष रूप से वहां का नौजवान वर्ग अधिक उद्वेलित है। जहां तक मेरी जानकारी है उत्तरांचल के अन्दर किसी मुद्दे को ले करके इतना जबर्दस्त आन्दोलन कदाचित कभी नहीं हुआ। आज वहां के आन्दोलन को समाप्त करने की दिशा में काम करने के बजाय, मुझे खेद है इस बात को कहते हुए कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे पहाड़ और मैदान का विषय बनाने का प्रयास किया है उन्होंने यह भी प्रयास किया है कि इसकी उत्तेजना मैदानी क्षेत्रों में भी पैदा हो।

मुख्य मंत्री के पद पर बैठ जाने के बाद यह बयान देना कि हमने अपने लोगों को इशारा कर दिया तो आन्दोलनकारियों का क्या बनेगा, इस तरह की धमकी देना और यह कहना कि इसकी प्रतिक्रिया मैदान के क्षेत्र में उभर कर आ गई तो मैदान में रहने वाले जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको लौटकर पहाड़ों पर अपने घर जाना पड़ेगा. मैं समझता हूं श्रीमन् ऐसा बयान आन्दोलन में जलती आग में घी का काम करेगा। यह कहना कि उनकी सरकार उत्तरांचल से नहीं बनी है और न उत्तरांचल के सहारे टिकी है क्या यह उचित है ? यह सही है कि उनकी पार्टी में मात्र एक विधायक वहां से निर्वाचित होकर आया है। लेकिन यदि वहां का एक भी विधायक चुनकर न आता तो क्या यह मान लिया जाता कि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश के भूगोल से अलग है ? मैं समझता हूं यह सारे बयान इस सारी समस्याओं का समाधान करने में सहयोगी नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। प्रदेश के किसी अंचल में यदि कोई समस्या होती है तो स्वयं मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार जिम्मेदारी है चाहे वहां से कोई पार्टी का विधायक चुनकर आया हो या न आया हो। कहा जाता है केन्द्र से आरक्षण का मामला संबंधित है। यह कहते-कहते यह भी कह दिया कि क्या क्षेत्रीय पिछड़ेपन के आधार पर मैनपुरी, शाहजहांपुर और जिलों के नाम लिए कि उन जिलों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाय ? तो मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को नहीं भूलना चाहिए कि उत्तरांचल की जो समस्या है वह वहां की विशेष भौगोलिक सामयिक तथा आर्थिक दृष्टि से प्रदेश के शेष भाग से चाहिए। आज वहां पर आन्दोलन को कुचलने के लिए लाठियों और गोलियों का सहारा लिया जा रहा है। क्या यह मान लिया जाय कि सरकार का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है वह लाठीतंत्र के सहारे काम करना चाहती है ? ऋषिकेष पौढ़ी आदि स्थानों पर में लाठी चार्ज हुआ। एक स्थान पर गोली चली। ऐसी नीति से श्रीमन् वहां की स्थिति और बिगड़ गई है।

आन्दोलनकारियों से बातचीत करके समाधान निकालने के बजाय 24-25 कम्पनी पी० ए०.सी० की और भेज दीं। आप पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भावना के साथ किस हद तक खिलवाड़ करना चाहते हैं ? क्या मुख्य मंत्री हिन्सा को बढ़ावा देना चाहते हैं ? यदि हिंसा फैलती है तो क्या इसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर नहीं पड़ेगा ? और इसी नाते से आज बहुत शांत चित्त होकर इस समस्या का समाधान खोजने की आवश्यकता है। इस आन्दोलन का आयाम कैसा है ? इस आन्दोलन में आज वहां की जनता कूद पड़ी है। सच बात तो यह है कि आज यह आन्दोलन किसी एक दल का आन्दोलन नहीं रह गया है यह जन आन्दोलन बन गया है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कर्मचारी इस आन्दोलन में कूद पड़े हैं।

किसान, नौजवान सभी इस आन्दोलन में कूद चुके हैं। इस नाते से श्रीमन् इस आन्दोलन को किसी एक संस्था या दल का आन्दोलन मानना भारी भूल होगी। रोडवेज का चक्का जाम है जनजीवन अस्त-व्यस्त है। पर्यटकों के आने जाने के कारण जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, उसकी क्षति हो रही है। आज एक प्रकार से पूरा उत्तरांचल बुरी तरह से आन्दोलित है बहुत बुरी तरह से उद्वेलित है। एक बात की तरफ मैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ नेता जिनको वहां की जनता का विश्वास प्राप्त है, वह आमरण अनशन पर बैठे हैं। श्री काशी सिंह ऐरी जी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं मुझे सूचना है कदाचित वह यहां सदन में आए भी हैं।

श्री इन्द्रमणि बरौनी जिनकी आयु 83 वर्ष की है यह आमरण अनशन पर बैठे हैं। परमात्मा न करे उन्हें कुछ हो जाए लेकिन अगर सरकार की हठवादिता के कारण अगर किसी अनशन कारी के प्राणान्त हो गये तो कल्पना कीजिए कि स्थिति कितनी भयावह हो जायेगी। उस स्थिति में पूरा उत्तरांचल धू-धू करके जलने लगेगा। उसकी प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में होगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की होगी और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी की जिम्मेदारी होगी। इस नाते हठवादिता छोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है। अभी एक बयान पढ़ रहा था माननीय मुख्य मंत्री जी का उन्होंने यह दिया भाजपा वाले इसको भड़का रहे हैं यह सही नहीं है। वहां तो प्रत्येक दल इसके साथ शामिल हो गया है। यह जन आन्दोलन बन गया है। भाजपा के विधायक के साथ ही कांग्रेस के विधायक और उत्तराखण्ड के विधायक भी इसके साथ हैं। मैं समझता हूं कि इस आन्दोलन को सभी का समर्थन प्राप्त है। इसलिए किसी पार्टी विशेष को इसके लिए कहा जाए तो यह उचित नहीं है। अभी पिछले दिनों श्री आर० के० चौधरी, परिवहन मंत्री वहां गए थे। मैंने उनका बयान पढ़ा। यह भी वहां कह कर आए हैं कि यहां की जनभावनाओं को देखते हुए सरकार पर्वतीय अंचल में लागू की गई नई आरक्षण की नीति को वापस लेगी और उसके पश्चात एक नई नीति लाकर इस समस्या का समाधान निकालेगी। मैंने अखबार में पढ़ा है श्री आर० के० चौधरी यहां बैठे हैं वह इसका खंडन यदि करना चाहें तो करें।

श्रीमन् इसी के साथ अभी 18 अगस्त को पौढ़ी सर्किट हाउस में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की गढ़वाल इकाई का सम्मेलन हुआ। उसमें कहा गया है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की गढ़वाल मंडल की इकाई ने विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं में आरक्षण की वर्तमान पद्धति में संशोधन की मांग की है गत 18 अगस्त को पौढ़ी सर्किट हाउस में सम्पन्न मंडलीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर शासन से मांग की गई है कि माध्यमिक कक्षाओं की तरह स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए नियत 50 प्रतिशत आरक्षण को कम किया जाए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आरक्षित जातियों के पर्याप्त छात्र उपलब्ध नहीं है। आरक्षण आदेश के फलस्वरूप अन्य जातियों के छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। इससे छात्र समुदाय में असन्तोष व्याप्त है " एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को पिछड़ा मानते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण में समायोजित करने की मांग की है। तो अब यह कहना कि केवल भारतीय जनता पार्टी इस आन्दोलन का भड़का रही है यह उचित नहीं है। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री की पार्टी के लोगों द्वारा जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की है। श्रीमन्, कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके दल के लोग निराधार आरोप दोहराते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आन्दोलन को इसलिए समर्थन दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। श्रीमन्, मैं इस सदन में श्री कई बार

कह चुका हूं और बाहर भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की प्रबल समर्थक है।

(मेजों की थपथपाहट)

हमारे लिये यह कोई नई चीज नहीं है। 1981 के कोचीन के अधिवेशन में हमने आरक्षण के बारे में प्रस्ताव पास किया है। उसके पश्चात् दोबारा 20 जुलाई, 1985 को भोपाल के अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित करके आरक्षण के पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। फिर अप्रैल, 1993 में बंगलौर में भा० ज० पा० की राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन में जो सामाजिक नीति वक्तव्य पारित किया गया है उससे इस बारे में स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गयी है। मैं आपकी अनुमति से वह अंश पढ़ना चाहता हूं :–

"काफी पहले 1981 और 1985 में भाजपा ने आरक्षण की समस्या के बारे में अपना मत और दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था। भूतकाल में बहुत समय तक प्रताड़ित रहने के कारण वंचित तथा उपेक्षित वर्गों के लिये संविधान में जिन विशेष सुविधाओं और अवसरों का प्राविधान किया है, भाजपा उन्हें उन लोगों की प्रगति के लिये व्यावहारिक उपाय मानती है।

1–भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की वर्तमान नीति यथावत रखी जाय। नौकरियों में रखे गये कोटे को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भरा जाय।

2–भाजपा मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में है। पिछड़े वर्गों में आरक्षण का लाभ ठीक नीचे से बढ़ते हुये ऊपर की ओर प्रवाहित होना चाहिये ताकि अत्यधिक पिछड़ो को लाभ पहले प्राप्त हो।

3–चूंकि समाज के किसी वर्ग में पिछड़ेपन के कारणों में निर्धनता भी एक प्रमुख कारण है अतः भाजपा अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के लिये आर्थिक सिद्धांत के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करती है। यदि आवश्यक समझा जाय तो आरक्षण की प्रभावकारी नीति को सार्थकता प्रदान करने के लिये संविधान में समुचित संशोधन किया जाय। पार्टी का विश्वास है कि सभी वर्गों की प्रगति सामाजिक विभाजकता पैदा करके नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देकर सुनिश्चित की जा सकती है।"

मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण नीति की इतने असंदिग्ध और स्पष्ट शब्दों में जो व्याख्या कर दी गयी है उसके बाद किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिये और यह गलत प्रचार बन्द होना चाहिये कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। हां, उत्तरांखण्ड का जो मामला है उसकी कुछ परिस्थितियां भिन्न हैं।

उत्तरांचल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहां की परिस्थितियों में आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि यह इसलिए भी आवश्यक है कि वहां के नौजवानों में आक्रोश है। इस बात को लेकर के भी है कि वहां पर कोई रोजगार नहीं है वहां कोई उद्योग नहीं है, फैक्ट्री में रोजगार

उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है । वहां की अर्थ.व्यवस्था "मनी आर्डर" की व्यवस्था पर आधारित है । नौकरी की उनके लिए बहुत बड़ा श्रीमन्, सहारा बना हुआ है और इसलिए हमें यह कहना है कि उत्तरांचल में ओ० बी० सी और अन्य पिछड़ी जातियों की जितनी संख्या है, उनका जितना अनुपात है, जो परसेन्टेज है उसी प्रतिशत में, अनुपात में आरक्षण उन्हें तत्काल दिया जाना चाहिए । मैं सपोर्ट करता हूं । लेकिन उस 27 प्रतिशत में से जो कोटा शेष बचे उसे केवल फिलहाल स्थगित करने की बात करता हूं उससे सदा के लिये निरस्त करने की बात नहीं कहना । इसके कुछ कारण हैं ।

पहला कारण तो यह है कि उत्तरांचल का मामला केवल आंचलिक मामला नहीं है । दूसरा उत्तरांचल अलग राज्य बनने की प्रक्रिया में चल रहा है । नाम चाहे जो कुछ रख लें, लेकिन अलग राज्य बनाया जाना चाहिए । आप उत्तराखण्ड कहें मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय पर आप शान्ति से विचार करें । कहीं किसी तनाव की आवश्यकता नहीं है । भा० ज० पा० की सरकार ने विधान मंडल दल से अलग उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए मामला केन्द्र सरकार के पास भेज दिया था और वर्तमान सरकार ने भी अलग से अपनी भाषा में उत्तराखण्ड अलग राज्य बनाने की घोषणा इसी सत्र में की । सार्वजनिक सभाओं में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और मा० मंत्रियों ने अलग-अलग समय-समय पर घोषणाएं कीं । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलग से उत्तराखण्ड राज्य बनाये जाने की घोषणा कर रखी है । श्रीमन् यह बात अलग है कि यह सरकार उत्तरांचल अथवा उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के मामले में गंभीर नहीं है । दिनांक 17 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में भा० ज० पा० के डा० मुरली मनोहर जोशी ने प्रश्न किया था कि क्या मा० गृह मंत्री 25 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4048 के लिये दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क–क्या सरकार ने उत्तरांचल के गठन के संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कोई बात-चीत की थी और क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल के गठन का समर्थन और पुनः अनुरोध किया है ?

ख–क्या केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि उत्तरांचल की मांग करके विभिन्न समूहों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और ऐसी बात चीत की विषय वस्तु क्या है ? और

ग–उत्तरांचल के गठन के लिए कब तक कदम उठाये जायेंगे ।

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी० एम० सईद का उत्तर है कि (क) दिसम्बर, 1993 में बनी नई सरकार ने अब तक मामले को केन्द्र सरकार के साथ औपचारिक रूप में नहीं उठाया है । ख और ग का प्रश्न नहीं उठता ।

लेकिन मैं मान लेता हूं कि सरकार के इस सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं कि वह भी अलग राज्य बनाने को ठीक मानती है । इसलिये उत्तरांचल राज्य बनाने की प्रक्रिया में मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से भी विनम्र शब्दों में इस बात की अपील करता हूं कि उत्तरांचल राज्य को अलग दर्जा दिये जाने की दृष्टि से वे भी अपने प्रभावों का उपयोग करें । माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलकर इस बात का आग्रह करें कि उत्तरांचल राज्य को अलग राज्य की अनुमति दे दी जाय । यह मेरा उनसे अनुरोध है । श्रीमन्,

आरक्षण किसी राज्य का विषय है । उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत है, यह उत्तर प्रदेश का विषय है । तमिलनाडु में 69 प्रतिशत है, यह तमिलनाडु का विषय है । मेरी जानकारी है कि कर्नाटक में 73 प्रतिशत का आरक्षण है, तो यह कर्नाटक राज्य का विषय है । हम ठीक उसी प्रकार से यह कहना चाहते हैं कि आज उत्तरांचल में ओ० बी० सी० का जितना प्रतिशत है, उतना उनको आरक्षण तत्काल दिया जाय और उसके बाद 27 प्रतिशत में से शेष बचे उसको स्थगित कर दिया जाये और तब तक स्थगित कर दिया जाय जब तक कि उत्तरांचल राज्य नहीं बन जाती और वहां उत्तरांचल की सरकार नहीं बन जाती वह उस सरकार के लिये छोड़ दिया जाये, तो उत्तरांचल राज्य की बनेगी । अगर सरकार नेकनियती से उत्तरांचल राज्य बनाने के पक्ष में है, तो आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल कदम इस संबंध में उठाया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य अलग बनाने में जो भी कदम उठाये जायेंगे, जो भी भा० ज० पा० उस के हर कदम का समर्थन करेगी । हम तैयार है ।

विधान सभा में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है । आज मुख्य मंत्री की ओर से प्रस्ताव उत्तरांखण्ड का आया है, लेकिन उत्तरांचल राज्य तो बनायें और इस संबंध में जो कदम उठाये जायेंगे, भा० ज० पा० उनका पूरी तरह से समर्थन करेगी । हमारे दल ने घोषणा की है कि उत्तरांचल की जितनी भी समस्यायें हैं, वह उत्तरांचल राज्य अलग बनाकर ही सुलझाई जा सकती है । आज जो आन्दोलन हो रहे हैं, उस बड़ी मांग में से उपजा हुआ एक मुद्दा है और भा० ज० पा० का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि अलग उत्तरांचल राज्य से कम कुछ स्वीकार नहीं है । कई बार हिल डेवलपमेंट काउन्सिल बनाने की चर्चा चली । पर्वतीय विकास परिषद् का बनाया जाना उस क्षेत्र के लिये कारगर कदम नहीं होगा । उत्तरांचल राज्य बन जायेगा तो सरकार बनेगी वह उन सारी समस्याओं को हल कर ले जायेगी । आज का जो आन्दोलन चल रहा है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस आन्दोलन को हल्के फुल्के ढंग से न लें । आप इसको पहाड़ और मैदानका विषय न बनावें । सरकार हठवादिता को छोड़े । कोई ऐसा हल निकाल जाये जो सभी को स्वीकार हो । बड़े विनम्र शब्दों में मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लाठी और गोली के सहारे, आज तक दुनिया का इतिहास बताता है, कोई आन्दोलन या जन आन्दोलन दब नहीं पाया है । हम नहीं चाहते हैं कि वह स्थिति यहां पर उत्पन्न हो और इसी कारण हम चिंतित हैं । मुख्य मंत्री जी ने एक इशू बना रखा है कि भा० ज० पा० आरक्षण की विरोधी है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप राजनीति मत खेलिये । भा० ज० पा० आरक्षण की बहुत प्रबल समर्थक है । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल की जो परिस्थिति है, वह अलग है ।

इस समस्या का हल निकालना चाहिये । लोग वहां से भाग रहे हैं, पलायन हो रहा है । परिस्थिति उग्रतर होती जा रही है । जितनी जल्दी समस्या का हल निकालेंगे, वह उत्तरांचल के लोगों के हित में होगा और पूरे राष्ट्र के हित में अधिक होगा । सारे विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर इसका सही और सम्यक समाधान खोजने का प्रयास करें । और इस प्रकार का कार्य करे जो सबको स्वीकार्य हो । उसमें हमारा भी पूर्ण सहयोग होगा, सब लोग मिल बैठकर समस्या का समाधान खोजें । जितने माननीय नेता हैं वह भी इस बात से सहमत होंगे कि यह समस्या सब की समस्या है, हम सब चिन्तित हैं, पूरा सदन चिन्तित हैं तो श्रीमन् मैं पुनः इस बात का आग्रह कर रहा हूं कि इसमें जिद छोड़े, धमकी के बयान देना बन्द करें । अभी मैं सपा के एक माननीय सदस्य का बयान पढ़ रहा था उसमें कहा गया था कि यदि सवर्णों को पढ़ने की ज्यादा चिन्ता है तो अपने विद्यालय खोल लें, तो इस प्रकार से ऐसा बोलना, यह भी

बोलना एक प्रकार से आग में घी डालना हुआ । शिक्षा प्राप्त करना सबका अपना अधिकार है और शिक्षा देना सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना यह सरकार का दायित्व है ।

आपने शिक्षण संस्थाओं में 50 प्रतिशत का आरक्षण किया है, कीजिए, क्योंकि मैंने साफ कह दिया कि सिद्धान्ततः हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं लेकिन यह तो बता दीजियेगा कि जो बाकी के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या इन्तजाम होगा ? सरकार के सामने तो सभी वर्गों का हित होता है इसके लिए आप कक्षाएं बढ़ा सकते थे, सेक्शन बढ़ा सकते थे और रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर सकते थे मैंने मुख्य मंत्री का बयान पढ़ा कि एक की जगह चाहे दो पाली चलानी पड़े सरकार मैं किसी छात्र को वंचित नहीं होने दूंगा तो कोई छात्र वंचित नहीं होना चाहिए चाहे वह किसी जाति का हो, वर्ग का हो, आप व्यवस्था कीजिए हम सब समर्थन करेंगे । अभी पहाड़ों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं भाषा के विज्ञान के, उनको भरने की आपको चिन्ता नहीं है क्योंकि वोट बैंक की खातिर वहां उर्दू के पद भरने की चिन्ता खाये जा रही है, यह वोट की राजनीति हमको लेकर कहां पहुंचायेगी समस्या बहुत गंभीर है इस नाते सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करूंगा कि इसका कोई न कोई निष्कर्ष निकालें और जो कुछ भी वहां पर लाठी चार्ज और गोली कांड हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाय और जो दोषी पाया जाय उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय । मैं श्रीमन्, आपको धन्यवाद देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ उत्तरांचल की समस्या के बारे में अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सम्पूर्ण सदन की एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपने जो अनुमति प्रदान की है उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उन सम्मानित नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति प्रदान की । मान्यवर, यह विनम्र आग्रह आपसे है कि यह समस्या किसी दल की समस्या नहीं है, किसी जाति की समस्या नहीं है यह समस्या पूरे पर्वतीय क्षेत्र की है । आज पर्वतीय जिलों में आग लगी हुई है वहां पर शांति नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । आज तक का जो समाचार मिला है और स्वयं की जानकारी के अनुसार भी इस समय पूरी तरीके से कुमायुं और गढ़वाल में बन्द शतप्रतिशत सफल है वहां पर कोई आवागमन नहीं हो पा रहा है । स्थिति आज वहां अभूतपूर्व एकता की है । यह दलों के बंधन में नही रह गया है, यह आंदोलन वहां जन-जन की भाषा बन गयी है । आज जो वहां यह स्थिति बनी है, कोई न कोई कमी किसी स्तर पर है । यह जो आन्दोलन चल रहा है, इसमें कुछ लोग राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहते हैं, मैं उन दोनों की निन्दा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, जिनकी कमियों से आन्दोलन चला और जो इस आन्दोलन में राजनीतिक खोये हुये वोट ढूंढ रहे हैं, इससे निन्दनीय कुछ और नहीं हो सकता है ।

पंजाब की समस्या सुलझी नहीं है, वहां कुछ शुरूआत ऐसी हुई थी । अलगाववाद से ज्यादा बड़ा जहर किसी देश या प्रदेश की अखंडता के लिये नहीं होता है । अलगाव के लिये बात करना सबसे बड़ी भूल होगी । इस समस्या को पर्वतीय अंचल और मैदानी अंचल में बांटकर देखने की कोशिश न करें । यह सबकी समस्या है, सबको देखकर इसका समाधान करना चाहिये । कोई भी लोकतांत्रिक आन्दोलन हो, मांग हो, आंदोलन और मांग कभी लाठी-गोली से नहीं दबायी जा सकती है, न उससे समस्या का

समाधान ढूंढा जा सकता है । इस समस्या के लिये, कांग्रेस की तरफ से, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि आज, यदि आज संभव न हो तो कल, जितने उत्तर प्रदेश विधान सभा में पर्वतीय अंचल से विधायक निर्वाचित होकर आये हैं अपने पास कृपापूर्वक उनको बुला लें उनकी समस्याओं को सुनें और समाधान के बारे में उनकी राय भी ले लें । संविधान के दायरे में बात कर, कोई न कोई रास्ता ढूंढकर निकाल दें । नहीं तो जो यह आग लगी हुई है पर्वतीय अंचल में वह फैलेगी । कृपापूर्वक इसमें विलम्ब न करें, तत्काल चाहे इस दल के हों, उस दल के हों या आपके दल के एक विधायक हैं, सबको बुलाकर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें । इस समस्या का एक समाधान है, कांग्रेस की तरफ से मैं इसे सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं तत्काल वहां के विधायकों की बैठक बुलाकर विचार करें ।

मान्यवर, पर्वतीय अंचल की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति भिन्न है वहां लंबी दूरी तक गांव ऐसे हैं आप पहुंच नहीं सकते हैं, वहां आवागमन के रास्ते नहीं है । विकास की जो बात है, जितना किया गया है, बहुत से क्षेत्रों में नहीं हुआ है । परन्तु, वहां की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति भिन्न है, बहुत जगह विकास की रोशनी नहीं पहुंच पायी है, पुल नहीं हैं, रास्ता नहीं है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक रास्ता है पर्वतीय अंचल की समस्या के समाधान का वह यह कि पूरे पर्वतीय अंचल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दें, पिछड़ों को मिलने वाली सुविधायें उनको दे दें यही एक मात्र समस्या का समाधान है । यह जो आंदोलनकारी थे, किन्हीं गलतफहमी के कारण उनका आन्दोलन उग्र रूप धारण कर रहा था तो सरकार का क्या कर्तव्य था । सरकार का कर्तव्य यह था कि आन्दोलन की आग को ठंडा करें उसमें पानी डालने की कोशिश करें । यह जो बयान आया, वह सच है या क्या है, उससे अलगाव को बढ़ावा मिला है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब वे अपना भाषण दें तो स्थिति स्पष्ट कर दें और कह दें कि यह उनका वक्तव्य नहीं आया, जो यह आयी कि हमारे लोग पर्वतीय अंचल का आंदोलन चला तो निपटेंगे । इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि ऐसा बयान मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया है । लेकिन यह स्पष्ट हो जाना चाहिये ।

मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं और यह समझता हूं कि आन्दोलनकारी लोगों के भी जो प्रतिनिधि हैं, वे ऐसी भाषा का प्रयोग न करें । इसी आशा के साथ मैंने कहा और बल देता हूं कि कोई भी मुख्य मंत्री अलगाव की बात नहीं कह सकते हैं । लेकिन इस पर सदन में स्पष्टीकरण आना आवश्यक है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस आंदोलन में जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उनको लाभ नहीं मिलना चाहिये । इस पूरे प्रकरण पर किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई गड़बड़ी हुई है । लेकिन हिन्सा का सहारा लिया है उसको दबाने के लिये निश्चित रूप से जिस तरह हिंसा का सहारा सरकार ने लिया है वह चिन्ता का विषय है, निन्दनीय है । तो मैंन माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किसी हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायें ताकि यह साफ-साफ पता लग जाये कि कौन दोषी है और कौन नहीं ? जो दोषी हैं जिन्होंने गोलियां चलायी हैं, जिन्होंने लाठियां चलायी है बिना कारण, जहां पर शान्तिपूर्ण ढंग से लोग बैठे थे उनको जबरदस्ती उठाया है उसकी जांच हो और यह न्यायिक जांच हो । जहां तक आरक्षण का मुद्दा है, इस संबंध में हमने सर्वोच्च न्यायालय से राय ली थी और उन्होंने यह कहा था कि 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया जाये और इसे

भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन उसे विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य है और हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था यदि किसी ने की थी तो वह निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी।

हमें इस बात का गर्व है कि जब 27 प्रतिशत आरक्षण की बात आयी तो उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय से विधिक राय लेकर भारत सरकारऔर कांग्रेस सरकार ने किया और उसी पर बल देते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं और इसे लागू करने के लिए हम बराबर प्रयास भी करेंगे और दबाव भी बनायेंगे। किसी को इसमें वोट नजर आ रहे हैं मगर हमें नहीं नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने वायदा किया था कि 10 प्रतिशत आरक्षण उनको दिया जायेगा जो उस कैटेगरी में नही आते तो उस पर बल दिया जाना चाहिए, और हम सरकार की इस भूल की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण मिले। आज विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जा रही है, विद्यालयों में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं क्योंकि चयन आयोग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि जब कोई चयन आयोग ही नहीं है तो शिक्षकों का चयन नहीं हो पा रहा है। पिछले तीन सालों से कोई चयन नहीं हो पाया है, कालेजों में शिक्षक नहीं हैं, जो ग्राइन्ट इज ऐड दी जाती थी वह भी नहीं दी जा रही है। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी मैं इस बात का स्वागत करता हूं। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर कोई पढ़ना लिखना चाहें तो उसे शिक्षा मिलनी चाहिए और यही सरकार की नीति भी है लेकिन विषमता पैदा करके नहीं लागू किया जाना चाहिये। आप विद्यालयों में आरक्षण लागू करें लेकिन उसके लिये सीटें भी बढ़ायें 27 के बजाय 50 सीटें बढ़ा दें, ताकि इसका असर अच्छे छात्रों पर न पड़े। जो 90 प्रतिशत नम्बर लेकर पास होते हैं वह इससे कहीं वंचित न रह जायें इसलिये सीटें बढ़ायें। अगर नहीं करते हैं तो यह सरकार की असफलता का प्रतीक है।

आज इस कारण पढ़ने लिखने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि आप दो पालियों में शिक्षा देने लेकिन यह कब तक करेंगे। जुलाई बीत चुका है और अगस्त भी समाप्त हो रहा है कब निर्देश देंगे। सितम्बर भी आने वाला है कब प्रवेश देंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूं तमाम वैधानिक कठिनाइयां आयेगी। शिक्षक दूसरी शिफ्ट के लिये तैयार होंगे नहीं, विद्यालय भवन दो शिफ्टों के चलाने योग्य है अथवा नही, शायद इन सब बातों पर आपने विचार नहीं किया। तैयारी तो आपने कुछ की नही, बस घोषणा भर कर दी है, जो कभी अमलीजामा नहीं पहन सकती। आप सभी को प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें, वरना यदि छात्र बिना प्रवेश के सड़कों पर घूमेंगे तो समाज से अलग होंगे और किसी सरकार की ऐसी नीति नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही, आपने भी कही है। सभी पर्वतीय अंचल बनाने की बात करते हैं। आप आये तो उत्तरांचल का नाम दे दिया और आप आये तो उत्तराखण्ड का नाम दे दिया, लेकिन काम कोई नहीं करता। नेता विरोधी दल जी, आप मुझे यह बता दें कि जब आपकी सरकार थी तो आपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिये ऐसे कौन से कार्य किये, जो वहां की जनता आपको याद रखे। आप तो हैं ही विनाश के लिये, विकास की तो आप बात करने ही नहीं। आप उत्तराखण्ड बनाने की बात करते हैं, लेकिन प्रस्ताव भी नहीं भेजा। जब तक आप प्रस्ताव ही नहीं भेजेगे तो उसके

स्वीकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं कहना चाहूंगा कि दोनों दल वहां के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ बन्द कर दें । अलग राज्य बनाना केन्द्र सरकार का विषय है, आप प्रस्ताव भेजेंगे और अगर वह नियमपूर्वक होगा, उनकी नीति होगी, तो वह अवश्य बनेगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें आपके हाथ में हैं, वह आप क्यों नहीं करते ? जैसे जिलों को बनाने की बात है, यह प्रदेश सरकार को बनाना है, आप 16 जिले बनाइये, बागेश्वर की मांग है, चम्पावत की मांग है । इसी तरह तहसील मुख्यालय बनाने का मामला है । आज भी तहसील आने के लिये 70-80 कि० मी० लोगों को जाना पड़ता है, आप नये विकास खण्ड सृजित करने की बात नहीं करते । आपका अपना जो कार्य है, उसे नहीं करते । आप वहां की भावनायें केवल केन्द्र सरकार पर डालना चाहते हैं, जबकि आप यह भी नहीं चाहते कि प्रस्ताव वहां जाय । न आपकी नीयत साफ थी और न आपकी नीयत साफ है, जो भी वहां विकास कार्य हुये, वह कांग्रेस शासनकाल में हुये । मैं एक चीज और चुनौती के रूप में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पर्वतीय अंचल के सदस्य जब बोलने के लिये खड़े हो तो कृपया बतायेंगे कि 16 महीनों में उनकी सरकार ने पर्वतीय अंचल के लिये क्या-क्या कार्य किये ? मैं इस सरकार को एक बात के लिये अवश्य बधाई दूंगा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति कर उन्होंने अपनी सदाशयता जाहिर की है, लेकिन मात्र इससे स्थितियां सामान्य नहीं होंगी । जब तक आप जनपद, तहसील, विकास खण्ड नहीं बनायेंगे, तब तक वहां का विकास होने वाला नहीं है ।

एक बात और कहना चाहूंगा और माननीय नेता विरोधी दल से भी आग्रह करूंगा कि वह स्वंय को सुधार लें, वरना देश में कोहराम मच जायेगा । उन्होंने कहा कि पर्वतीय अंचल की सीमायें चीन, नेपाल और पाकिस्तान से मिलती हैं, मैं नक्शा देख रहा हूं कि पाकिस्तान से कहीं नहीं मिलती । अगर वह गलती से कह गये तो और बात है, वरना अपने इरादे बता दें कि क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं ? मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कि हिन्दुस्तान के जुगराफिया से खिलवाड़ न करें । चाहें तो वह कार्यवाही देखकर उसको निकाल दें अन्यथा अध्यक्ष जी उसको कार्यवाही से निकलवा दें, अन्यथा बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । अगर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल की सीमायें पाकिस्तान से मिलती हैं तो पंजाब, जम्मू काश्मीर और हिमांचल का क्या होगा ? नेता विरोधी दल ने अपनी सीमायें वहां तो नहीं पहुंचा दी ।

अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में यह आग लगी हुई है, वह कोई साधारण क्षेत्र नहीं है वह हमारा प्रहरी है, सीमा है और जिसने सदैव अजेय दुर्ग के रूप में हमारे देश की रक्षा की है । आजादी की लड़ाई में भी पर्वतीय अंचल का एक अलग स्थान है । आजादी की लड़ाई का बिगुल जब बजा था तो बलिदान देने के लिये पर्वतीय अंचल के लोग पीछे नहीं थे और बरतानिया हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिये अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था । भारत की सेना में हर चौथा-पांचवा सैनिक पर्वतीय अंचल का मिल जायेगा । वह अपनी जान की परवाह किये बगैर देश की सेवा में लगा हुआ है । उस क्षेत्र में लगी हुई आग को बुझाने के लिये अलगाववाद की भाषा बोलकर उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय नेता विरोधी दल से चाहूंगा कि पर्वतीय अंचल की वर्तमान समस्या को दूर करने के लिये राजनैतिक भाषा बोलना छोड़ दें और इस समस्या का समाधान करें । मैं और मेरा दल पर्वतीय क्षेत्र को

पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके, पिछड़ों को मिलने वाली सुविधा को उन्हें देने का अनुरोध करता है और इसके साथ ही यह भी अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में यह घोषणा करें, कि पर्वतीय अंचल के विधायकों को बुलाकर उनकी बात सुनेंगे । इस समस्या के समाधान करने की कृपा करें ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश के ज्वलंत विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस गम्भीर विषय पर मैंने बहुत ध्यान से माननीय नेता प्रतिपक्ष और सदैव की भांति बोलने वाले श्री प्रमोद तिवारी जी का भाषण बड़े गौर से सुना । इन दोनों ही नेताओं ने कहा है कि हम शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण के हामी हैं । लेकिन इन दोनों लोगों के बयानों का विश्लेषण किया जाये और उसको ध्यान से देखा जाये तो दोनों ने ही यह कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में जो सामान्य शिक्षा है उसमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, यही नतीजा इनके भाषण से निकलता है । इन्होंने कहा है कि 27 फीसदी आरक्षण दिया जाये लेकिन सामान्य शिक्षा से किसी को रोका न जाये, सबको शिक्षा दी जाये इसमें अगड़े, पिछड़े और दलित का कोई भेदभाव न किया जाये, संविधान में भी यह है कि सभी को समान शिक्षा दी जाये, कोई भेदभाव न किया जाये । जो भी सरकारें इस देश या प्रदेश में रहीं सभी सरकारों का दायित्व है कि जो व्यक्ति सामान्य शिक्षा लेना चाहे, उसको दी जाये, उसको सामान्य शिक्षा से वंचित करने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक उत्तरांचल या उत्तराखण्ड का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल नाम देती है और समाजवादी पार्टी उत्तराखण्ड । कांग्रेस पता नहीं कौन सा नाम देती है, इनके शासन काल में भी अलग राज्य बनाने की यह मांग उठी थी । उस समय प्रदेश में भी इनकी सरकार थी और केन्द्र में भी थी । अभी प्रमोद तिवारी जी ने अपने भाषण में कहा है कि कोई सही प्रस्ताव जायेगा तो केन्द्र सरकार की जो नीति होगी उसके अनुरूप निर्णय लिया जायेगा । पर्वतीय क्षेत्र को एक अलग प्रदेश के रूप में वहां के लोग चाहते हैं, प्रतपिक्ष चाहता है, सत्ता पक्ष चाहता है, हम चाहते हैं और लगभग सभी लोग चाहते हैं । ...

(12 बजकर 05 मिनट)

इस माननीय सदन में घोषणा बार-बार कर चुके हैं । सभी को मालूम भी है और यह मांग करनी चाहिए । इस समस्या का, उत्तराखण्ड की समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है कि जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके, इन पर्वतीय जिलों को सूबे के रूप में दे सकें , उत्तरांचल या उत्तराकाण्ड दे सकें और इतना ही ठीक है तथा यही इस समस्या असली समाधान है । मान्यवर, संविधान में पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर देने की बात है, नौकरियों में आरक्षण देने की बात है और टेक्निकल एजूकेशन में जो कम्प्टीशन होते हैं उसमें भी विशेष आरक्षण देने की बात है । सिर्फ जातीय आधार पर कोई पिछड़ा नहीं होता है ।

मान्यवर, जाति के आधार पर पिछड़ा होना एक समस्या नहीं है बल्कि वहां की स्थिति के आधार पर, भौगोलिक आधार पर एवं संस्कृति के आधार पर भी पिछड़ेपन की समस्या है । मान्यवर, यह मांग की जाती है और यही पिछड़ेपन के आधार भी हैं । मान्यवर, मैं इस संबंध में मांग करना चाहूंगा, सभी इस माननीय सदन में कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, दूर-दूर घाटियों में गांव बसे हुये हैं । सौ-सौ, दो-दो सौ की आबादी वाले गांव हैं, वहां पर विकास

नहीं हो पाया है । मान्यवर, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये, भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र को तत्काल पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जा सकता है । मेरी पुरजोर मांग है कि उत्तराखण्ड के विकास के जो प्रयास चल रहे हैं, उन्हें और तेज किया जाय और जब तक यह प्रयास साकार रूप धारण करे तब तक के लिये उत्तरांचल या उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मानकर सुविधायें दी जायें । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री कल्याण सिंह जी ने, श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा है ।

श्री प्रमोद तिवारी जी जो भी वार्ता करते हैं उसका खण्डन भी कर देते हैं और इन्होंने बहुत ही सुन्दर बात कही है । यह निश्चित है कि अखबारों में जो बात छपी है, वह ठीक है । पर्वतीय क्षेत्र की हरियाली में लाल धब्बे बन गये हैं और यह धब्बे कहीं खून की शक्ल में परिवर्तित न हो । वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है उस आन्दोलन ने आग में घी का काम किया है । पर्वतीय और प्लेन का बात उचित नहीं है और यह जो बयान दिया जा रहा है, यह बयान सर्वथा अनुचित और गलत है, मैं इसे रिपीट करना नहीं चाहता, जो बयान दिया है उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है, इस बयान को इस तरह नहीं आना चाहिए । मान्यवर, वहां के जो वयोवृद्ध देश की आजादी की लड़ाई लड़े हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए । वहां पर जो आमरण अनशन में बैठे हैं,उनको मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस संबंध में बयान तो आ गया लेकिन मान्यवर, जो आन्दोलनकारी हैं, जो आमरण अनशन पे बैठे हैं वह जिन्दगी और मौत से झूल रहे हैं । मेरठ के अधिकारी डी० एम०, एस० एस० पी०, एस० डी० एम० और ए० डी० एम० में कोई भी उनका हालचाल पूछने तक नहीं गया है, उनको वहां पर जाना चाहिए था । मान्यवर, हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में सरकारों को विध्वंसक लोगों से अलगाववादी ताकतों से बचाने के लिये देश के झण्डे और नक्शे में विश्वास नहीं करते हैं । सरकार को बास करने का पूरा दायरा है ।

मान्यवर, वहां जो आन्दोलन चल रहा है वह काफी तेज हो गया है । सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं । आन्दोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानी तो वह अहिंसक रास्ता छोड़कर हिंसा रास्ता अपनायेंगे और यह आन्दोलन हिंसक ताकतों के हाथ में पहुंच जायगा । भा० ज० पा० के नेताओं और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने जिक्र किया है । जो पहाड़ सारे देश की सीमा पूरब, पश्चिम और दक्षिण है, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, इससे किसी भी सीमा पर नुकसान नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर और पर्वतीय सीमा का जो अहिंसक आन्दोलन चला रहे हैं, उस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, कहीं यह हिंसक आन्दोलन का रूप धारण न कर ले और अलगाववादी ताकतें हावी हो जांय । यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बयान के खण्डन का असर पड़ेगा । ...

विधान सभा में खण्डन करें यदि आपने ये तेवर दिखाये हैं तो । आपके सहयोगी दल के नेता तो आपको न मालूम कितने तेवर दिखाते रहते हैं, थोड़ा सा तेवर उनको भी दिखा दीजिए । स्टार टी० वी० पर आपके सहयोगी दल के नेता कहते हैं कि हमने मुलायम सिंह को बुलाया और उससे ये कहा । श्री मुलायम सिंह यादव हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, प्रदेश का सम्मान हैं । मैं मांग करना चाहूंगा कि जो भी हमारे आन्दोलनकारी होता हैं, इसे प्रेस्टिज का सवाल नहीं बनाइये, यह प्रदेश का सवाल है, उनसे बात की जाय और इस समस्या का सामाधान जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश की जाय । मैंने दो-तीन

बातें आपके सामने रखी । मैं फिर कहना चाहूंगा कि यह विषय पार्टी का नहीं है । यह सारे प्रदेश का विषय है ।

श्री कल्याण सिंह जी कई बार दिसम्बर से अब तक यह दलील दे चुके हैं कि हम पिछड़ों के आरक्षण के समर्थक हैं, समर्थक हैं । परन्तु जनता के बीच में रहकर, जब भी कोई इस प्रकार का फितूर आता है तो आपके दल के लोग इधर-उधर चुगली करके आग लगाने की कोशिश करते हैं, फिर ऊपर से आप कहते हैं कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं । मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कदाचित् आप लोग भी सुनते होंगे, आपके लोग प्लेट फार्म पर तो कुछ कहते हैं लेकिन जनता के बीच में लोगों को इस आधार पर भड़काने की कोशिश करते हैं । इसे वोट के खातिर जोड़ने का प्रयास करते हैं । कहते हैं कि पिछड़ों के लिए आरक्षण कर दिया, अब सर्वणों का क्या होगा, इसलिए कुछ आगे चलों । यह अच्छी बात नहीं है । 6 दिसम्बर, की घटना के बाद हमने कांग्रेस के भाईयों को भी सुना और उनकी मनोवृत्ति को देखा । जनता के बीच में ये लोग जब मुसलमानों से मिले तो बोले के मस्जिद को बी० जे० पी० ने ठहाया और जब कट्टर हिन्दुओं से मिले तो .....

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह एक दल पर आरोप लगा रहे हैं । मेरा दल जो कहता है वही करता है । इसलिए आप इस आरोप को निकलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

जब आपको अवसर मिलेगा तो आप इसका खण्डन कर दीजिएगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x] [x x x] [x x x]

(शोर/व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री वंशीधर –

[x x x] [x x x] [x x x]

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

सच्चाई को सुनने के लिये धैर्य रखना चाहिये, मुझ पर आरोप लगाया गया, पैसा लेने की बात यह कहते हैं (व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

कहीं आरोप नहीं लगाया (व्यवधान) [x x x]

श्री अध्यक्ष–

आपस में बात न करें (व्यवधान) आपस में की हुई बातें नहीं लिखी जायेंगी, यह कार्यवाही से निकाल दी जायं । आरोप आपस में नहीं लगा सकते हैं । आपको भी अधिकार है, अपनी बात कहने का आप जब बोलेंगे उस समय कहें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जहां मैं काम करता हूं, वहां का एक भी आदमी यह कह दे कि मैं बिक सकता हूं तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर आयें ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

[x x x]

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और न मैं किसी की धमकी से दबने वाला हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं समाप्त कर रहा हूं । मेरा समय यह नाजायज बरबाद कर रहे हैं । मैं किसी की धमकी से डरूंगा नहीं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मैं वह बात नहीं कहना चाहता हूं जो यह कह रहे हैं वर्ना सब नंगे हो जायेंगे । मैं आरोप सुनने के लिये तैयार हूं । मेरा दल टूट गया है कोई बात नहीं लेकिन मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है । कांग्रेस

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाले तो अयोध्या के मामले में मुसलमान है तो उससे उसकी बात कहते हैं और कोई बड़ा हिन्दू है तो उससे कहते हैं हमारी सरकार शुरू से मन्दिर के पक्ष में है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बदले हुये हैं मैं बिना बदले बात कर रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं वह कह रहा हूं, कोई झूठ नहीं कह रहा हूं आप जानते हैं। हम लोग वही कहें जो करना चाहते हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह पहाड़ों का मामला है, यह क्या बोल रहे हैं ?

श्री किरन पाल सिंह–

मैं संख्या बल से दबने वाला नहीं हूं। मैं कह रहा था जब 6 दिसम्बर की घटना घटी।

श्री राम विशुन आजाद–

इसका इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर बोलें।

श्री किरन पाल सिंह–

तो अयोध्या मामले में मुसलमानों से उनकी बात और हिन्दुओं से उनके हितैषी होने की बात कही (व्यवधान) मान्यवर, मुझे समय नहीं दे रहे हैं मैं भी समझता हूं आपकी कोई मजबूरी है, संख्या बल पर ध्यान रखना होगा लेकिन मैं संख्या बल से डरने वाला नहीं हूं। (व्यवधान) सब को सामान्य शिक्षा का मौका दिया जाय, उत्तरांचल विकास परिषद् बनाने से काम नहीं चलेगा उत्तरांचल प्रदेश का निर्माण करिये।

श्री प्रमोद तिवारी–

(श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो व्यक्ति यहां पर उपस्थित नहीं है उसके विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते हैं। माननीय किरन पाल सिंह जी की व्यवस्था में समझ रहा हूं जब वह पीछे देखते हैं तो मैदान साफ मिलता है, वह दुखी हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं किसी की दया पर नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह किसी की दया पर नहीं हैं लेकिन श्री किरन पाल सिंह जी ने जो आरोप लगाये हैं वे एक दुःखी, हताश और निराश आदमी के आरोप हैं, उनको नहीं मालूम कि वह किधर जा रहे हैं, इसलिये मान्यवर, उनके आरोपों को कार्यवाही से निकाल दें ।

(व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

व्यवस्था का सवाल है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांए, कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, उत्तराखण्ड में जो तांडव नृत्य हो रहा है उसमें पूरा पर्वतीय क्षेत्र आन्दोलित है और ऐसी स्थिति में वहां की मातायें, बहनें और बच्चे सड़कों पर उतरे हैं । मान्यवर, इसकी पृष्ठ भूमिका में देखें तो महसूस होता है कि आजादी के बाद से निरन्तर जो भी इस प्रदेश में सरकारें बनी हैं उसने निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगारोंन्मुख योजनायें नहीं बनायी हैं जिससे वहां कोई कारखाने और फैक्टरियां स्थापित नहीं की जा सकी हैं । मान्यवर, वहां रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं । ऐसी स्थिति में छात्रों द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि आने वाले समय में 27% आरक्षण के कारण उन्हें सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा । जो स्वाभाविक है ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां आन्दोलन इसलिये भी किया जा रहा है कि आजादी के बाद से वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकें और वहां के लोगों की उन्नति हो सके । ऐसी स्थिति में वहां के सारे जनप्रतिनिधि मतभेदों को भुलाकर आन्दोलन कर रहे हैं और पूरे पर्वतीय क्षेत्र की जनता आन्दोलित है जिससे आठों पर्वतीय जनपद पूर्ण रूपेण बन्द पड़े हैं और परिणामस्वरूप वहां कोई विकास के कार्य नही हो पा रहे हैं । यहां तक कि वहां सारे आवागमन के साधन बन्द पड़े हैं और पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त है । इसलिये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वहां के आन्दोलन को समाप्त करने हेतु कोई हल निकालें जिससे वहां के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्हें लाभ मिल सके ।

ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जब उन्होंने कौशिक समिति का गठन किया था और सम्पूर्ण उत्तराखण्ड को आरक्षण की परिधि में लाने को कहा था और सम्भवतः अपने घोषणा-पत्र में भी कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आरक्षण की परिधि में लाया जायेगा । उच्चतम न्यायालय की ने आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही पर्वतीय क्षेत्र के लिए सुनिश्चित की है चूंकि यह अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिये मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में पहले से ही आरक्षण की सुविधा की व्यवस्था उत्तराखण्ड

निवासियों के लिये की गई है । इसी तर्ज पर इस सम्पूर्ण क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

मण्डल आयोग तक की संस्तुतियों को उच्चतम न्यायालय यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सुदूर, दुर्गम पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को आरक्षण की परिधि में लिया जा सकता है । हम सम्पूर्ण उत्तरखण्ड को आरक्षण की परिधि में लेते हुए यह२७ परसेन्ट अवश्य चाहते हैं और आपसे मांग करते हैं कि वहां के बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए । यही उत्तरांचल की जनता चाहती है यह आप कर दें तो आपकी सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वाह वाही होगी । वर्तमान आन्दोलन को कुचलने का यदि सरकार ने कोई भी प्रयास किया तो पूरी तरह विफल होगा और वहां की स्थिति अति विस्फोटक हो जाएगी, सरकार के नियन्त्रण से बाहर हो जाएगी ।

आज वहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति बड़ी खराब है । आज आन्दोलन के सामने सभी बौने नजर आ रहे हैं और सत्ता में भागी दलों के लोग जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं । वहां सारे के सारे जनप्रतिनिधियों का घिराव हुआ है । यह एक ज्वलन्त समस्या है, आपको इसका समाधान खोजना होगा । आप हमारे छात्र नेताओं को, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को, पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को बुलाएं और उनके साथ बैठकर उस गम्भीर समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें वरना यह आन्दोलन चलता रहेगा, और उग्र रूप धारण करने को मजबूर हो जायेगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में 50 परसेन्ट आरक्षण की व्यवस्था के तत्काल समाप्त किया जाय और कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए । इसके स्पष्ट आदेश किये जा रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, आज उत्तराखण्ड की समस्या बहुत ही गम्भीर है और इस वक्त जो आन्दोलन चल रहा है वह आन्दोलन इतना जबरदस्त हो रहा है कि उसको रोकने के लिए सरकार को बल का प्रयोग करना पड़ रहा है । श्रीमन, इस उत्तराखण्ड की समस्या का समाधान तो एक ही तरीके से हो सकता है कि उत्तराखण्ड राज्य को जल्दी से जल्दी बना दिया जाए और ये सारी समस्याएं उसी सरकार के हवाले कर दी जांए । लेकिन यह निकट भविष्य में होने वाला नहीं है । इसलिए कि बिहार में झारखंड आन्दोलन चल रहा था और वहां के लिए बिहार की विधान सभा ने प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेज रखा है और भारत सरकार है कि वह उसको न रेजेक्ट कर रही है न पास कर रही है । मैं यह खासकर प्रमोद तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि वह न रेजेक्ट कर रही है न स्वीकार कर रही है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र और गुजरात एक में थे और उसको अलग करने की बात थी, आपके दल की वहां सरकार थी, इसके लिए वहां की संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने भयानक आन्दोलन किया, हजारों लोगों को मारा गया, जिसकी स्मृति में आज भी वहां शहीद स्मारक बना हुआ है । उसके बाद तब जाकर गुजरात और महाराष्ट्र अलग-अलग हुए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी तरह से दक्षिण में रामोलू जी को अपने प्राण की बाजी लगानी पड़ी, तब जाकरआन्ध्र और केरल का गठन हुआ। आसाम में बोडो की समस्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और कांग्रेस के भाइयों से विशेष कर कहना चाहता हूं कि वह भारत सरकार को यह समझावें कि फिर से प्रान्तों के पुनर्गठन की व्यवस्था भारत सरकार करे, पुनः उनके क्षेत्रों का निर्धारण करें। तब जाकर ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है, वरना यह चलता रहेगा। और मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि उत्तरांचल है या उत्तराखण्ड। हमारी पार्टी बहुत पहले से ही इस बात के लिये समर्थन कर चुकी है। पहाड़ को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना चाहिए पहाड़ वालों की यह मांग नहीं है। हमारे संविधान में है, मण्डल कमीशन कहता है कि पिछड़ेपन की परिभाषा आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर तय की जानी चाहिए और उसी आधार पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उत्तराखण्ड के यह आठों पर्वतीय जिले बिल्कुल पिछड़े हैं और यह आन्दोलन आरक्षण के विरोध में नहीं है। मैंने उनके एक साहित्य को पढ़ा है। आपकी इजाजत हो तो मैं उसकी चार लाइनें आपके सामने पढ़ दूं। अभी आरक्षण के मामले में हमारे क्रान्ति दल के नेता भी बोलेंगे। मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि हम दलितों और जनजातियों को 23 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का पुरजोर समर्थन करते हैं और यह भी मांग करते हैं कि 23 प्रतिशत आरक्षण को कड़ाई के साथ लागू करते हैं और यह भी मांग करते हैं कि 23 प्रतिशत आरक्षण को कड़ाई के साथ लागू किया जाय। इसी प्रकार से पिछड़ी जातियों को दिये जाने वाले 27 प्रतिशत के आरक्षण का भी हम समर्थन करते हैं।

मान्यवर, उनका कहना है कि वहां 2-3 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग हैं इसलिये बाकी का आरक्षण वहीं के जो सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, शैक्षिक तरीके से पिछड़े लोग हैं उनको इसमें शामिल करके दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इस दृष्टि से यदि समस्या का समाधान हो सकता है। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि पहाड़ के विधायक चाहे वे किसी भी दल के हों, उनको बुलाकर इस मसले को गम्भीरतापूर्वक लेकर इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा पुनः निवेदन है कि इस सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उत्तराखण्ड का निर्माण हो जाय और भारत सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में अपनी मन्जूरी दे दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री हरक सिंह रावत–

श्रीमन्, आपने प्रदेश के और राष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय कल्याण सिंह जी के विचारों के साथ अपने आपको जोड़ता हूं, सम्बद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि देश का अगर कोई शांतिप्रिय क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा या पंजाब तो किसी न किसी प्रकार से अलगाववाद, आतंकवाद और अवैध हथियारों की गतिविधियों से ग्रसित हैं लेकिन उत्तरांचल में मान्यवर, यह सब गतिविधियां एकदम शांत हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के नौजवानों ने सेना में रहकर अपने देश की सुरक्षा के लिये इतिहास में गौरवशाली स्थान बनाया है। यहां की माता बहनों ने अपना आंचल सूना करके अपनी मांग क सिंदूर को मिटाकर इस देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी दी है।

आज वही पहाड़ी क्षेत्र, वही उत्तरांचल लखनऊ में बैठी सरकार की गलत नीतियों और गलत नियोजन के कारण धू-धू करके जल रहा है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आज पिछड़े, कमजोर बेरोजगार हैं तो अपने कारण नहीं हैं ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है प्रकृति ने खजाना लुटाया है, नदियां, पहाड़, खनिज सम्पदा है लेकिन उसके बाद भी हम कमजोर, पिछड़े बेरोजगार हैं और रोजगार पाने की लालसा में मैदानों में पलायन कर रहे हैं इसका कारण और कुछ नहीं है लखनऊ में बैठी यह सरकार है । इस सरकार की गलत नीतियों के कारण 27 प्रतिशत पिछड़ा आरक्षण जो सरकार ने दिया है उसके कारण पूरा पहाड़, माता, बहनें, नौजवान, सरकारी कर्मचारी सब लोग घर को छोड़कर सड़कों पर उतर आये हैं । स्थिति विस्फोटक हो गई है । सरकार ने इस आन्दोलन को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए महसूस नहीं किया, उसे गम्भीरता से नहीं लिया । तो इसकी चिन्ता हमें नहीं पूरे प्रदेश को करनी होगी ताकि आन्दोलन हिंसक न हो जाए । सरकार तो दस साल रहेगी , पांच साल रहेगी, सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी लेकिन पंजाब और जम्मू काश्मीर की तरह हम अपनी राजनीतिक सुविधाओं के लिये स्थिति को हिंसात्मक करेंगे तो इस देश की सुरक्षा का क्या होगा ? मुख्य मंत्री जी को चिन्ता करनी होगी ।

मान्यवर, हम आरक्षण के पक्षधर हैं प्रतिपक्ष नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है भारतीय जनता पार्टी का विधायक और पहाड़ का विधायक होने के नाते मैं आरक्षण का पूर्ण समर्थन करता हूं । श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं हमने स्वीकार किया है पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को देखते हुए....

श्री अध्यक्ष–

समस्या का समाधान हो इस पर कहें । पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा ।

श्री हरक सिंह रावत–

नेता प्रतिपक्ष ने उत्तरांचल की बात को स्वीकार किया है पूर्वांचल की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए जो 27 प्रतिशत आरक्षण है इस आरक्षण को इस रूप में रखा जाए, कि आन्दोलन न हो । पहाड़ी क्षेत्र में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत दो है यह जो अनुपात पिछड़ी जातियों का है उसी अनुपात में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए । बाकी आरक्षण तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक यह पृथक राज्य नहीं बन जाता है । ग्राम सभाओं का पुनर्गठन किया गया है । आपने एक हजार की जनसंख्या को आधार मानकर पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का पुनर्गठन किया ।

श्री अध्यक्ष–

आन्दोलन का यह भी मुद्दा है ?

श्री हरक सिंह रावत–

जी हां, आन्दोलन का यह भी मुद्दा है । जो आन्दोलन करते हैं वह जानते हैं पांच किलोमीटर व्यास में ग्रामसभाओं का पुनर्गठन किया गया है इससे बड़ा असन्तोष पैदा हो गया है । एक तरफ आप विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं ...

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है । माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वहां ग्राम सभाओं को पूर्व की भांति रखा जाए । वहां पर जनसंख्या

के बजाय तीन कि० मी० अर्ध व्यास के आधार पर ग्राम सभाओं का पुनर्गठन किया जाए । यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं । इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 16 महीने के कार्यकाल में अनेक कार्य किए । इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही मायने में पर्वतीय क्षेत्र की जनभावनाओं, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, वहां की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, वहां के पिछड़ेपन को देखते हुए योजनाएं बनाई । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सी० टी० वेतन में 1500 लोगों को रोजगार दिया, 615 डाक्टरों को रोजगार दिया । बद्री नाथ केदारनाथ के विकास के लिए तीन करोड़ रुपए खर्च किए ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री हरक सिंह रावत–

जो 7 तारीख को अनशनकारियों पर, शान्तिपूर्ण ढंग से चला रहे आन्दोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, गोलीचार्ज हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । पर्वतीय क्षेत्र में आज के दिन पूरा जन जीवन अस्तव्यस्त है तथा आज भी चक्का जाम है । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में आज का आन्दोलन इतिहास का पहला आन्दोलन है । या तो स्वतंत्रता के समय इस प्रकार का आन्दोलन हुआ था या यह आन्दोलन । उत्तराखण्ड का प्रस्ताव तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी पास कर दिया और वर्तमान सपा सरकार ने भी पास कर दिया । आन्दोलन नहीं होगा तो होगा क्या पर्वतीय क्षेत्र की जनता कब तक चुप रहेगी ? यह सारे काम बिना सोचे समझे, बिना वहां की जनता की राय लिए हुए किए गए । वहां के क्षेत्र के लोगों ने विकास की मांग की थी । छोटे-छोटे जिलों की मांग की थी, छोटी-छोटी तहसीलों की मांग की थी । ब्लाक हेड क्वार्टर की मांग की थी । छोटे ग्राम सभाओं की मांग की थी आज पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्कूलों में अध्यापक नहीं है प्रधानाचार्य नही है । इस सरकार को आए हुए 9 महीने के करीब हो गए हैं वहां पर विद्यालयों में प्रिंसिपल नहीं हैं । डाक्टर नहीं है अस्पतालों में । बरसात में पुल टूट चुके हैं वहां पर पुल नहीं है । इसके अलावा वहां विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है ।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 21 जून, 1994 को एक बड़ा भूस्खलन हुआ लेकिन प्रदेश सरकार से कोई हजारों परिवार बेघर हो गये हैं । आज वहां पर हैजा फैला है और हैजे से तमाम लोग मर गये है । प्रदेश से वहां से कोई अधिकारी देखने नहीं गया है । पिछले बजट सत्र में मैंने कहा था, बागेश्वर में कोई सुपरिटेन्डेन्ट और डाक्टर नहीं हैं । आज भी वहां पर मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नही पहुंचा है जबकि हैजे से 50–60 आदमी पर मरे हैं । ऐसी हालत में आन्दोलन नहीं होगा तो और क्या होगा । पर्वतीय विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है जिसके कारण यह आन्दोलन फैल गया है । विकास कार्य न होने से यह आन्दोलन की आग भड़क गयी है । जहां तक आरक्षण का मामला है, अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ों के आरक्षण के बारे में विपक्ष के नेता माननीय कल्याण सिंह ने खुले शब्दों में

उसका संमर्थन किया है । हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी आरक्षण के समर्थन की बात कही है परन्तु इस बात को यहां विधान सभा पर कहने के अलावा पर्वतीय क्षेत्र की जनता में कहने की आवश्यकता है । जहां तक पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश का सवाल है वहां पर समान्यवर्ग के अलावा अनुसूचित जाति के लड़कों को भी प्रवेश नहीं मिल रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि 74 प्रतिशत नम्बरों वाले अनुसूचित जाति के क्षेत्र का प्रवेश जी० आई० सी० अल्मोड़ा में नहीं हो पाया पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा में प्रवेश न मिलना दुर्भाग्य की बात इसके अलावा नौकरियों में पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

इस कोटे को युद्धस्तर पर पूरा किया जाना चाहिये और जब अभी यही आरक्षण पूरा नहीं हुआ है तो पिछड़ों को नया आरक्षण वहां पर कैसे पूरा होगा जबकि पिछड़ा वर्ग कुल 2% है । पहले इस आरक्षण को पूरा होना चाहिये और फिर नया आरक्षण पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र में जिला तहसील ब्लाक और राज्य छोटे-छोटे पंचायत अभी तक नहीं बने हैं, बागेश्वर जिला घोषित करने की मुख्य मांग है । जब तक यह नहीं बनते तब तक इस आवश्यकता है जिले के बाद पिछड़े आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और न अभी उत्तराखण्ड राज्य को पर्वतीय क्षेत्र को पिछड़ा घोषित किया जाय ।

श्री मातवर सिंह कंडारी–

मान्यवर, आपने मुझे उत्तरांचल में आरक्षण के विरोध में बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । उत्तरांचल में आज जो आंदोलन हो रहा है यह वहां के निवासियों के दिल की वेदना है, टीस है । हमारा उत्तरांचल पिछड़ा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां पर विकास कैसे होता है और अधिकारी कैसे काम करते हैं ? यह एक बिजली का बिल है । (माननीय सदस्य ने एक कई फुट लम्बा कागज सदन में दिखाया ।) मान्यवर, यह बड़ा भारी बिजली का बिल है । आप खुद देख लें वहां का विकास कैसे होगा ? मेरा निवेदन है कि वहां पर एक ज्वाला भड़क रही है, वहां के लोग चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो । वहां के नर नारियां, युवक, वृद्ध आज सड़कों पर उतर आये हैं और इस आन्दोलन में शरीक हैं । उनकी मांग है कि उत्तरांचल को पिछड़ा घोषित कर दिया जाय । जैसा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय कल्याण सिंह ने कहा है, कि 2 प्रतिशत आरक्षण वहां पिछड़ी जाति को दिया जाय और शेष 25 प्रतिशत आरक्षण तब तक न दिया जाय जब तक कि उत्तरांचल नहीं बन जाता है ।

जब तक उत्तरांचल का निर्माण नहीं होता है तब तक हमारा विकास संभव नहीं है । देश को आजाद हुये 47 वर्ष हो गये हैं लेकिन उत्तरांचल पहले शून्य पर था और आज भी शून्य पर है इसलिये उत्तरांचल के बनाने की बहुत आवश्यकता है । मान्यवर, जो 50 प्रतिशत आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में किया गया है । उत्तरांचल में राज्य की शिक्षण संस्थायें बहुत कम है । बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए कर दिया गया इससे वहां के मेधावी छात्र कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे । इस प्रकार 50 प्रतिशत का आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में तत्काल बन्द कर दें ताकि उत्तरांचल में छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें । वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है वह लाठी और गोलियां से बन्द होने वाला नहीं है सरकार इसे लाठी और गोलियों से बन्द कराना चाहती है । मान्यवर, उत्तरांचल हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखने से, यहां की सामाजिक परिस्थितियों को देखने से यहां की आर्थिक परिस्थितियों को देखने से यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यहां की जनता कृषि

और पशुपालन का काम करती है। यहां के नर-नारी प्रतिदिन 18 घंटे तक काम करते हैं तब उन्हें रोटी मिल पाती है। इस क्षेत्र को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। 10 लाख कुओं की योजनाएं चलायी जाती है, मैदानी क्षेत्रों में तो कुएं बन जाते हैं मगर उत्तराखण्ड में कुएं नहीं बन पाते हैं। उत्तरांचल को एक नई दिशा एक नई सोच और एक नया नियोजन दिया जाय तो वहां की समस्याएं सुलझ जायेंगी।

* श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज अपने आमरण अनशन के 9वें दिन अत्यन्त पीड़ा और भारी हृदय से इस सम्मानित सदन में अपनी बात कहने उपस्थित हुआ हूं। यह पीड़ा मेरी अपनी ही नहीं वरन् पूरे उत्तराखण्ड के जन मानस की है। मान्यवर, मैं व मेरा दल आज से नहीं वरन् मन्डल कमीशन की सिफारिशें लागू किये जाने की घोषणा के समय से ही अन्य पिछड़ा वर्ग को दिये जाने वाले आरक्षण का समर्थक रहा हूं, लेकिन इसी के साथ हमने आरम्भ से ही यह मांग भी रखी थी, कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड को भी उसकी आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये मण्डल कमीशन की सिफारिशों के तहत आरक्षण की सुविधा दी जाये।

मान्यवर, आपको याद होगा कि 21 दिसम्बर, 1993 को प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक इस सम्मानित सदन में लाया गया था, जब भी मैंने अपने संशोधन के माध्यम से उत्तराखण्ड को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की पुरजोर मांग की थी, मैं यह बात भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज उत्तराखण्ड में इस आरक्षण के विरोध में बढ़ चढ़कर बोलने वाली राष्ट्रीय पाटियों में प्रमुख कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी ने तब उत्तराखण्ड को आरक्षण दिये जाने के संबंध में न तो कोई मांग की और न ही उत्तराखण्ड के लिये इस आरक्षण का कोई विरोध किया।

मान्यवर, इसके अलावा उत्तराखण्ड में ग्राम सभाओं का स्वरूप पूर्ववत् बनाये रखने, हिल कैडर को सभी विभागों में लागू किये जाने के साथ ही हिल कैडर के अन्तर्गत आने वाले पदों पर वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने एवं वन संरक्षण व राज्य आन्दोलन के तहत उत्तराखण्ड के सैकड़ों नौजवानों पर विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमों को वापस लेने सहित कई अन्य मांगों को भी मैं समय समय पर सरकार के समक्ष रखता रहा हूं।

मान्यवर, इन्हीं मांगों को लेकर 11 जुलाई, 1994 को उत्तराखण्ड क्रान्तिदल ने पौड़ी में जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ किया था। 20 जुलाई, 1994 को नैनीताल में इसी कार्यक्रम के तहत सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारियां दीं। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्यवाही न किये जाने के कारण दल को 2 अगस्त, 1994 को पौड़ी मुख्यालय में आमरण अनशन प्रारम्भ करने का निर्णय लेना पड़ा। मान्यवर, इस सदन के तीन बार सम्मानित सदस्य रह चुके माननीय इन्द्रमनी बढ़ौनी जी को अपने आठ साथियों सहित 2 अगस्त 94 में आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होना पड़ा। हमें उम्मीद थी कि इस सदन के नेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी उत्तराखण्ड की समस्याओं के निदान हेतु बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे लेकिन 7 अगस्त, 1994 की रात्रि को आमरण अनशनकारियों तथा उनके साथ बैठे हुये छात्रों, उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जिस बर्बरता से पीटा उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यही नहीं 8 अगस्त को पुलिस व प्रशासन ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रही पौड़ी की जनता पर पुनः लाठियों व गोलियां चलाकर जिस तरह उन्हें गंभीर रूप से घायल किया उससे सम्पूर्ण उत्तराखण्ड आक्रोशित हो उठा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमने फिर भी शांति का रास्ता नहीं छोड़ा और पौड़ी सहित देहरादून, ऋषिकेष व अन्य स्थानों पर हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठ गये । जब प्रदेश एवं केन्द्र सरकार की सम्वेदनशीलता बढ़ती गयी तब विवश होकर मुझे अपने पांच अन्य साथियों सहित 15 अगस्त, 1994 को नैनीताल मुख्यालय में आमरण अनशन आरम्भ करना पड़ा । मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी विषय व स्थिति की गंभीरता का अहसास करते हुये समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता निकालेंगे । परन्तु मुख्य मंत्री जी का 18 अगस्त को जो बयान अखबारों में छपा उसे पढ़कर उत्तराखण्ड की जनता तो स्तब्ध और आहत हुयी ही, मैं समझता हूं कि सारे राष्ट्र को भी धक्का लगा होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ कर बोल लें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूं । मान्यवर, गंगा जमुनी संस्कृति वाले और भारत के हृदय स्थल कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्य मंत्री का यह कहना कि मेरी सरकार उत्तराखण्ड की जनता के भरोसे नहीं टिकी है । यदि मैं मैदान के लोगों को इशारा कर दूं तो पर्वतीय लोगों को मैदान में टिकना मुश्किल हो जायेगा, किस मानसिकता व किस चीज को जाहिर करता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन, माननीय मुख्य मंत्री और प्रदेश व देश के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि 1952 में जब राज्य पुर्नगठन आयोग बना था तो उसके सामने उत्तराखण्ड राज्य व उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के विभाजन का प्रश्न भी उपस्थित था । तब राष्ट्र के सपूत और उत्तराखण्ड के मनीषी पं० गोविन्द बल्लभ पन्त ने कहा था कि हम गंगा जमुनी संस्कृति को बटने नहीं देंगे । मैं भी इस बात को पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड राज्य की मांग न तो पहाड़ बनाम मैदान की तुच्छ मानसिकता पर आधारित है और न ही मिनी भारत कहलाने वाले इस प्रदेश की संस्कृति को तोड़ने की कोई साजिश । यह मांग उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पैदा हुई आर्थिक विकास की असमानताओं को दूर करने के लिये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मांग है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । पर्वतीय क्षेत्र के और लोगों को भी बोलना है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें । मान्यवर, केवल तीन मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप एक मिनट में समाप्त कर दें । समय कम है और लोगों को भी अपनी बात रखनी है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आप सुन लें । मान्यवर, उत्तराखंण्ड की युवा पीढ़ी मात्र सरकारी नौकरियों पर निर्भर है । यदि आजीविका का यह अधिकार भी उससे छीन लिया जायेगा तो वह कहां जायेगा ? मान्यवर, उत्तरखण्ड के लाखों बेरोजगार नौजवानों के दर्दनाक भविष्य को ध्यान में रखते हुये मेरे व मेरे दल के लिये यह विषय जीवन व मरण का प्रश्न बन चुका है । मान्यवर, ऐसी गंभीर स्थिति में इस सदन का सदस्य बने रहना न तो मैं न्याय संगत मानता हूं और न ही उत्तराखण्ड की जनता ही इसे न्याय संगत मानती है । अतः मैं आज दिनांक 23 अगस्त, 1994 को उत्तर प्रदेश की विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं । मेरा स्पष्ट मानना है कि उत्तराखण्ड राज्य का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण ही समस्त समस्याओं का अब एक मात्र विकल्प रह गया है । मान्यवर, मैं पुनः आपके प्रति एवं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुये विदा लेता हूं । पुनः आपको नेता सदन को और नेता प्रतिपक्ष को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

(1 बजकर 05 मिनट)

* श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, उत्तरांचल का क्षेत्र तीन-तीन विदेशी सीमाओं से घिरा है यदि सरकार ने वहां के जवानों का पलायन होने से नहीं रोका तो यह देश की एकता अखण्डता के लिए खतरा बन सकता है। किसी नियोजित साजिश के तहत लाखों बांगलादेशी घुसपैठी पहाड़ में घुस आये हैं सरकार सो रही है इसमें अनेक ने मतदाता सूची में नाम तक शामिल करा लिया है यहां कभी भी आसाम की सी स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है यह क्या कह रहे हैं ?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, चूंकि पहले से ही पर्वतीय क्षेत्र की तमाम व्यवस्थायें अलग-अलग हैं जैसे अलग बजट, नौकरियों में पृथक पर्वतीय संवर्ग और यहां तक कि पृथक राज्य उत्तरांचल निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है ऐसी स्थिति में ऐसा कोई निर्णय वहां नही थोपा जाना चाहिए जो उस राज्य के विचार का प्रश्न हो, वहां आरक्षण का विरोध नहीं बल्कि मात्र एक-दो प्रतिशत जो पिछड़ी जाति वहां पर हैं उन्हें उसका लाभ देकर शेष को या तो उत्तरांचल क्षेत्र को तत्काल दिया जाय अथवा नये राज्य के निर्माण तक उसे यहां रोक दिया जाय जो न्यायोचित है इसमें सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। मान्यवर, यह आन्दोलन जनान्दोलन है आज पहाड़ में महिला, पुरुष, छात्र युवा, बूढ़े, बच्चे और यहां तक कि कर्मचारी भी सड़कों पर आ गये हैं शासन प्रशासन ठप्प पड़ा है जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इस न्यायोचित शान्तिप्रिय आन्दोलन को रसकार कुचलने की कोशिश कर रही है अभी तक लगभग 20 स्थानों पर लाठीचार्ज गोलकाण्ड हो चुका है, अनशनकारी तथा महिलाओं तक पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, सैकड़ों लोग जगह-जगह घायल पड़े हुए हैं। पौड़ी में पुलिस ने 120 राउण्ड गोली चलायी तथा ऊखीमठ में 50 राउण्ड गोली चलायी है जिससे लोग घायल पड़े हैं।

मान्यवर, अपना उत्तरांचल विरोधी वक्तव्य देकर मुख्य मंत्री ने आग में घी डालने का काम किया है उसके बाद फैली हिंसा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की है। इन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए अन्यथा उत्तरांचल क्षेत्र में वे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह बयान उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है।

मान्यवर, सबके लिए शिक्षा के तहत सभी वर्ग सम्प्रदाय के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है परन्तु इस दिशा में डा० लोहिया के मानस पुत्र कहलाने वाले श्री मुलायम सिंह यादव लोहिया सिद्धान्त के विपरीत हैं। मान्यवर, ग्राम सभाओं के परिसीमन से 4,500 ग्राम सभायें खत्म हो गयी जिससे मैदानी क्षेत्र की एक लोक सभा क्षेत्रफल के बराबर पहाड़ की ग्राम सभा हो गयी इससे लोगों को परेशनी के साथ-साथ आज तक ग्रामसभाओं के नाम पर मिलने वाला पैसा आधे से भी कम हो जायेगा। मेरी मांग है कि जनसंख्या नहीं दूरी के हिसाब से से ग्राम पंचायतों का गठन हो या पूर्व की भांति रखे जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यहां विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव में भावी पीढ़ी बरबाद हो रही है । 8-8 वर्षों से गणित व विज्ञान जैसे विषयों के अध्यापक नहीं हैं इनकी पूर्ति करने के स्थान पर वोटों की खरीद फरोख्त करने वाली यह सरकार उर्दू के अध्यापकों को वहां थोप रही है जहां एक बच्चा भी उर्दू पढ़ने वाला नहीं है । मेरी मांग है कि तत्काल हाई स्कूल, इण्टर कालेजों में रिक्त पदों को भरा जाय । मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर सीना तानकर खड़ा है और इधर यह सरकार उनकी मां-बहनों व बच्चों पर सड़कों में घसीटते हुए लाठी-गोली बरसा रही है । ईश्वर न करे उस सेनानी के मन में यदि कोई विकृति आयी तो यह प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है । इसलिए सरकार तत्काल समस्याओं का समाधान करे । पृथक उत्तरांचल की मांग करते हुए कांग्रेस की दोगली नीति का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, असम्भवम् हेम मृतस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगायाः प्रायः समापन्न विपतिकाले, धीयोपि पुन्सा मलिनः भवति ।।

अर्थात् जब-जब किसी के जाने के दिन होते हैं तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है इसी के तहत उत्तरांचल के विरोध में मुख्य मंत्री ने बयान दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप सपाप्त करें, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने एक बात अभी कही है ।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय रमेश पोखरियाल जी आप बैठ जायें ।

(श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'' के खड़े रहने पर और समय दिये जाने की मांग करने पर)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कुछ नहीं लिखा जायेगा मैंने यह कह दिया है। यह अनुशासनहीनता मत करिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

समय सीमा निर्धरित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रमेश पोखरियाल जी, आप बैठ जायें नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, सूचना में मैंने अपना नाम भी दिया है।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल ने जब इस सदन के अन्दर बहस शुरू की तो उन्होंने कहा कि बहुत संयम और धीरज से आज की चर्चा होनी चाहिए। चूंकि यह बहुत ही ज्वलंत समस्या है संवेदनशील समस्या है। लेकिन अभी जो वक्ता भाषण कर रहे थे कि यह साम्प्रदायिकता की समस्या बनती जा रही है, बंगलदेश के मुसलमान घुसपैठी आकर वहां उपद्रव फैला रहे हैं। इस बात को मेरा निवेदन है कि कार्यवाही से निकाल दिया जाय। चूंकि मान्यवर, वहां पर अल्पसंख्यक बहुत कम संख्या में हैं और भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को पूरे देश के अन्दर इस एक शब्द से साम्प्रदायिक रूप बनाकर दंगा कराना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें। माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी बोलें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आज उत्तरांचल के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपका तहेदिल से शुक्रगुजार हूं।

मान्यवर, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह समस्या क्यों पैदा हुई और किसने पैदा की ? उत्तरांचल की बात करने वाले लोग, यह सदन जब से शुरू हुआ, तब से उन्होंने बात रखी थी। उत्तरांचल की बात आपने क्यों रखी। सदन में हमेशा वायदा किया कि उत्तराखण्ड बनायेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल, उत्तराखण्ड की बात कहकर लोग चले गये।

(माइक खराब होने के कारण वक्ता का भाषण ठीक से सुनायी नहीं दिया)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू से ही यह दोहराया है कि उत्तराखण्ड बनायेंगे। क्यों उत्तराखण्ड बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बाध्य हुए, क्या परिस्थितियां थीं, क्यों उन्होंने जिले-जिले जाकर घोषणा की थी, क्या मानक थे, क्या उन्होंने मन बनाया। मैं केवल यह जानना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं अपनी ओर से और 19 जो पर्वतीय क्षेत्र के विधायक हैं उनकी ओर से

और सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की जनता की ओर से कि हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं परन्तु जो 27 प्रतिशत आरक्षण हुआ है क्या उसमें उत्तराखण्ड की बात आयी ? मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो खाका खींचा गया उत्तराखण्ड का, तो जो मानक बनाये गये सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से, क्या उसमें आरक्षण नहीं है ? यदि माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तराखण्ड बनाने के लिए कृत संकल्प हैं तो उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण में पूरे पर्वतीय क्षेत्र को लाना होगा । मान्यवर, आज उनकी बातों में विरोधाभाष है । मैं नहीं समझता हूं कि 1990 और 91 में जो मुख्य मंत्री जी को देखा, वह आज नहीं होंगे । जो उनका मीडिया में भषण हुआ, जो मीडिया से सन्देश दिया है उससे आज हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग बहुत दुःखी हैं, जो 19 विधायक पर्वतीय क्षेत्र के हैं वे दुःखी हैं ।

आज उन्होंने केवल हमें 19 प्रतिनिधियों को गिना । माननीय मुख्य मंत्री जी आप लोहिया में विश्वास करते हैं, आपने लोहिया जी की किताब बांटी हैं मैं उसको पढ़कर आया हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि माननीय लोहिया जी ने 1950 में यह कहा था कि हिमालय बचाओ और आपने भी 1994 में कहा था पिथौरागढ़ में जाकर 23 जनवरी को यह घोषणा की थी कि हिमालय पर्वत का मामला है । आपके दल के लोगों ने आपको कृष्ण का अवतार माना है मैं भी हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं । आप कृष्ण हैं परन्तु आप द्वापर युग तो बतालाइये । मान्यवर, पहाड़ के लोगों को मत दबाइये । मान्यवर, पहाड़ के लोगों ने छोटी-छोटी सामन्तशाही देखी है, गोरखा राज भी देखा है, ब्रिटिशकाल भी देखा है, लेकिन सार्वभैमिकता कभी नहीं भूले । उन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी, 1947 की लड़ाई लड़ी, पूरे स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया...

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, पहाड़ के लोगों के पुरुषार्थ को ललकारने का काम यह सरकार कर रही है । जब-जब इस देश में विपदा आयी....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये । आसन ग्रहण करिये ।

(श्री बची सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष–

रावत जी, आप प्रारम्भ करें ।

* श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं पूरे सदन के संज्ञान में एक तथ्य लाना चाहता हूं। आरक्षण का जो विषय है, उसको इस नारे के परिप्रेक्ष्य में लेना है, भारत माता का एक आंचल, उत्तरांचल। उत्तरांचल कोई अलग से नहीं है, यह उत्तरांचल भारत माता का ही एक हिस्सा है.....

(श्री महेन्द्र सिंह माहरा द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब कुछ लिखा नहीं जायेगा। आप स्थान ग्रहण करें। अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप अपने दल के नेताओं की भी बात नहीं मानते।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कल हमने एक उद्घोष किया था कि भारत मां का एक आंचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल। उससे सारी बातों का समाधान हो जाता है। उत्तरांचल का क्षेत्र भारतवर्ष की मुख्य भूमि से कोई अलग स्थान नहीं है, उत्तरांचल इस भारत मां का एक छोटा सा हिस्सा है। यहां की कुल जनसंख्या 59,26,146 है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9,89,658 है जो कि कुल जनसंख्या का करीब 16.70 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 2,09,838 है जोकि लगभग 3.54 प्रतिशत है और उत्तरांचल में निवास करने वाले पिछड़ी जातियों का प्रतिशत मुश्किल से 2 प्रतिशत है। आज उत्तरांचल में जो आन्दोलन चल रहा है उसके प्रमुख रूप से दो पहलू हैं। इसमें प्रमुख भूमिका छात्र आन्दोलन की है और उनके द्वारा आन्दोलन चलाया जा रहा है। सबसे पहला पहलू यह है कि विद्यालयों में प्रवेश को लेकर उत्तेजना है और जिनको सीटें/प्रवेश नहीं मिल रही हैं उन छात्रों की ओर से चलाया जा रहा है उसमें विभिन्न राजनैतिक दलों की भिन्न-भिन्न भूमिका रही है। अभी यहां उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के विधायक काशी सिंह ऐरी जी आये हुए थे जिनकी ओर से अनशन किया जा रहा है, धरने दिये जा रहे हैं, यह तो उनका दलगत विषय है इस बारे में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह निश्चित है कि प्रमुख राजनैतिक दल, सामाजिक संगठन, वहां के कर्मचारी संगठन इस आन्दोलन से जुड़े हुए हैं और वहां के कर्मचारियों द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया है।

अभी इस सदन में नेता कांग्रेस, नेता जनता दल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य नेताओं की ओर से यह कहा गया कि "एजूकेशन फार आल" यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो विद्यालयों को दो शिफ्टों में चलाने की बात कही गयी है तो पहाड़ पर नहीं चल पायेगी क्योंकि पहला कारण है कि वहां काफी ठण्ड पड़ती है, दूसरी बात अध्यापकों की कमी है और तीसरी वजह यह है कि वहां कक्षा/भवनों की कमी है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आज विचार करके शाम तक घोषणा कर देते हैं तो आन्दोलनरत छात्रों को इससे राहत मिलेगी, अभिभावकों को राहत मिलेगी। दूसरा पहलू आता है वह है सरकारी नौकरियों में नियुक्ति को लेकर चलाया जा रहा आन्दोलन। इसमें दो बातें आती हैं। पहली जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3 जनवरी, 1994 को हमारे मुख्य मंत्री जी ने योजना भवन में घोषणा की थी कि हिल कैडर को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायेगा और वह भी 30 दिन के भीतर, हो सकता है कि इनके पास समस्यायें रही हों लेकिन स्पष्टीकरण आना चाहिए, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया । 25 नवम्बर, 1992 को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश किया गया था । माननीय नेता कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि क्या काम किया गया ? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको पेश किया, यही एक ही काम ऐतिहासिक है और क्या-क्या कहा जाय ? केवल माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसको लागू करके दिखा दें । अगर चाहते हैं कि हिल कैडर लागू हो तो तत्काल आदेश करें और उसमें यह प्राविधान किया जाये कि जितनी पिछड़ी जातियां उत्तरांचल में निवास करती हैं उनको आरक्षण मिले । और शेष करीब 25 प्रतिशत उत्तरांचल राज्य बनने तक स्थगित रखा जाये जिसे वहां की सरकार स्वयं तय करेगी और यह भी रास्ता है कि उत्तंचल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर और हिल कैडर लागू कर इस समस्या का समाधान किया जाये और 27 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत को उत्तरांचल के लिए लागू किया गया ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ से मुख्य मंत्री ने जो मैदान और पहाड़ की बात कही है वह संविधान की मर्यादा तथा मूल प्रस्तावना का उल्लंघन है और इससे राष्ट्रीय एकता और अखण्डता प्रभावित होती है । मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संविधान की प्रस्तावना का खुला उल्लंघन किया है । इसमें संविधान की धारा 356 का उपयोग किया जा सकता है, क्या दिल्लीं में बैठी हुई सरकार इस धारा का प्रयोग करेगी ? यदि संविधान की मूल प्रस्तावना के "धर्म निरपेक्षता" शक्ल पर भाजपा सरकार भंग हो सकती है तो यह सरकार क्यों नहीं भंग होती ? इसके अलावा आज के ही दैनिक जागरण में यह खतरनाक समाचार आया है कि जो उत्तरांचल में टूरिष्ट हैं वह उत्तरांचल के क्षेत्र को खाली कर दें । यह बयान एक राजनैतिक दल उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के प्रवक्ता द्वारा कही गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनैतिक दल को अलगाववाद की बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि यह तय है, मान्यवर, कि पहाड़ बहुत शान्त है, इसे जो भी अशान्त बनाये तो वह देश की सीमाओं को कमजोर करेगा । निश्चित रूप से और भी बहुत सी बातें सामने आयेंगी । विषय की गम्भीरता को कम नहीं आंका जाना चाहिए, चाहे पौड़ी हो, रानीखेत हो, कुमायूं हो या गढ़वाल हो । सब जगह छात्रों के आन्दोलन को सर्वदलीय समर्थन प्राप्त है । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ ही यह अपेक्षा करता हूं कि इस सदन में घोषणा हो ताकि उत्तराखण्ड के विधायक संतुष्ट होकर निकलें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

* श्री गाविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे पहाड़ में गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गयी है । पहाड़ में पूरे आन्दोलन की गम्भीरता है, इसका आंकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहाड़ पर चलने वाला आन्दोलन सर्वदलीय आन्दोलन है, पूरी जनता का आन्दोलन है, वहां के विद्यार्थियों का आन्दोलन है वहां के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नी किया ।

कर्मचारियों का भी आन्दोलन हो चुका है । यह बहुत बड़ा गम्भीरता का प्रश्न पैदा हो गया है, पहाड़ पर जो आन्दोलन चल रहा है, उस आन्दोलन के पीछे आज जो परिस्थिति है वह भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप गलत निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं । गलत निर्णय का ही एक कारण है कि वहां पर आरक्षण के मुद्दे की वजह से, ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के मुद्दे के कारण जनता, नवयुवक और छात्र आन्दोलित हो उठे हैं, जिसके कारण वहां का सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । हमारे दल के सम्मानित नेता श्री तिवारी जी ने मांग रखी है कि हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र को पिछड़ा घोषित करके 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया जाय और उसे तत्काल लागू भी किया जाय, इससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि विद्यालयों में जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को लागू करते हुए सभी विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कहीं पर कोई आंच न आये और नहीं कोई वंचित रह जाये, इस बात की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में करें । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य की और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की जो ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायतों का स्वरूप बदल दे रहे हैं । आज के दिन उसकी कोई भी जो हमारी प्रशासनिक इकाई है वह भौगोलिक रूप से व्यावहारिक नहीं हो पा रही है । मैं निवेदन करूंगा कि और अनुरोध भी करूंगा कि यह आन्दोलन का महत्वपूर्ण मुद्दा है । आज माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में यह घोषणा करें कि जो ग्राम पंचायतें पहाड़ में पूर्व की बनी हुई हैं, वह पूर्ववत् बनी रहें और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय । अगर परिवर्तन किया जाता है तो यह पहाड़ के हित में नहीं होगा । पर्वतीय क्षेत्र में चलाये जा रहे आन्दोलन के संबंध में तरह-तरह की बयानबाजी करके वहां पर साजिश फैलायी जा रही है और साजिश के तहत गलतबयानी की जा रही है । इसी गलतबयानी से पहाड़ के नवयुवक उद्वेलित हो चुके हैं । इस तरह की गलतबयानी का जल्द से जल्द निराकरण किया जाय । अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यह आन्दोलन बहुत बड़ा कठिन विकराल रूप ले लेगा । पहाड़ हमेशा शान्त रहता है, जब उसके आत्मसम्मान पर ठेस लगती है तो वहां पर उबाल आता है और उबाल से ही....

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

अगर सम्मान को ठेस पहुंचायी जाती है तो यह उग्र रूप धारण कर लेता है, इनसे निपटने के लिए गम्भीरता से कोशिश की जाती है । मैं अनुरोध करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके 27 प्रतिशत आरक्षण वहां के निवासियों को लागू किया जाय और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपको धन्यवाद देता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करिये । आप पहाड़ के लोगों को बोलने दीजिये । मैं पहाड़ के लोगों को ज्यादा बुलाऊंगा, बाद में आपको बोलने दूंगा ।

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

मान्यवर, लकड़ी अपने आप नहीं जलती है, जब उसमें आग लगायी जाती है तभी जलती है। यह काम पर्वतीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पर्वतीय क्षेत्र के इतिहास को पीछे से लेकर आज तक आप देंखे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बी० जे० पी० की सरकार रही हो, आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि जब वह स्वयं सत्ता में थे तो उस समय आपने आरक्षण की फाईल क्यों दबा दी ? क्यों नहीं पर्वतीय क्षेत्र के लिए आरक्षण लागू करवा दिया। उत्तराखण्ड की बात है, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, हो सकता है उन्होंने एक लाईन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया हो, परन्तु वह यह बतायें कि उन्होंने इस संबंध में केन्द्र सरकार के साथ कितनी पहल की। यह सवाल अलग है कि उत्तराखण्ड में क्या-क्या होना चाहिये और क्या-क्या नहीं ? उसका स्वरूप क्या होगा आदि ? मैं साफ-साफ बताना चाहूंगा कि इन लोगों को राजनीति करनी है, इसलिए इसी उद्देश्य से ये लोग वहां की जनता में आग भड़का रहे हैं और छात्रों का शोषण किया जा रहा है ताकि वे लोग पढ़ाई-लिखाई से अपने को हटा लें।

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में स्कूलों में, डिग्री कालेजों में आज कोई नहीं है, वे खाली पड़े हुए हैं। उत्तरकाशी जिले से लेकर देहादून तक डिग्री कालेज खुले हुए हैं, उनमें आज कल पोस्टिंग नहीं हो रही है। वस्तुस्थिति तो यह है कि जब बी०जे०पी० की सरकार थी तो उस समय नेता प्रतिपक्ष, जो मुख्य मंत्री थे, ने कहा था कि बिना चयन आयोग के नियुक्ति नहीं होगी, यही वजह है कि आज वहां स्कूल बन्द हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1952 से लेकर आज तक केवल दो पीरयड ही ऐसे रहे हैं, जब पहाड़ों पर विकास का कार्य हुआ है। एक तो श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के जमाने में और हमारे मुख्य मंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में हुआ है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहाड़ों की समस्याओं को गहराई से सुना, चाहे वह सड़क की समस्या हो, स्कूलों की समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो, उसको सुनकर जितना सम्भव हो सका, उतना उन्होंने किया और कर भी रहे हैं, जो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जितना पैसा पर्वतीय विकास के कार्यों के लिए श्री मुलायम सिंह यादव ने दिया है, उतना पैसा किसी भी सरकार में नहीं दिया। आरक्षण का मुद्दा है। बात आ रही है उत्तराखण्ड की, पंचायती राज ऐक्ट केन्द्र सरकार से बना है। अगर केन्द्र के अनुरूप ही इसे लागू कर दिया जाय तो ग्राम सभा के लिये जनसंख्या ढाई हजार से ऊपर जाती है। कितना अच्छा होता जिस समय ग्राम पंचायत ऐसा ऐक्ट वहां पास हो रहा था उसी समय हमारे दिल्ली में बैठे इनके नेताओं ने यह बात उठाई होती और वहां के लिये एक हजार की आबादी की आवाज उठाई होती, केन्द्र सरकार से इस बात की कोशिश करते और कहते यह मामला पहाड़ों का है उसका ध्यान रखा जाय तो यह चीज आज नहीं होती। वहां के लिये विशेष मानक बनना चाहिये था।

जहां तक स्कूलों का विषय है मैं कहना चाहता हूं कि यह पूर्णरूप से बी०जे०पी० ने आन्दोलन खड़ा किया हुआ है। उन्हीं लोगों के गलत प्रचार के कारण, अखबारों में गलत टिप्पणी देकर छपा होता है। आप देखेंगे जितने भी अखबार चाहे बरेली से हों चाहे वे मेरठ से छपते हों ऐसा लगता है जैसे बी०जे०पी० का कोई समाचार प्रकाशित हुआ हों। उन्हीं की भाषा में पूरा रंगा रहता है।

मैं निवेदन करूंगा जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही .....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री बरफिया लाल जुंवाठा–

आज जो उत्तराखण्ड की बात कह रहे हैं, पहाड़ों की बात कह रहे हैं, मुझे कहते हुये शर्म आती हैं जब उत्तरकाशी में भूकंप से तबाही हुई थी तो उस समय वहां के लोगों को अनुदान देने के बजाय ऋण में डुबा दिया जिससे आज जेल जाने की नौबत आ रही है।

मान्यवर, मैं एक ही निवेदन करूंगा सारी समस्या का समाधान केवल एक ही है कि वहां के लिये उत्तराखण्ड राज्य बने, बाकी सारी बातें बाद की हैं। सब लोग मिलकर केन्द्र सरकार पर जोर डालें यहां से भी कोशिश हो, हमारे नेता जी जिसके लिये स्वयं लगे हुये हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्ताव तैयार किया है और बहुत जल्द केन्द्र सरकार को मामला जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई ढील इस मामले में नहीं करेगी। उधर बैठे हुये ही इधर-उधर की बातें करके ढील कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उत्तराखण्ड जब राज्य जायेगा तो आरक्षण का मामला अपने आप समाप्त हो जायेगा चाहें वह विद्यार्थियों का मामला हो या कोई और मामला हो।

एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड में कुछ अधिकारी और कर्मचारी हैं वह इसके पक्षधर हैं ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाय क्योंकि यह आग लगाने का काम कर रहे हैं। यही मेरा निवेदन है। हमारे नेता जी जो काम कर रहे हैं, जो ठोस काम करने जा रहे हैं वह पहाड़ों के गौरव की चीज है, जितना भी वह कर रहे हैं व सराहनीय है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर काफी बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ यही समझता हूं कि कहीं न कहीं कोई गम्भीर समस्या अवश्य है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी अवश्य हुई है जाने या अनजाने, या तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिये, या पूरी तरह से पल्लू झाड़ने की दृष्टि से जिससे आज बच्चे भी सड़कों पर उतर आये हैं। अपनी पार्टी लेकर बच्चें सड़कों पर हैं जिसमें लिखा हुआ है पापा मम्मी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस सरकार ने बूढ़े से लेकर बच्चों तक को सड़कों में लाकर खड़ा कर दिया है जिससे वहां का जनजीवन ठप है। पहाड़ीवासियों पर अगर आप रहम नहीं करते हो तो उन हजारों तीर्थ यात्रियों पर, उन हजारों पर्यटकों पर रहम करें जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में फंसे हुये हैं। उन यात्रियों, पर्यटकों पर आपको रहम आना चाहिये। मान्यवर, सत्ता पक्ष के कई मंत्री वहां जा चुके हैं, कई विधायक जा चुके हैं और उन्होंने वहां जो दमन चक्र देखा है उससे उनके हृदय पिघल गये हैं। इसलिये जब मंत्रियों और विधायकों के हृदय पिघल सकते हैं तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आप भी थोड़ा मुलायम हो जाएं।

मान्यवर, मुद्दे केवल वहां के दो हैं। एक तो 27 प्रतिशत आरक्षण और दूसरा उत्तराखण्ड राज्य का गठन। मान्यवर, 27 प्रतिशत आरक्षण के हम विरोधी नहीं हैं बल्कि चाहते हैं कि मैदानी क्षेत्र में इसका

कड़ाई से परिपालन किया जाय पहाड़ी क्षेत्रों में भी हमारे पिछड़े भाई हैं जैसे गोस्वामी, सोनार, लोहार, पासी, पाल, लोधी, गूजर, हल्वाई आदि । वे जिस गरीबी की हालत में हैं उसी में हम भी हैं, हम चाहते हैं उनको आरक्षण मिले लेकिन उनकी आबादी के अनुपात में उचित तो यह होगा आज से ही जनगणना का कार्य शुरू कर दिया जाए और उसी जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे दिया जाए । यह सबसे उचित होगा । विषय तो बहुत हैं लेकिन समयाभाव के कारण आरक्षण पर ही अपने को सीमित रखना चाहता हूं । मान्यवर, इस आन्दोलन को न लाठी से और न गोलियों से दबाया जा सकता है बल्कि इसे दबाने के लिये केवल एक ही फारमूला है मानवता, चूंकि इस आन्दोलन के पीछे पहाड़ की गरीबी और बेरोजगारी है । आज इस आन्दोलन के पीछे वह अन्याय और शरारतपूर्ण 27 प्रतिशत आरक्षण है जो उन पर थोपा जा रहा है । इसलिये इसे समाप्त करने के लिए पहाड़ के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बातें करने का कष्ट करें और यदि नीयत साफ है तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा ।

मान्यवर, आज की सारी राजनीति जातीय समीकरण पर हो गयी है । इसलिये अब तो हमें डर लगता है कि यह सरकार सरकारी होटलों में न कह दे कि वहां कमरों का आरक्षण जातीय आधार पर किया जाए । यह तो नहीं होना चाहिए । बल्कि जिस तरह हिमांचल प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण स्वीकार नहीं किया गया है उसी प्रकार से उत्तराखण्ड में 27 प्रतिशत आरक्षण का कोई औचित्य नहीं बनता है । दोनों प्रदेशों में एक ही प्रकार का जातीय समीकरण है ।

मान्यवर, बेरोजगारी के कारण आज वहां आन्दोलन हो रहा और 27 प्रतिशत आरक्षण के विरोध का कारण बेरोजगारी है । मान्यवर, आज उत्तरांचल के जितने सेवायोजन कार्यालय हैं उनमें आठों जिलों में 3 लाख शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं । एक लाख शिक्षित बेरोजगार गांवों में दर-दर भटक रहे हैं । एक लाख शिक्षित बेरोजगार दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, चण्ढीगढ़, कानपुर आदि बड़े-बड़े शहरों में भटक रहे हैं । मान्यवर, यह शिक्षित बच्चे कहां जाएंगे, ये पांच लाख शिक्षित बेरोजगार कहां जाएंगे ? इनके लिए भी तो सोचना आपका दायित्व है ये बच्चे भी आपके ही हैं । पहाड़ के बच्चों को आप अपना समझें या न समझें, लेकिन हम तो आपके अपना समझते हैं । ये बच्चे भी आपके ही हैं, इन्हें आप अपना समझें । वहां पलायन की एक बड़ी समस्या है । आखिर वहां से पलायन क्यों होता है ? क्योंकि वहां पर खेती पर्याप्त नहीं है और कोई उद्योग धन्धा नहीं है । वहां पर एक मात्र व्यवसाय का आधार नौकरी है । इसीलिये इसे मनीआर्डर एकोनामी भी कहते हैं । हमेशा से लोग पहाड़ों से निकलते आए और आज स्थिति यह है कि अकेले दिल्ली में 14 लाख, लखनऊ में एक लाख और अन्यत्र-मेरठ, बुलन्दशहर और चण्डीगढ़ आदि में 5 लाख पहाड़ के लोग कार्यरत हैं । कुल मिलाकर 20 लाख पर्वतीय लोग मैदानी क्षेत्र में नौकरी करते हैं । पूरे पर्वतीय क्षेत्र की आबादी 60 लाख है । जिस क्षेत्र की एक तिहाही आबादी बाहर बसी हुई है, उस क्षेत्र के लिए आपका क्या कर्त्तव्य बनता है ?

यह मात्र मानवता का प्रश्न है, इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए । इस पर आपको राजनीति या किसी अन्य नीति के तहत नहीं सोचना चाहिए । 60 लाख आबादी वाले उत्तरांचल के 20 लाख लोग मैदानी क्षेत्र में दर-दर भटक रहे हैं । 27 प्रतिशत आरक्षण के पश्चात् पलायनवाद में वृद्धि होगी । हमारे यहां के 400 लड़के पड़े हुए हैं यहां मेरे कक्ष में । अंशकालिक हैं, चार साल से इनको नौकरी बहाल नहीं हो पा रही है, ये प्रशिक्षित लड़के हैं । कहां जायेंगे ? सरकार ने कहा गढ़वाल क्षेत्र में

एल०टी० ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए । वहां 700 पद इनके रिक्त थे । हमें बड़ी खुशी हुई कि इतने पहाड़ के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी । 500 पद कुमायूं क्षेत्र में रिक्त थे । हमें बड़ी खुशी थी कि हमारी सपा सरकार 1200 पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को रोजगार देगी । लेकिन वह नियुक्तियां रोक दी गईं, क्योंकि 27 परसेन्ट आरक्षण का मामला लटका हुआ है । यदि इन 1200 पदों में 27 परसेन्ट आ गया, तो 324 पद तो अलग हो गए, किन्तु इन शेष बचे पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं ? मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी हठधर्मी को छोड़कर हमारे तीन सुझावों पर ध्यान दें । हम आरक्षण के समर्थक हैं, मैदानी क्षेत्र में 27 परसेन्ट आरक्षण का सख्ती से अनुपालन किया जाए और तद्नुसार सभी रिक्त पड़े पदों पर तुरन्त नियुक्तियां की जाएं । पर्वतीय क्षेत्र में 27 परसेन्ट आरक्षण का प्राविधान फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और उत्तरांचल में पिछड़ी जातियों के लोगों की जनगणना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए, और उसी जनजागरण के आधार पर पिछड़ों को अनुपातिक आरक्षण दिया जाए । या 27 परसेंट आरक्षण को समाप्त करके बनने वाले उत्तरांचल सरकार पर इस पर निर्णय लेने का दायित्व छोड़ दिया जाए और प्रदेश सरकार उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार से तुरन्त वार्ता करें । पहाड़ों में हुए गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच कराई जाएं । व्यवधान.....

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी को बुलवाऊंगा । जितने भी सदस्य पहाड़ क्षेत्र के हैं बोलना चाहते हैं तो मैं उन सभी को बुलवाऊंगा .....व्यवधान.....

श्री नरेश अग्रवाल–

जिन्होंने इसकी नोटिस दी है उनको आप सुन रहे हैं वह ठीक है, लेकिन जिनकी नोटिस नहीं है उनको भी आप सुन रहे हैं .....व्यवधान.....

(श्री रामस्वरूप सिंह व श्री प्रीतम सिंह के बोलने पर)

मान्यवर, जिन्होंने नोटिस दिया है उनको तो सुन रहे हैं । यह पहाड़ के विधायक हैं, इनको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं पार्टी के नेता को सुन लूं । उसके बाद मैं इन्हें निश्चित रूप से बुलवा लूंगा ।

* श्री रामस्वरूप सिंह–

मान्यवर, उत्तराखण्ड में जो आन्दोलन हो रहा है वह उनकी परेशानियों और दिक्कतों को बतलाता है । मान्यवर, वहां की जनता को परेशानियां और दिक्कतें जरूर हैं लेकिन उनको राजनीतिक तौर पर दूसरे तौर पर दूसरे तरीके से उभारा जा रहा है । आरक्षण का नाम लिया जा रहा है । शत प्रतिशत पहाड़ के लोगों को नौकरी अवश्य मिलनी चाहिए, यह वहां की आवश्यकता है तब ही उनकी समस्याओं का हल हो सकता है । राजनैतिक आधार पर वहां की जनसमस्याओं को आरक्षण विरोधी और आरक्षण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समर्थन का आन्दोलन बनाया जा रहा है और इसी की तैयारी की गई है । मान्यवर, अगर स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है तो आन्दोलन यह होना चाहिए कि और स्कूल खोले जायं लेकिन यह राजनैतिक दल शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं । आजादी के 47 साल बाद भी शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है । इतने सालों में कितनी पार्टियां शासन में आई और चली गईं लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । यह बी०जे०पी० हो या कांग्रेस किसी के एजेन्डे में शिक्षा का कोई स्थान नहीं दिखाई देता है ।

आज 7 करोड़ नवयुवक बेरोजगार पागलों की तरह घूम रहे हैं इनको काम दिलाने की कोई योजना, कोई प्रस्ताव इन राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं है । यह देश को, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनका ध्यान उनकी मूल समस्याओं से हटाकर दूसरी तरफ करना चाहते हैं । आज जो हमारी मूल समस्या है सब बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए । काम यदि न दे सकें तो इन्हें बेरोजगारी का भत्ता अवश्य दिया जाना चाहिए । हमारी लड़ाई यह होनी चाहिए कि सब लोग शिक्षित हों, शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए । किसी राजनैतिक पार्टी के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है । देश के दुश्मन लोग [×××] कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं । छोटे-छोटे जो प्रान्त बने हैं क्या उन प्रान्तों का विकास हो गया है । कोई बड़ा गरीब परिवार हो और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायं तो क्या उसकी गरीबी दूर हो जायेगी । उत्तराखण्ड या उत्तरांचल बना देने से क्या वहां पर लोगों की समस्याएं हल हो जायेंगी ? वहां पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है । उनको मूल समस्याओं से हटाकर लड़ाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जाति और क्षेत्र के नाम पर । इस देश की जनता इन चीजों को चलने नहीं देगी । वहां की समस्याएं एक दिन में पैदा नहीं हो गयी हैं काफी पुराने समय से चली आ रही हैं, इनकी तरफ विशेष ध्यान देना होगा । बी०जे०पी० को, कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि वहां पर कितनी बेकारी है, गरीबी है, भुखमरी है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाय ? यह मण्डल कमीशन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस पर सोचना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहे थे तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को [×××] कहा । मान्यवर, इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, देख लेंगे ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, दल के नेताओं की भाषा का स्तर यह हो गया है । मान्यवर, नेताओं से तो यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी भाषा संयत होगी, उसमें गुणणत्ता होगी और उसका अनुकरण माननीय सदन के सदस्य करेंगे इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है उनको कार्यवाही

नोटः–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से न निकाला जाय इसको कार्यवाही में रहने दिया जाय ताकि आगे समय में लोग देखे कि किस तरह की भाषा का प्रयोग नेतागण करते रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र–

जिनके अपने विचार नहीं हैं तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको कार्यवाही में रहने दीजिए ।

श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

पर्वतीय क्षेत्रों के आन्दोलन के संबंध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं । वर्तमान समय में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से पर्वतीय क्षेत्र में आन्दोलन छिड़ा है । ऐसा भंयकर आन्दोलन पर्वतीय क्षेत्रों में कभी नहीं हुआ । प्रदेश के नौजवानों में, प्रदेश में आन्दोलन से सम्बद्ध लोगों में इस बात का भय व्याप्त है कि 27 प्रतिशत आरक्षण लागू न हो जाए । हमारे सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़ा घोषित किया जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान हो सके । मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार उत्तराखण्ड बनाना चाहती है उत्तराखण्ड बनाने की बात कहती है । मान्यवर, अभी जुवाठा जी ने ग्राम सभाओं का परिसीमन हुआ है वह उत्तराखण्ड राज्य को देखते हुए नहीं किया गया है बल्कि वह मैदानी क्षेत्रों के आधार किया गया है । मान्यवर, अभी जुआंठा जी ने कहा ग्राम सभाओं के संबंध में, ग्राम सभाओं का गठन कैसे होना चाहिए । राज्य सरकार को परिस्थितियों को देखते हुए, भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए ग्राम सभाओं का गठन करना चाहिए था । मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं न्याय पंचायतें हैं, छोटी-छोटी ग्राम सभाओं का परिसीमन हो सके ऐसी नीति अपनाई जाय ।

(रिपोर्टर्स टेबिल का माइक काम न करने के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था ।)

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहूंगा पर्वतीय क्षेत्रों में जो आन्दोलन चल रहा है जो आन्दोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था । पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए । पर्वतीय क्षेत्र में जो आन्दोलन हो रहा है इसको गम्भीरता से लेना चाहिए । श्रीमन् आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे माननीय हरक सिंह रावत जी ने अपने विचार रखे और भी कई विद्वान सदस्यों ने अपने विचार रखे उनके विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं मान्यवर, इस समय जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया उस बिन्दु की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इतिहास गवाह है जो-जो अधिकारी कर्मचारी मैदान से उत्तरांचल नौकरी करने गए नौकरी मिलने के पश्चात् वह स्थानान्तरण के चक्कर में पड़ गया वहां का कर्मचारी, अधिकारी जब तक मैदान में वापिस स्थानान्तरित होकर वापिस नहीं आया तब तक उसने चैन नहीं लिया । मान्यवर, आरक्षण की यही नीति अगर वहां लागू कर दी गई तो जो समस्या आज बनी हुई है, वह बनी रहेगी और वही स्थान रिक्त के रिक्त रहेंगे, शिक्षण संस्थाओं में स्थान रिक्त रहेंगे । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरुद्ध नहीं है । हम चाहते हैं कि जिस अनुपात में मण्डल आयोग द्वारा परिभाषित जातियां, जनजातियां वहां पर निवास करती हैं, उसी अनुपात में उन्हें प्रमुखता दी जाए । उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाए । जो स्थान शेष बचते हैं उन स्थानों को तब तक रिक्त रखा जाए जब तक कि अलग पर्वतीय राज्य नहीं बन जाता है ।

(2 बजकर 05 मिनट)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 18 अगस्त, को जो बयान दिया है उसने आग में घी का काम किया है । हम एक परिवार के मुखिया से इस बात की उम्मीद नहीं रखते । यह बात सत्य है कि दल बदल के आधार पर भूमाफियायों का जमघट इकट्ठा करके मुख्य मंत्री तो बने रह सकते हैं, कुर्सी तो कायम रख सकते हैं परन्तु जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि निरीक्षण भवन जिन पर इनकी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर रखा है, सरकारी भवनों पर इनके लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे इन भवनों को खाली कराया जाए । देहारादून का निरीक्षण भवन आज भी इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनका निजी कार्यालय बना हुआ है । मान्यवर, आज उत्तरांचल में जो शांति व्यवस्था कायम थी, इस सरकार ने उस शांति व्यवस्था को भंग किया है । हम निवेदन करना चाहते हैं अगर आज हिमाचल प्रदेश शांत है, तो इसलिए शांत है कि वहां की परिस्थितियां उचित समय से लोगों ने पहचानी । शासक दल ने पहचानी और अलग राज्य का गठन किया जो स्थिति असम, त्रिपुरा, जम्मू और काश्मीर में बनी हुई है, कोई नहीं चाहता हैं कि वही स्थिति आज पहाड़ के 8 पर्वतीय जिलों में बने । उत्तर प्रदेश के जो 8 पर्वतीय जिले हैं वहां से पलायन रोकना होगा । पलायन रोकना है, तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा । आज पर्वतीय क्षेत्र में किसी चीज की कमी नहीं है । खनिज सम्पदा है, बन सम्पदा है, जल सम्पदा है और पर्वतों पर पर्यटन विकास के अभूतपूर्व अवसर वहां पर उपलब्ध हो सकते हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर उपलब्ध साधन जो हैं, उसके आधार पर योजनाएं बनें ।

(इस समय 2 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता की अशोक बाजपेई पीठासीन हुए)

और मेरा यह भी निवेदन है कि यह योजनायें वहां के लोगों के द्वारा बनायी जायं । सरकारी नौकरियों में जो स्थान हैं वह उन लोगों को दिये जायं जो वहां पर रहना चाहते हैं, या जिनका जन जीवन उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तभी वहां पर शांति स्थापित हो सकती है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 18 अगस्त को जो उन्होंने गलती की है, आपने पर्वतीय क्षेत्र की जनता के लिये जो शब्द प्रयोग किए हैं उन शब्दों को वापस लीजिये । आपके शब्दों से जनता को आघात पहुंचा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है उसको लाठी और गोली से नहीं दबाया जा सकता है । दमनकारी गतिविधियों से नहीं दबाया जा सकता है । वहां पर शांति व्यवस्था करने के लिये वहां के लोगों के साथ बैठना होगा और उनकी जो समस्यायें हैं उनका हल निकालना होगा ।

* श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इस संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, आज पूरा पहाड़, समूचा पहाड़ आरक्षण की आग में जल रहा है । छात्र, छात्रायें आन्दोलित हैं और अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं । वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चुका है । सरकारी सेवायें और सरकारी कार्यालय ठप पड़े हैं । वहां का आवागमन ठप है । ऐसी भयावह स्थिति आज तक इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली है । हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं । जैसा कि कांग्रेस दल के नेता तिवारी जी ने कहा है, हम आरक्षण के विरोधी नहीं रहे हैं । हम चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले और वहां की उनकी जो आबादी है उसके अनुपात में मिले । वहां पर पिछड़ी जातियों का जो अनुपात है वह 3-4 प्रतिशत हैं । हम चाहते हैं कि जो उनका अनुपात है उसके हिसाब से 3-4 प्रतिशत आरक्षण मिले लेकिन 27 प्रतिशत आरक्षण का वहाँ पर कोई औचित्य नजर नहीं आता है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विषय में पुनर्विचार करें और वहां की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विषमताओं को देखते हुये, जातीय संरचना को देखते हुये पूरे पर्वतीय अंचल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुये आरक्षण की परिधि में लाने की कृपा करें ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आरक्षण की हिमायती बनती है । उनके बारे में बहुत कुछ कहती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी पहाड़ में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सारे पद रिक्त हैं और आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि इस कोटे को पूरा करने की व्यवस्था की जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह का बयान दिया है, जिस गरिमामयी पद पर वह बैठे हैं, उससे पूरे जन मानस में आक्रोश है और जनता उद्वेलित है और ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाय जिससे स्थिति विस्फोटक हो जाय । मुख्य मंत्री जी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए । मैं खुद समझता हूं । मेरा उनसे यही कहना है कि इस तरह के बयानात से पूरे पहाड़ का महौल बिगड़ता है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद । अभी माननीय 2-3 सदस्य और माननीय किरन पाल सिंह ने कहा था कि इस आन्दोलन को पार्टी स्तर पर न ले जायं । मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन जो यहां चल रहा है, नौजवानों की ओर से न तो किसी पार्टी ने इसका सुझाव मांगा था और न किसी पार्टी का चुनाव हुआ, जन प्रतिनिधि या किसी दल के किसी पदाधिकारी को किसी भी मंच से बोलने का मौका नहीं दिया, उन्होंने किसी से बात नहीं किया । माननीय सदस्य श्री जुवांठा ने भी आरोप लगाया है । भाजपा ने उत्तरांचल का प्रस्ताव किया । सपा ने भी उत्तरांचल राज्य हेतु अपने घोषणा पत्र में कहा तथा कौशिक समिति बनाई, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल द्वारा तथा अन्य दलों द्वारा भी पर्वतीय जिलों को अलग राज्य का दर्जा देने पर विचार रखे । यह सब तभी हुआ जब सभी दलों ने यह देख समझ लिया कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्याएं प्रदेश से अलग हैं । यदि शासन को बहुमत की आवश्यकता होती तो उसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 406 सीटों की बात करती 19 सीटों की बात नहीं करती ।

आज भारतीय जनता पार्टी पृथक राज्य का उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव करके केन्द्र को भेज चुकी है । समाजवादी पार्टी ने भी पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव किया है । कांग्रेस के लोग, हिल कौंसिल की बात करते हैं । कम्युनिष्ट पार्टी, जनता दल सभी ने पृथक राज्य की बात कही है तो मैं समझता हूं कि

सभी ने इसकी मांग की है । वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां की आर्थिक विषमताएं, वहां की सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, अलग है पूरे प्रदेश से, जिसके आधार पर सभी दलों ने पृथक राज्य देने की बात की गयी है । यह सब कुछ मानते हुए आज पर्वतीय क्षेत्र में इतनी तेजी से यह आन्दोलन चल रहा है उसके लिए मैं समझता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी का जो वक्तव्य है उसने आग में घी का काम किया है । वहां का आन्दोलन तेज हुआ, लाठी चार्ज हुआ । पौढ़ी में, श्रीनगर में, कर्ण प्रयाग में, ऋषिकेश में, इस तरह से बरबाद हो जायगा । ऋषिकेश में 25-30 नौजवान शान्ति पूर्वक आन्दोलन कर रहे थे, 100-150 पी०ए०सी० के जवान थे 2-3 सब इन्सपेक्टर वहां पर थे उन्होंने लाठी चार्ज किया ।

मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं । संजीव कुमार शर्मा, संदीप खुराना, सतीश चन्द्र शर्मा, शैलेन्द्र विष्ठ, राकेश राणा आदि नौजवानों पर लाठी चार्ज किया गया । आन्दोलन में भाग ले रही बहनों, माताओं को देखा नहीं गया तो वह उनके ऊपर लेट गयीं । बुरी तरह से उनकी पिटायी की गयी । लाठियों से स्नेहलता की पसलियां टूट गयीं, उनके गले की हड्डी टूट गयी, आज भी उसके गले से खाना नहीं उतरता है तथा रेणु अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल तथा सुनीता सिंह को आन्दोलन में चोटें आईं । वे अस्पताल में भर्ती हैं । मैं समझता हूं कि सभी लोग जानते हैं कि लाठी चार्ज से पहले पुलिस आंसू गैस छोड़ती है । माईक द्वारा सूचना दी जाती है । यह सब न करके पुलिस ने सत्तापक्ष के कार्यकर्त्ताओं के इशारे पर सीधे लाठी चार्ज कर दिया और नवजवानों को खींच सकते थे । उनको दूसरी जगह छोड़ सकते थे । यह नहीं किया और उन पर दन्डात्मक कार्यवाही किया । इसके लिये मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपसे चाहूंगा कि एक उच्च स्तरीय जांच करायें और उत्तरांचल में जो आन्दोलन चल रहा है, उसके सम्बन्ध में अपने को माननीय नेता प्रतिपक्ष के विचारों से सम्बद्ध करते हुये आग्रह करना चाहता हूं कि जितने प्रतिशत आरक्षित पर्वतीय क्षेत्र में है, उसको लागू किया जाये और बाकी को स्थगित कर दिया जाये और जब उत्तरांचल की सरकार आवे तो वह इस सम्बन्ध में जो भी नीति अपनाना चाहे अपनाये । यह मेरा आपसे आग्रह है । मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल में आने वाली सरकार के आप हाथ न बांधें । मैं चाहता हूं कि सभी दलों के नेता आपस में बैठकर कोई हल इसका अवश्य निकाल लें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नेताओं के साथ जो विचार विमर्श हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि 2 घन्टे की चर्चा होगी और अब साढ़े तीन घन्टे हो गये हैं । एजेन्डा में और भी कार्य बाकी है । पूरे एजेन्डा को समाप्त करने की मंशा है । तो घन्टे के स्थान पर साढ़े तीन घन्टे हो गये हैं । मुख्य मंत्री जी को भी बोलना है और समुचित उत्तर देना है आपको सहमत होना चाहिये और जबरदस्ती न सहमत हों तो दूसरी बात है । माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर भाषण नहीं आया है । उनका उत्तर भाषण आ जाये और तब किसी को कोई स्पष्टीकरण करना हो तो कर सकता है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो चिन्ता माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जताई है मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि पर्वतीय क्षेत्र के सभी विधायकों को बोलने का अवसर देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि केवल एक दो लोग रह गये हैं, उनको भी समय दे दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप चिन्ता से सहमत है और पूरी तरह से असहमति भी जता रहे हैं । डेढ़ घन्टा ज्यादा हो गया है । मुख्य मंत्री जी का भाषण नहीं आया है, उनकी बात नहीं आयी है । नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही चलनी चाहिये । आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी चर्चा काफी समय से चल रही है और हम सभी लोग और प्रदेश की जनता मुख्य मंत्री जी के उत्तर को जानने के लिये उत्सुक हैं, लेकिन अध्यक्ष पीठ से कहा गया था कि सभी उत्तरांचल के विधायकों को अवसर दिया जायेगा । केवल दो सदस्य रह गये हैं ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको भी 5-5 मिनट का समय दे दें तो अच्छा रहेगा । मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नेता विरोधी दल से तो सहमत होना ही पड़ेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन में यदि माननीय सदस्य किन्हीं नियमों में कोई प्रस्ताव देते हैं या संकल्प देते हैं तो वह आपको संदर्भित करते हैं और आपसे उस पर स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है तो क्या जिस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और जिस पर माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं उनको बोलने का मौका नहीं देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, किसी सूचना पर अगर 425 सदस्य हस्ताक्षर कर दें तो क्या सबको बुलाया जायेगा । यह तो मान्यवर, आपके विवेक पर है ।

श्री अधिष्ठाता–

सबको नहीं बुलवाया जा सकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री बंशीधर–

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मै आपको धन्यवाद देता हूं । इसके साथ ही साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय कल्याण सिंह जी का उत्तराखण्ड के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है जो उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा है कि मैं उस पर बल देता हूं और उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, आज पूरे उत्तरांचल में आन्दोलन पूरी चरम सीमा पर है और यह ऐतिहासिक आन्दोलन है । सारे कार्यालय बन्द हैं, यातायात के साधन बन्द हैं परन्तु मुझे अफसोस है कि इस सदन के वरिष्ठ माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आरोप लगाया कि यह आन्दोलन भारतीय जनता पार्टी चला रही है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आन्दोलन कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का आन्दोलन नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है यह जनता का आन्दोलन है । मैं चुनौती भरे शब्दों में बताना चाहता हूं कि जब जनता सड़कों पर आ जायेगी तो उसे कोई रोक नहीं पायेगा । मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि इस सरकार में बैठे हुए लोग इस आन्दोलन के जन्मदाता हैं इन्होंने पहले नकल विरोधी अध्यादेश को समाप्त कर पढ़ने वाले छात्रों को आन्दोलित किया और फिर ग्रामसभाओं को पुनर्गठित कर जनता को आन्दोलित किया उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाषण देकर उसको गति प्रदान की है । इस भाषण ने आग में घी का काम किया है और उससे यह आन्दोलन आज पूरे प्रदेश में फैल गया है । मान्यवर, छात्रों का यह अधिकार है कि उनको विद्यालयों में प्रवेश मिले यह उनका संवैधानिक अधिकार है । इसके लिये सरकार विद्यालय खोले, शिक्षकों की नियुक्ति करे, कुछ भी करे लेकिन छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बंशीधर–

मान्यवर, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है । मान्यवर, वहां के सारे युवकों का पलायन हो रहा है । आज 1,000 की जनसंख्या पर ग्राम सभाओं का शासन रहेगा तो निश्चित रूप से यह 10–15 कि० मी० से कम की परिधि नहीं है । 10–15 कि० मी० पैदल चलने में 2 दिन का समय लगेगा । मात्र फीस माफी के फार्म में अगर प्रधान के दस्तखत कराने होंगे तो भी दो दिन का समय लग जायेगा । वहां का आदमी मजदूरी करता है अगर दो दिन का समय लगा तो 30 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उसे 60 रुपये का नुकसान होगा । इसलिये इसे समाप्त किया जाय । जो हमारी पार्टी की नीति है नेता विरोधी दल ने उसे सार्वजनिक रूप से रखा है । अगर इस आन्दोलन का समाधान नहीं खोजा गया तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश दंगे की चपेट में आ जायेगा । कहीं ऐसी स्थिति न हो कि अलगाववादी बात हो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आन्दोलनकारियों की बात को सुनें और उनकी बात का समाधान निकालें वरना यह आन्दोलन सम्भाले नहीं संभलेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र में चल रहे आन्दोलन के बारे में माननीय कल्याण सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। विषम परिस्थितियों के कारण आज वहां पर कुछ मांगों को लेकर आन्दोलन जारी है। माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि 1989 में जब आप मुख्य मंत्री थे तब भी आपने बयान जारी किया था और उस बयान में आपने कहा था कि उत्तरांचल अलग बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। जब आपका यह बयान पहाड़वासियों ने सुना तो पहाड़ जल उठा। जब आप रानीखेत गये तो पत्थरों से स्वागत किया गया था। आज आपने उत्तराखण्ड की बात को स्वीकारा है। आखिर वे कौन सी परिस्थितियां खड़ी हो गयी, कौन सी बातें सामने हैं कि आप उत्तराखण्ड को राज्य बनाना चाहते हैं। जब आपने उस बात को स्वीकारा है, पिछड़े वर्ग की जो बात है, जितने प्रतिशत लोग वहां रहते हैं उतने ही लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। स्वतः जितना प्रतिशत नहीं मिलता है, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों को छोड़कर, हम उसमें आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, आरक्षण के पक्षधर हैं। इस आन्दोलन के तहत कल रात साढ़े नौ बजे जनपद नैनीताल में सितारगंज जगह पर सजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री रतन लाल गुप्त के घर पर तोड़फोड़ की गयी। उनके द्वारा रात को एफ० आई० आर० लिखाने की कोशिश की गयी, थोड़ी देर पूर्व तक की सूचना है कि उनकी एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी। क्या आपने कार्यकर्ताओं को आरक्षण के पक्ष में इतने अधिकार दे दिये हैं जिसके द्वारा वे तोड़ फोड़ करें और लोगों को घर से निकालकर मारें। आप हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं से कहें, प्रशासन से कहें कि तुरन्त हस्तक्षेप कर ऐसी वारदातों को रोकें। आज जो फिर पहाड़ विरोधी बयान दिया है उससे फिर पहाड़ का क्षेत्र जल उठा है कृपया ऐसे बयानों को न दें। ऐसे बयान अगर निरन्तर देंगे जो पहाड़ की जनता के सामने समस्या है जो इस समय की स्थिति है जो पहाड़ जल रहा है उसमें आपकी जिम्मेदारी होगी सरकार की जिम्मेदारी होगी। जो माननीय कल्याण सिंह जी ने उत्तरांचल के पक्ष में बात रखी है पुनः मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं।

(श्री अतीक अहमद व श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी बैठ जाइये अब सारा सदन माननीय नेता सदन को सुनना चाहता हूं। आपके दल के सभी विधायक बोल चुके हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सुन लें मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जब माननीय नेता सदन अपना भाषण दें तो दो तीन मुद्दों पर, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अवगत हो सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब बैठ जायें माननीय नेता सदन को लोग सुनना चाहते हैं आपके दल की राय आ गयी है । साढ़े तीन घंटे से ज्यादा इस पर चर्चा हो चुकी है । अतीक साहब आप भी कृपा कर बैठ जाएं दूसरे किसी विषय पर बोल लेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय पाल साहब, यह तय हुआ था कि आज पर्वतीय क्षेत्र के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा और सभी सदस्य बोल चुके हैं । इससे ज्यादा इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

हमारे पाल साहब कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कृपया इनको सुन लें ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब, मैंने नेता सदन को बोलने के लिये आमंत्रित कर दिया है उन्हें बोलने दें । आप फिर कभी किसी दूसरे विषय पर बोल लीजियेगा क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो और भी सदस्य इसमें बोलना चाहेंगे ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि हमको सुनेंगे । यह तय होना चाहिए कि अध्यक्ष जी का आदेश सर्वोपरि है या अधिष्ठाता का ।

श्री अधिष्ठाता–

जो अध्यक्ष जी ने सूची रखी है उसमें आपका नाम नहीं है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं और समझदार भी हैं । आप कृपया माननीय नेता सदन को सुनें ।

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया । आज उत्तराखण्ड के संबंध में जो गम्भीर चर्चा हुई है और माननीय सभी नेताओं ने जो अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं और सुझाव दिये हैं, उत्तराखण्ड के सभी माननीय सदस्यों के इसमें विचार आ गये हैं । लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि किसी न किसी प्रकार से जो हमारी नीति है उसका उन्होंने समर्थन किया है । कितना समर्थन कहां और कब करते यह अलग बात है लेकिन यहां पर जो सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की नीति है जो हमारी चुनावी घोषणा-पत्र की नीति है उस पर सभी माननीय नेताओं ने और सदस्यों ने समर्थन किया और सुझाव भी दिये हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं।

(इस समय 2 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जहां तक माननीय नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस दल, नेता, जनता दल, नेता, कम्युनिस्ट (मार्क्स) और माननीय नेता ऐरी जी और सभी माननीय नेताओं ने जो सुझाव दिये हैं और सवाल किये हैं, उन सभी का उत्तर देकर संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं उन्हें आखिर में संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

उससे पहले माननीय नेता कांग्रेस दल, माननीय प्रमोद तिवारी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अलगाववादी शक्तियां जो भी हैं, उनका समर्थन कोई नहीं कर सकता, न किसी को करना चाहिए और यह भी सही है कि अलगाववादी शक्तियों के खिलाफ हमने और हमारे साथियों ने संघर्ष भी बहुत किया है और उन अलगाववादी शक्तियों से लड़कर ही हम आज इधर बैठे हैं। इन अलगाववादी शक्तियों को किसी भी कीमत पर, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई शक्ति नहीं दी जायेगी। आज अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा कौन दे रहा है, यह आपसे, हमसे, प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। अलगाववादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करने की वजह से हम पर पत्थर भी पड़ते हैं और हमारे साथियों को जूते की मालायें भी पहनाई जाती हैं। हम पर पत्थर पड़ते हैं, उसकी निन्दा नहीं की जाती, जब हमारे साथियों को जूतों की मालायें पहनाई जाती हैं, उसकी भी कोई निन्दा नहीं करता, लेकिन इस सरकार की धीरज और संयम की जो सीमा है, वह स्वयं सदन महसूस करता है और पूरे प्रदेश की जनता उसे स्वीकार करती है।

जहां तक आपका सुझाव है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। उत्तराखण्ड के सभी विधायक, विधान परिषद् के सदस्य, पार्लियामेंट के मेम्बर अगर हैं तथा अन्य प्रमुख नेता व कार्यकर्ता, मैं उन सबसे बात करने के लिये तैयार हूं, कल हम इसके लिये समय भी देंगे, मैं सभी की बात सुनने के लिये तैयार हूं।

जहां तक पंचायती राज का सवाल है, पंचायती राज के बारे में हमारी आपकी व्यक्तिगत वार्ता भी हुई है। माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की वार्ता हुई है, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंचायती राज आया है, उससे हम भी पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र भी लिखा है और आगे भी लिखेंगे, फिर कहेंगे भी, कि वर्तमान स्वरूप जो पंचायती राज का है, उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों का महत्व कम हो गया है, विधायक भी वंचित हो गये हैं, प्रधानों को वोट देने का अधिकार नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि के रूप में जब आप जाते थे तो प्रतिष्ठित नागरिकों से भी आपका सम्पर्क होता था और जो उनकी समस्यायें होती थी, उनको आप लोक सभा, विधान सभा में रखते थे। कुछ कमियां अवश्य रही हैं, उसके संबंध में हम सब मिलकर पत्र लिखेंगे, जो सांसद हैं, उनसे भी कहेंगे। नेता विरोधी दल, जिनके सांसदों की बड़ी तादाद है, अगर उन्होंने अपने सांसदों पर यह दायित्व डाला होता और वह माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले होते तो मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी जो समन्वयवादी हैं, उनके द्वारा जरूर उनकी मांगें स्वीकार की जातीं। लेकिन यहां तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यदि इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो पंचायती राज में अवश्य संशोधन करने का अवसर होता।

जहां तक शिक्षकों के बारे में, चयन आयोग के बारे में आपकी राय है, उससे भी मैं सहमत हूं। चयन आयोग का गठन बहुत जल्दी कर दिया जायेगा, जिससे शिक्षकों का चयन हो। हमारा वायदा है कि अन्य नौकरियों में चाहे प्रतिबंध हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी और जैसा कि हमारा वायदा है, पूरे प्रदेश को 3 साल में साक्षर बनाने का, उसके अनुरूप शिक्षकों की भर्ती और हर विषय के शिक्षकों की भर्ती का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जायेगा जहां तक अभी बताया कि सीटों को बढ़ाया जाये, बी० एससी०, एल-एल० बी०, मेडिकल और अन्य पाठ्यक्रमों में, तो इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं ने जो आरक्षण लागू हुआ है उसके चलते मेरिट में जो अगड़ी जाति के आयेंगे ऊंची जाति के आयेंगे उनके एक भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार का कोई छात्र है उसका नाम तीन दिन के अन्दर इस विधान सभा के अन्दर दे दीजिये, उसको लाकर खड़ा कर दीजिये, उसी वक्त उसका प्रवेश करा देंगे, अगर ऐसा है तो कोई उदाहरण आप सामने लायें। माननीय नेता जनता दल श्री किरन पाल जी ने अपने भाषण में कुछ सुझाव भी दिये हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो पता नहीं क्यों कहने लगे हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो नेता सदन से पूछ लिया करें। आधा भाषण ऐसा है जो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आपको राय इसलिये देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ बहुत दिनों तक रहेंगे, इसलिये आप अपने को स्पष्ट रखें, चाहे इधर रहें या उधर रहें लेकिन नीति साफ होनी चाहिए। हम भी किसी को भी कह सकते हैं कि इस दल में यह खराबी है, उस दल में यह खराबी है। आप बतायें कि आपकी नीति क्या है, स्पष्ट बतानी चाहिए, इसलिये आपको अपनी नीति रखनी चाहिए। आप कहीं माननीय नेता विरोधी दल के पक्ष में बोल रहे हैं, कभी माननीय नेता कांग्रेस के खिलफ बोल रहे हैं, आप अपनी नीति को रखें तो अच्छा होगा। हमारी ओर आपकी नीति में अन्तर नहीं रहा है। लेकिन आपकी जो बोलने की टोन है वह ठीक नहीं है।

माननीय ऊदल जी यह बात बिल्कुल सच है जो अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही है और अन्य माननीय नेताओं ने भी कही है। इसका एक ही इलाज है कि उत्तराखण्ड अलग राज्य बने, चाहे आरक्षण, विकास या बेरोजगारी हो, यह सही है कि अब उत्तराखण्ड का वक्त आ गया है कि अब उत्तराखण्ड एक पृथक राज्य बने। हम इसके लिये इसी सत्र में प्रस्ताव ला रहे हैं और इस बात को हम भारत सरकार से, माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल करके उत्तराखण्ड की भावना और अपनी भावना से अवगत करायेंगे, उनके सामने रखेंगे। हमारे पास एक लाईन का प्रस्ताव नहीं है बल्कि पूरी एक रिपोर्ट है।

माननीय काशी सिंह ऐरी जी से सबसे पहले निवेदन यह करूंगा कि वह विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र न दें। हम उनकी भावना को समझते हैं। हम यह भी समझते हैं कि वह आज से आन्दोलन नहीं कर रहे हैं कई सालों से कर रहे हैं। यह भी सही है कि हमारा उनका साथ काफी समय तक रहा है लेकिन आज जिस प्रकार से उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, भावुकता में आकर सदस्यता से त्याग-पत्र नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना है कि आप माननीय ऐरी जी को अपने चैम्बर में बुलाकर समझा दें, सन्तोष दें कि सरकार ऐसा काम करेगी जिससे उनकी भावना को ठेस नहीं लगेगी। उन्होंने सदन में जो घोषणा की है उसको वापस ले लें। हमें विश्वास है कि आप उनको बुलाकर समझायेंगे और हम भी समझायेंगे तो यह हमारी प्रार्थना को

स्वीकार कर लेंगे । जहां तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री राम स्वरूप सिंह जी ने जो कुछ कहा है उस विवाद में नहीं जाना है । अन्य दलों के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उस संबंध में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे दलों का उत्तर देना है, उनका काम है । जहां तक श्री बरफिया लाल जुवांठा जी का सवाल है, मैं उन्हें बधाई देता हूं । उन्होंने सदन के सामने आज तस्वीर रखी है, उन्होंने स्थिति स्पष्ट भी की है, वहां पर अपमानित भी किया गया, पकड़ा भी गया, यह जानबूझकर किया गया । यह कहा जा रहा है कि वहां पर अत्याचार हुआ, बल प्रयोग हुआ, गोली चली, यह लाठी गोली की सरकार है । मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार लाठी गोली की सरकार नहीं है । हम किसी के ऊपर लाठी गोली चलाने के पक्ष में नहीं हैं । हम संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं । प्रदेश को चलाने के लिये संविधान के लिये सम्मान, संकल्प के साथ हिफाजत के लिये कार्य करते हैं । हम निर्दोष पर कभी भी गोली चलाने की इजाजत नहीं देंगे । दुनिया में फ्रांस में एक बार मौका आया था, लेकिन वहां पर बल प्रयोग नहीं किया गया और यहां पर जो आन्दोलन चल रहा है उसमें कहीं भी इस प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है ।

आज तक कोई भी एक गम्भीर रूप से घायल आन्दोलनकारी किसी अस्पताल में भर्ती है, यह आप बता दें । जो भर्ती है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भर्ती किया गया है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और उनका वजन 34 किलो ही है, किन्तु जिनको खतरा हो सकता है उनको बेहतर से बेहतर सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी । कुछ मेरठ में भर्ती हैं उन्हें दिल्ली भेजा जायगा । यह सरकार की नीति है, वहां पर किसी के ऊपर गोली नहीं चली है । अगर वहां पर कोई गम्भीर रूप से घायल हुआ है तो वह हैं पुलिस के दस जवान । वह गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं और मौत भी हुई है । हमारे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मौत हुई है । लेकिन उत्तराखंड के आन्दोलन में एक भी गम्भीर रूप से घायल कहीं भी भर्ती नहीं है । उदाहरण के लिये–फ्रांस में एक बार ऐसा हुआ है । लेकिन उत्तर प्रदेश में इस सरकार में किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया । इस सदन के माध्यम से उत्तराखण्ड के विधायकों और नेताओं से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि उत्तराखण्ड में चल रहे आन्दोलन को स्थगित करने, वापस लेने की पूरी जनता और छात्रों तक अपील पहुंचाई जाय और इसमें अपना सहयोग भी दें । बातचीत करके विवाद का हल हो सकता है । जहां अहिंसा कहने को नहीं है वहां पर कहीं-कहीं विधायकों को जूते और मालायें पहनाई गयीं, क्या इससे बेइज्जत नहीं होंगे ? वहां पर हाईकोर्ट के जज को घेरा गया, डी० एम० को अपमानित किया गया, उसके बावजूद अधिकारियों और सरकार में संयम है। लड़के हैं, किसी के बहकावे में आ सकते हैं, इसमें कहीं न कहीं सच्चाई तो है ही । हम लोगों का काम है कि उन्हें समझायें । इस आन्दोलन से किसी को कोई फायदा नहीं है, यह हवा छोड़ी गयी होगी आन्दोलन की, उनको भी यह नहीं मालूम । छात्र आन्दोलन किस तरह चलता है, छात्र नहीं समझते हैं ।

मैं भी शिक्षक था, एक बार एक आन्दोलन चला प्रिन्सिपल साहब के खिलाफ, जब लड़कों ने कहा कि प्रिन्सिपल साहब मुर्दाबाद, उन्हीं लड़कों में प्रिन्सिपल साहब का लड़का भी था, छात्र आगे आये और नारे लगाते रहे और वह भी उन्हीं छात्रों के साथ अपने पिता के खिलाफ नारे दे रहा था, उस बात को न करिये । छात्रों की भावनायें कोमल होती हैं, छात्रों को समझाना चाहिए और हमें भी पूरी तरह समझ लेना चाहिए । उसी के तहत आपके सामने रखेंगे । जहां तक पिछड़ापन का सवाल है । आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से । आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान में सबसे पहले बिहार, उड़ीसा, उसके बाद पटेल

आयोग ने चौदह जिले रखे हैं तीन मण्डलों के। ये तीन मण्डल हैं–बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के चौदह जिले, 18 जिले, यह सभी उन्हीं पटेल आयोग की रिपोर्ट से हैं। गरीबी की दृष्टि से आज भी अन्य क्षेत्र पिछड़े हुए हैं जबकि उत्तराखण्ड आगे है, शिक्षा में आगे है, इस दृष्टि से हम उत्तराखंड की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारे बयान के बारे में जो कुछ कहा गया, मान्यवर, आप देखेंगे कि इस वर्ष का जो योजना परिव्यय है, उसके मुताबिक अन्य क्षेत्रों में पर कैपिटा इनकम 340 रुपये है जबकि पर्वतीय क्षेत्र में 770 रुपये है। एक लाख की आबादी पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में दो गुना व तीन गुना स्कूल ज्यादा हैं। एक लाख की जनसंख्या पर जितने अस्पताल अन्य क्षेत्रों में हैं, उससे दो गुना व तीन गुना अस्पताल पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। पेयजल की सुविधायें, बुन्देलखण्ड को छोड़कर, पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक हैं। पक्की सड़कों की लम्बाई अन्य क्षेत्रों की तुलना में चार गुना है, विद्युतीकरण के संबंध में, पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा है। जहां तक उत्तराखण्ड का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है, हमने कहा है कि उत्तराखण्ड तो पार्वती जी का मायका है। पार्वती जी के मायके के साथ-साथ, महाभारत के जो हमारे नायक थे, अन्तिम समय में वे वहीं जाकर विलुप्त हुए थे। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी वहीं से चुनकर आये।

हिन्दुस्तान में अपने विचारों से और राजनैतिक प्रचार-प्रसार द्वारा गरीबों के हितों के लिये अगर कोई लड़े हैं और समाजवादी आन्दोलन में हिस्सा लिया है तो वहीं से ही दोनों मुख्य मंत्री स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी और श्री नारायण दत्त तिवारी जी रहे हैं। उत्तराखण्ड के महत्व को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। हमने तो केवल इतना ही नहीं कहा है बल्कि यहां तक कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र पार्वती जी का मायका ही नहीं है अपितु भारत माता का मुकुट भी है। भौगोलिक दृष्टि से इसकी हालत अच्छी नहीं है, वहां पर तकलीफें हैं, आप साइकिल नहीं चला सकते हैं, आज भी पानी दूर से लाते हैं। हम आज भी कहना चाहते हैं कि वोट की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। संविधान की रक्षा हमने 1990 में की थी, कानून व संविधान को बचाने तथा देश की एकता को बचाने का कार्य हमने किया है। उत्तराखण्ड से हमारी पार्टी के एक विधायक के चुने जाने के बावजूद भी हम उत्तराखण्ड के विकास के लिये सबसे ज्यादा काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान की माटी एक है। चाहे मिट्टी उत्तराखण्ड की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, माटी एक है। यह भावना हमको पैदा करनी होगी। हम अपने सदस्यों से भी कहते हैं कि पूर्वांचल की बात क्यों करते हो, पश्चिम की बात क्यों करते हो? मध्य उत्तर प्रदेश की बात तो कोई नहीं करता। भारत की माटी एक है।

उस लाइन को नहीं पढ़ा है, केवल उतना पढ़ कर भड़क गये मैंने पहाड़ों के लिये कभी नहीं कहा। यह सही है कि यह जो सरकार बनी है, बार-बार कहता हूं कि पहाड़ों का समर्थन हमें कम मिला है, अगड़ी जातियों का समर्थन कम मिला है, गरीब, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का वोट हमें मिला है लेकिन हम सरकार में आ गये तो फिर यह सरकार केवल गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों या मुसलमानों की नहीं रह जाती है यह सारे उत्तर प्रदेश की साढ़े 14 करोड़ जनता की है। जाति के नाम पर हमारी कलम नहीं चलती है, इंसानियत के नाम पर कलम चलती है, कौन कहां का रहने वाला है यह मानसिकता जिनकी होगी, जिन्होंने पूछ-पूछ कर राज किया, जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग जाति के नाम पर

की वह ऐसी बात करते हैं हमने कभी ऐसा नहीं किया इसलिये सवाल ही नहीं उठता है उत्तराखण्ड के लिये हम ऐसा करें । हमने अपने चुनाव की रणनीति तैयार की तो वहीं 7 दिन उत्तराखण्ड में लगातार बैठे थे । यह सही है कि जब से मैंने याद संभाला है 7 दिन लगातार मैं एक जगह कभी नहीं रहा, अपने गांव में भी नहीं रहा लेकिन 7 दिन उत्तराखण्ड में रहा या फिर 7 दिन कहीं रहा तो जेल में रहा । 7 दिन तक एक स्थान पर रह कर उत्तराखण्ड रह कर राजनीतिक रणनीति रची ।

वहां के विकास में यह सही है हमारी पूरी सहानुभूति है । वहां के विकास के सारे काम हमने किये है। हम कोई वोट की राजनीति नहीं करते हैं, क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं । आप आंकड़े देख लें किस को गनर मिलना है, किस को लाइसेंस देना है इसमें हम जाति या पार्टी को नहीं देखते हैं आप पहले के भी देख लें । गनर किस पार्टी के विधायक ने मांगा है इसको हम नहीं देखते हैं, जिसने कह दिया, हम सब की जानमाल की हिफाजत करना चाहते हैं, जिसने लिख दिया उसमें कभी नहीं सोचा, हमने कभी जाति या धर्म की भावना से काम नहीं किया, हमने सब की सुरक्षा करनी है आप देख सकते हैं जिसने किया होगा वही यह कह सकते हैं । हमारे दिमाग में उत्तराखण्ड या मैदान की कोई बात नहीं है । इसी लिये हमने अपर मुख्य सचिव की नियुक्ति वहां के लिये की है । अगर उत्तराखण्ड का कहीं हममें भेद होता तो यह कैसे होता हमने 3 दिन अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नैनीताल में रखी है । मैं तीन बार वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिला हूं । पिछली विधान सभा वहां करने की तैयारी नैनीताल में करेंगे सोचा था । हमारा विचार है दो कैबिनेट बैठक हम उत्तराखंड में करेंगे एक कुमायूं में एक देहरादून या गढ़वाल में । वहां के विधायकों से बात करेंगे हम तीन दिन वहां बैठने वाले हैं और उनकी समस्या का हल वहीं करने को तैयार हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

विधान सभा का सत्र भी करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा का सत्र भी करेंगे, हमारा विचार है । हम वोट की राजनीति नहीं करते इसीलिये 3 दिन हमने नैनीताल में बैठक की, वहां के लिये अपर मुख्य सचिव की नियुक्ति की है । यहीं तक सीमित नहीं है हमने केवल नाम के लिये नहीं अध्यक्ष महोदय, हम उन्हें पूरे वित्तीय अधिकार देंगे दो तीन दिन में वित्तीय अधिकार देंगे एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को, डी० एम० और कमिश्नर को इंट्री देने का अधिकार देंगे और 3 महीने बाद मैं स्वयं समीक्षा करूंगा कितना पैसा खर्च हुआ, पैसे की कमी उत्तराखण्ड के कामों के लिये नहीं होगी, विकास के कामों में वहां कमी नहीं होगी, हर 3 महीने बाद स्वयं समीक्षा मैं करूंगा जितना पैसा जिस मद में दिया है वह खर्च किया है या नहीं अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने काम नहीं किया है ।

(3 बजकर 05 मिनट)

मान्यवर, हम पूरी तरह से उत्तराखण्ड के विकास के लिये तैयार हैं । इसी परिप्रेक्ष्य में हिल कैडर 22 विभागों में बना दिया है और 6 विभागों का जल्दी ही तैयार हो जायेगा । रोजगार सृजन कार्यक्रम में हम प्राथमिकता दे रहे हैं उत्तराखण्ड को । उत्तराखण्ड राज्य अलग बनाने का प्रस्ताव इसी सत्र में आ रहा है।

मान्यवर, जहां तक नेता विरोधी दल ने कहा है कि उत्तराखण्ड दूसरे देशों की सीमाओं से जुड़ा है, तो यह उनके दिमाग में बात आयी तो यह अच्छी बात है और इसीलिये मैं यह कहा रहा हूं। यही नहीं बल्कि हम जब आचार्य राम मनोहर लोहिया जी के निर्देशों को याद करते हैं तो उनका कहना था कि कम से कम मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड से लेकर उत्तराखण्ड तक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहिए और वहां का दौरा करना चाहिए चूंकि वहां के लोगों को कोई कमी न महसूस हो कि मैदान के लोगों से अलग हैं। इसलिये मुझे खुशी है कि यह बात उनके दिमाग में आयी लेकिन उनको पूरी भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है कि हमारी सीमायें पाकिस्तान और चीन से भी जुड़ी हैं। पाकिस्तान से तो बराबर लोग आते रहते हैं और हमारी सीमायें पाकिस्तान से जुड़ी हैं लेकिन उससे हमें कोई खतरा नहीं है। चूंकि पाकिस्तान से हम हर हालत में फौज, औजार, संख्या और धन से मजबूत हैं, इसलिये उससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन मान्यवर, हमेशा कमजोर पर गुस्सा आता है इसलिये कश्मीर में झंडा फहराते हैं किन्तु चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो वहां झंडा फहराने की हिम्मत नहीं करते हैं इसलिये कमजोर पर गुस्सा आता है, मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों पर आपको गुस्सा आता है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड और मैदान के बीच में हमारी नीति साफ है और इनमें कोई मतभेद नहीं है और न भेद करेंगे बल्कि यदि कोई मतभेद है तो उन्हें दूर करेंगे। मान्यवर, आरक्षण विरोधी कौन है और आरक्षण समर्थक कौन हैं उसे हम देश और प्रदेश के सामने बेनकाब करेंगे और मैं तो समझता हूं कि आप आरक्षण विरोधी हैं। और यदि आरक्षण विरोधी नहीं हैं तो आप दो तरह की बात न करें। मान्यवर, दो प्रतिशत आरक्षण उत्तराखण्ड का किया था लेकिन उस अध्यादेश को आपने निरस्त क्यों कर दिया था ? मान्यवर, 4 प्रतिशत आबादी है उत्तराखण्ड की, तो साढ़े चौदह करोड़ की आबादी में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया था। यह प्राविधान रमा शंकर कौशिक कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर किया था। जब 2 मार्च, 1992 को रमा शंकर कौशिक की रिपोर्ट आपके सामने आयी तो आपने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहा, इसको हटाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी इसको जान कौन पाया है ? उत्तराखण्ड के विधायकगण और छात्र इसे नहीं जान पाये हैं। अब हमें मौका मिलेगा पर्वतीय जनता को और प्रदेश की जनता को तारीख वाइज यह बताने का कि वहां के लिये दो सैकड़ा आरक्षण के प्राविधान को, जो रमा शंकर कौशिक कमेटी के आधार पर हुआ था, उसे इनकी सरकार ने, इनके मंत्रिमण्डल ने किस प्रकार खत्म कर दिया... (व्यवधान) ऐसा हुआ है और हुआ है , यह सच है। और जो मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, 91 में इसका जो अध्यादेश लागू किया था 27 परसेंट का....

श्री जगदम्बिका पाल–

अभी-अभी मुख्य मंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा है कि ऐसा हुआ है, तो यदि ऐसा नहीं हुआ है तो नेता विरोधी दल इसका यहां खंडन कर दें। सदन में मुख्य मंत्री जी जो चुनौती दे रहे हैं, उनके कथन में यदि कोई सत्यता नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहिए कि हमारी मंत्रिपरिषद् ने इसको निरस्त नहीं किया है ?

श्री कल्याण सिंह–

मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में गलतबयानी कर रहे हैं । स्पष्ट कहा जा चुका है कि भाजपा आरक्षण की प्रबल समर्थक है और स्पष्ट पक्षधर है, और पहाड़ के बारे में जो कहा है यह इनकी गलतबयानी है । मैं इसका खण्डन करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

सवाल क्या जवाब क्या, अभी इसका जवाब नहीं आया है । (व्यवधान) मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह जगदम्बिका पाल जी की बात का स्पष्ट जवाब दें । उन्होंने किया या नहीं किया । यदि यह खण्डन नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि उत्तराखण्ड के सबसे बड़े दुश्मन कल्याण सिंह और उनकी पार्टी है । यह जानकर कि पर्वतीय वासियों के खिलाफ आपने ही कदम उठाये हैं, हम लोग बहुत शर्मिन्दा हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी समय-समय पर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका न कोई सिर होता है और न पैर होता है । लगता है कि यह सीधे-सीधे मुख्य मंत्री जी उनसे प्रसन्न कैसे रहें सदैव इसकी चेष्टा करते रहते हैं । वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी सदा से पिछड़ी जातियों और उनके आरक्षण की हिमायती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

चोर की दाढ़ी में तिनका । यह स्पष्ट हो गया कि नेता विरोधी दल की कथनी और करनी में भारी अन्तर है.....

(घोर व्यवधान)

श्री रंग नाथ–

यह बीच में एक [× × ×] हैं, जो बेकायदे समय जाया कर रहे हैं । इनको आप बाहर करवाइये, यह सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । और सदा इसी प्रयास में लगे रहते हैं । यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इन्होंने एक हकीकत का पर्दाफाश कर दिया है (व्यवधान) मान्यवर, सदन को इनसे खतरा महसूस हो रहा है । यह पूरे सदन के लिये चिन्ता की बात है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों से हकीकत स्पष्ट हो गयी है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर से आरक्षण का समर्थन करती है और अपने मंत्रिमण्डल में आरक्षण को रद्दी की टोकरी में डालती है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

दीक्षित जी, कृपया शान्त रहें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय मुख्य मंत्री सदन में गलतबयानी कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दीक्षित जी, कृपया शान्त रहिये । बैठ जाइये । मैं इंगित कर रहा हूं आपको सदन से बाहर निकाल दिया जायेगा । संसदीय कार्य मंत्री जी मैं इंगित कर रहा हूं । जब तक इनको निकाला नहीं जायेगा सदन नहीं चलेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दीक्षित जी बैठ जायं ।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित अपने स्थान पर बैठ गये)

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

(कांग्रेस के श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कांग्रेस के लोग सदन का समय बर्बाद कर रहें हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे, तो मैंने शुरू में कहा था, यह बोलते हैं कि आरक्षण समर्थक हैं, यह दो तरह से बोलते हैं । मैं कोई शब्द आपके सम्मान के खिलाफ नहीं कहूंगा । राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक के मिनट्स हैं आपने कहा था कि मस्जिद की रक्षा करेंगे.....

(व्यवधान)

हम दो तरह की बात नहीं करते हैं । आपने कहा, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय नेता सदन तथ्यहीन बात रखते हैं । हमने इनकी कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया उसको स्थगित कर दिया

पढ़े-लिखे नहीं । आप कहते हैं कि आरक्षण समर्थक हैं । आपने कहा चुगली किया, कानाफूसी किया, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा । आप पर कैसे एतबार किया जाए ? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि सुरक्षा करेंगे । लेकिन आपने मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया सुरक्षा नहीं की । आपने क्षेत्र की जनता के बीच में कहा कि 65-66 साल पुरानी गुलामी की निशानी मिटा दी अब कांग्रेस के पुराने ढांचे को मिटायेंगे ।

(व्यवधान)

दो तरह की बात हमने कभी नहीं की है । हमारे दल की एक पूंजी है, जो बोली है, हम जो बोलते हैं वहीं करते हैं हम दो जीभ की बात नहीं करते हैं । हम डा० लोहिया जी के जमाने से लड़े हैं हम अपनी बात से आज भी नहीं हटे हैं । हम आरक्षण की नीति पर ज्यों के त्यों कायम रहेंगे इससे कोई समझौता नहीं है । उच्च जाति के आरक्षण के संबंध में सीताराम केसरी जी का उत्तर आया है उन्होंने लिखा है-- "कृपया पत्र फलां-फलां दो अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करें । जिसमें सवर्ण, अगणी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों में लाने के लिये समुचित संशोधन लाने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार इस पर हर पहलू पर विचार कर रही है । " हम जो वचन देते हैं उस पर कायम हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

आप आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं । दिल दिमाग दो होते हैं आप दिमाग से आरक्षण से समर्थन करते हैं दिल से आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं पिछड़ी जाति में पैदा होने के बावजूद भी । दिमाग से इसलिये करते हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए ।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड की जो लड़ाई उसको आपने कमजोर किया है माननीय नेता विरोधी दल माने या न माने । उत्तराखण्ड राज्य बनाने की मांग को इनकी पार्टी ने ही कमजोर किया है । अगर इस आरक्षण के आन्दोलन को न भड़काकर पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने का आन्दोलन किया जाता तो हम उनके साथ होते । आपने ऐसा बीज बो दिया है कि उत्तराखण्ड को जो समर्थन मिलना चाहिए था, वह समर्थन आपने कम किया है । अगर शिक्षण संस्थाओं में 15 दिन के अन्दर पिछड़ी जाति के छात्र न मिलें तो उस स्थान को सामान्य वर्ग से भरने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं । पूरी सीटें सामान्य वर्ग से भर दी जायेंगी । जहां तक डिग्री कालेज की बात है उसके लिये पहले ही दिन से भर दें । कहीं रोक नहीं है । यह आन्दोलन वहां की जनता का आन्दोलन नहीं है इस आन्दोलन में आपकी पार्टी कूदी है, जनता नहीं कूदी है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने दो तीन बातों का उल्लेख किया है, चूंकि उन्होंने हमारा नाम ले लिया है इसलिये हमको खड़ा होना पड़ा । एक बात उन्होंने विवादित ढांचे को गिराने के बारे में कही तथा हमारी आलोचना की है । दूसरी बात कही कि उत्तराखंड या उत्तरांचल जो भी कह लीजिये अलग राज्य बने इस आन्दोलन को भाजपा ने ही कमजोर किया है । मैं पहले तो यह कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी 12 अगस्त को पूरे उत्तरांचल में हर एक जिला मुख्यालय पर अलग उत्तरांचल राज्य जल्दी से

जल्दी बनाया जाये, इसके लिये जोरदार प्रदर्शन किये हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने के लिये केन्द्र को प्रस्ताव भेजा था। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तरांचल में जो आन्दोलन हो रहा है, उसको भाजपा चला रही है लेकिन सच बात तो यह है कि यह आन्दोलन न तो भाजपा चला रही है न कांग्रेस यह आन्दोलन जनता चला रही है यह जन आन्दोलन है। इसमें पार्टी बैरियर टूट चुके हैं। इसको हल्केपन से लेना ठीक नहीं है अयोध्या स्थित ढांचे को गिराये जाने को लेकर बार-बार चर्चा होती है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि इस मसले पर किसी एक दिन पूरे दिन चर्चा करा ली जाय। हमने नेशनल इन्टीग्रेशन काउंसिल में कहा था कि ढांचे की सुरक्षा की जायेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहा था कि हम गोली नहीं चलायेंगे यह भी रिकार्डेड है। सुप्रीमकोर्ट में भी यही कहा था कि ढांचे की रक्षा की जायेगी। ढांचे की सुरक्षा नहीं की जा सकी इसके लिये त्यागपत्र दे दिया। लेकिन आजमगढ़ में 8-8 निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या हो जाये और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहें ...

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये।)

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ मत उठायें। यह ठीक नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

जहां तक आरक्षण का सवाल है। मण्डल आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई हैं। स्कूलों और डिग्री कालेजों में जो आरक्षण लागू किया गया है वह कभी भी एक इकाई मानकर नहीं किया गया है। संविधान में जो व्यवस्था है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है और उसके पहले काका कालेलकर आयोग ने भी कहा है उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है, क्षेत्र की बात उसमें कहीं नहीं है और पूरे देश के लिये आरक्षण की बात कही गयी है। अगर इस विवाद में फंसेंगे तो कठिनाई होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छपरौली में 10 सैकड़ा शेडयूल कास्ट के लोग हैं वह कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में 10 सैकड़ा होना चाहिये। किसी क्षेत्र में यदि 8 सैकड़ा हैं तो वह कहेंगे कि हमारे यहां 8 सैकड़ा होना चाहिये। मैदान में 52 सैकड़ा हैं तो क्या मैदान में 52 सैकड़ा आरक्षण हो। कहीं भी क्षेत्र की बात इसमें नहीं की गयी है पूरे राज्य को देखते हुए यह किया गया है। मंडल कमीशन ने इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करके यह किया है। इसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने यह फैसला दिया है और भारत सरकार ने इसको लागू किया है। उन्होंने भी पूरे देश के लिये 27 सैकड़ा किया है।

भारत सरकार ने यह आरक्षण पूरे देश के लिये किया किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र के लिये नहीं किया है। अगर क्षेत्र को लेकर कोई चीज लागू करेंगे तो न जाने कितनी मांगें उठेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड के लिये अलग-अलग मांग उठेंगी इसलिये यह संभव नहीं है और न यह व्यवहारिक है और न इसको हम स्वीकार करेंगे। संविधान के विपरीत किसी मुख्य मंत्री या सरकार की क्षमता नहीं है कि वह ऐसा करे। संविधान के तहत, सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के अनुसार ही यह हुआ है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण का विधिक आधार सामाजिक पिछड़ापन है इसलिये आरक्षण की इकाई सम्पूर्ण प्रदेश होता है, क्षेत्र के आधार पर आरक्षण का अर्थ होगा आरक्षण की पूरी व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर देना। यह नहीं हो सकता है। आप काका कालेलकर से भी बुद्धिमान हैं, मंडल से भी बुद्धिमान हैं और सुप्रीमकोर्ट से भी बुद्धिमान लोग हैं, प्रधानमंत्री नरसिंहाराव जी से बुद्धिमान आप लोग

बैठे हैं । (हंसी) संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ेपावें 100 में 60। इस मुद्दे पर मैं हट नहीं सकता हूं । हम पूरी तरह से 2 सैकड़ा के पक्षधर हैं । मेरा यह कहना है कि नौकरियों से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा और न पिछड़ी जातियों का विकास होगा और न उत्तराखण्ड का विकास होगा । अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू भी हो गयीं तो 38 या 40 हजार क्लास–1 की नौकरियां पूरे हिन्दुस्तान में मिल सकती हैं ।

क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जायगी और पिछड़ी जातियों का उद्धार हो जायगा । अगड़ी जातियों को इसलिये आशंका है कि आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है । छोटी मोटी नौकरियां मिल रही हैं तो यह महसूस हो रहा है कि यह भी पिछड़ों को चली जायंगी तो हम कहां जायेंगे । इसीलिये छात्रों में असंतोष उठता है । इसलिये हमें रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे । सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी नहीं मिटेगी । हम कटिबद्ध हैं जो भावनायें आयी हैं, माननीय नेताओं ने उत्तराखण्ड के लिये जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली जहां गया हूं उद्योगपतियों से कहा है कि उत्तराखण्ड के विकास के लिये आगे आयें । वहां पर हरियाली है, शाक सब्जी और फलों की खेती ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, पर्यटन का वहां पर बहुत विकास हो सकता है । हम आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र के विकास की ओर आकर्षित करना चाहते हैं । वहां 8 जिलों में हवाई पट्टी नहीं बरन 4 जिलों में हवाई पट्टी बनाने का विचार है ।

नौकरी में रोजगार अगर नहीं है तो इसके लिये उद्योग से नौकरियां मिल सकती है । वहां पर औद्योगीकरण या छोटे–मोटे उद्योग, कुटीर उद्योग लगाना पड़ेगा जिससे लोगों को रोजगार मिले । इसमें हम प्राथमिकता उत्तराखण्ड को देंगे और यह कहना कि राज्य सरकार ने आरक्षण के लिये प्रदेश को इकाई माना है, इसे मुझे दोहराना नहीं है । मैं दोहराना चाहूंगा कि कोई भी हो जो भी आन्दोलन के पीछे है वह आरक्षण के विरोधी हैं, यह बात सब लोग हफ्ते, 10 दिन में समझ जायेंगे । सभी बेनकाब हो जायेंगे, जो भी उनका समर्थन कर रहे हैं । मुझे एक मांग पत्र आज मिला है । कल भी मिला था और आज भी मिला है उसमें 8 मांगें रखी गयी हैं । उसमें कोई एम० एल० ए० नहीं है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गैर पार्टी के कार्यकर्ता हैं । कल सुबह भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई । माननीय नेता कांग्रेस को हम समय नहीं दे सके थे । उन्होंने हमारे सामने 8 मांगें रखी । पहली मांग, उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव तत्काल विधान सभा में पारित किया जाय । तो हम इसी सत्र में इसे पास करा देंगे ।

दूसरी मांग, उन्होंने यह रखी कि उत्तराखण्ड के लोगों को उत्तर प्रदेश की सेवाओं में 2 प्रतिशत का पृथक आरक्षण व 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की जाय । हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, इस बात को हम करेंगे । इस संबंध में संविधान में संशोधन करना होगा । उत्तर प्रदेश की सेवाओं में 2 सैकड़ा उनको आरक्षण तथा 10 सैकड़ा ऊंची जातियों के लिये आरक्षण देंगे । तीसरी मांग यह थी कि उत्तराखण्ड में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जायं । तो उत्तराखण्ड के हेडक्वार्टर में इसे लागू किया जायगा । चौथी मांग यह थी कि हिल कैडर को सख्ती से लागू किया जाय । हम उसको सख्ती से लागू करेंगे । पूरे वित्तीय अधिकार डी० एम० को, कमिश्नर को दे दिये गये हैं कि इसे सख्ती से लागू करें । पांचवीं मांग यह थी कि आंशिक शिक्षकों व चिकित्सकों को समायोजित किया जाय, इसमें जो अप्रशिक्षित लोग हैं उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जायगी और फिर उन्हें समायोजित किया जायगा । उत्तराखण्ड में बी० टी० सी० जहां

उपलब्ध न हों तो वहां बी० एड० लोगों को समायोजित किये जाने की मांग भी थी । मण्डल अधिकारियों को मण्डल मुख्यालय में रहने के निर्देश दिये जायें । इस मांग को हम स्वीकार करेंगे । उन्हें निर्देश दे दिये जायेंगे । उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय में एम० एस० सी०, गणित साइंस, बी० एड० में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ायी जायं, यह हम बढ़ा देंगे । पहले से ही इन्जीनियरिंग और मेडिकल में आरक्षण हैं । इसी तरह से उनकी आठ मांगों को हम स्वीकार करते हैं । आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया है उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल 2 बातें कहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी बातें इधर-उधर की कही हैं । लाठी चार्ज, गोली काण्ड जो हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराने की बात नहीं कही है और न ही उसके ऊपर कोई उत्तर दिया है । उत्तरांचल में चल रहे आन्दोलन का ऐसा कोई समाधान जो संतोषजनक हो इसके बारे में कोई ठोस योजना नहीं दी है मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरांचल के बारे में यह सरकार गम्भीर नहीं है वह जानबूझकर वहां पर हिंसा को बढ़ने देना चाहती है इस कारण मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करता है ।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो आग लगी हुई है उत्तराखण्ड पर्वतीय अंचल में उस पर्वतीय आन्दोलन के बारे में मैंने सुझाव दिया था सभी सदस्यों को बुलाने का तो क्या निर्धारित समय यहीं पर सुनिश्चित करेंगे कि कब बुलाकर वार्तालाप शुरु करेंगे ? इसी संदर्भ में माननीय नेता सदन से एक जानकारी चाहता हूं और पहले उन्हें सुझाव दिया था, वह कृपा कर बतायें कि वहां की समस्याओं को देखते हुए सम्पूर्ण कुमांयूं और गढ़वाल मंडल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की कृपा करेंगे और जो सुविधा पिछड़ी जातियों को मिलती है क्या वहीं सुविधा कुमायूं और गढ़वाल मंडल के लोगों को मिलेगी, क्या इसके संबंध में घोषणा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जहां तक विधायकों के मिलने का सवाल है हम आज ही शाम को बता देंगे परसों कोई समय दे देंगे क्योंकि सदस्य भी मौजूद हैं और आन्दोलन भी चल रहा है, बातचीत हो जायेगी । तो हम परसों कोई समय दे देंगे ।

पिछड़े क्षेत्र के बारे में हम बता चुके हैं कि कोई भी आरक्षण होता है तो वह पूरे देश और प्रदेश के आधार पर होता है बिना संविधान संशोधन के हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं । विकास के आधार पर हम प्राथमिकता देंगे उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हम प्राथमिकता देंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सम्पूर्ण क्षेत्र को पिछड़ा घोषित करने की मांग को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये, यह नाइन्साफी है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

मान्यवर, एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि हमारा सदन का त्याग परम्पराओं और नियमों के अनुसार ही होगा इन बेशर्मी के साथ नहीं होगा कि विषय चलता रहे और दल के लोग फिर लौट कर चले आयें।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत जो आज उत्तरांचल के संबंध में चर्चा हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाधान प्रस्तुत किया है उसके आधार पर कोई बात शेष नहीं रह जाती है उसे मैं निरस्त करता हूं और आगे की मद ले रहा हूं।

नियम 301 की सूचनायें

आज दिनांक 23 अगस्त, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें अग्राह्य को छोड़कर स्वीकार की गई।

पहली सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की तीसरी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की, चौथी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की, पांचवीं सूचना डा० राम बाबू हरित की छठी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की और सांतवीं सूचना श्री जिप्पी तिवारी की है यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

बांदा जिले की कर्वी तहसील के ठप्प डाल सिंचाई प्रखण्ड के पम्प हाउसों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

। मान्यवर, बांदा जिला प्रदेश में सिंचाई मानक में सबसे पिछड़ा जनपद है इसमें भी उसकी कर्वी तहसील में सिंचाई सुविधा का नितान्त अभाव रहा। सिंचाई व्यवस्था के लिये क्षेत्र में स्थापित चिल्लीमल, ओरा, लमियारी, लोहदा एवं राजापुर पम्प कैनाल जर्जर हालत में है। यह अपनी क्षमता के एक चौथाई भाग में भी नहीं चल रहे हैं। इनकी या तो स्टार्टर या मोटर जली हैं या पाइप और हाउस पाइप डैमिज हो गये हैं वार्जे टूटी पड़ी हैं। इनमें से सबसे खराब हालत चिल्लीमल राजापुर, लोहदा पम्प हाउस एवं उसके केनालों की है। यह पिछले एक वर्ष से लगभग कुछ माह ही चल पाये हैं। बाकी बन्द रहे हैं। इनकी पम्प केनालों की न तो सफाई की गई है न ही मरम्मत की गई। कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में जाते नहीं हैं। फसलें सूख रही हैं, अभी धान की फसल लग नहीं पायी है। पूरे क्षेत्र के नागरिक आक्रोशित और उत्तेजित हैं। भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इन पम्प हाउसों की व्यवस्था शीघ्र ठीक कराने, एवं इनका चलना निरन्तर सुनिश्चित कराने, लापरवाह कर्मचारियों, अधिकारियों को दंडित कराने की कृपा करें । ।

देवरिया जनपद के राजकीय नलकूपों की मरम्मत विस्तार एवं आपरेटर की उपलब्धता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। मान्यवर, देवरिया जनपद में लगभग 976 राजकीय नलकूप हैं, जिसमें 476 ट्यूबवेलों के गुले एवं नालियां क्षतिग्रस्त हैं, जिससे किसानों के खेतों की सिचाई नहीं हो पा रही है तथा ट्यूबवेलों के उपयोगी न होने से सिंचाई विभाग को राजस्व की काफी क्षति उठानी पड़ रही है । अनेकों ट्यूबवेलों की उपयोगिता नहर के किनारे स्थिति होने तथा तालाबद्ध व्यतीत हो जाने से समाप्त हो गई है । नये ट्यूबवेल लगाने का कार्य धन के अभाव में रुक गया है । ट्यूबवेलों की सिंचाई क्षमता काफी कम हो जाने से किसानों को फसलों की बरबादी उठानी पड़ रही है ।

ट्यूबवेलों की नालियों की मरम्मत, विस्तार, विद्युत की निरन्तर आपूर्ति आपरेटर की उपलब्धता एवं अनेक विभागीय दिक्कतों को दूर कर किसानोपयोगी बनाया जाय । जिससे हरित क्रान्ति के सपने एवं खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता के नारे को साकार किया जा सके ।।

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अनके गांवों में संक्रामक रोगों की महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आन्त्रशोध हैजा, कालरा जैसे संक्रामक रोगों की महामारी भीषण प्रकोप से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उदाहरण स्वरूप बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के पूरे देवीदास पुरवा, ढोढवापुर, सुम्भा, कान्हू जहांनपुर, हाथी का पुरवा, जयचन्दमऊ, शिवनाम फिरोजाबाद, बढ़वल, कोलाहदा, रामनगर, बहसमपुर, मंझार, दौलतपुर, लाही पोखरा, मल्लाहनपुरवा, निदुरी, टिकुरी, हलवारा, गढ़ी बौसिया मऊ, वेध्य गंगापुर,संसारा, जारमऊ, सुकुलपुर, सकतपुर, सालपुर, सीढमऊ, ननहुआ पलौली बाजपुरा, भंड़िया, आदि ग्रामों में लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई इस संक्रामक महामारी की रोकथाम करने उपचार चिकित्सा उपलब्ध कराने में शासन व प्रशासन पर विश्वास जनता का खत्म हो गया है । ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए जनता पर घोर असंतोष व्याप्त हो गया है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं । ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भदोही विकास खण्ड के उगापुर तथा बभनौटी से गिरिया भाला भभहर होते हुए दुरासी डोमैला तक पक्की सड़क बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ –

[मान्यवर, भदोही जनपद के भदोही विकास खण्ड के अन्तर्गत 30 किलोमीटर के क्षेत्र में आवागमन हेतु कोई सम्पर्क मार्ग न होने समय से हास्पीटल न पहुंचने के कारण घोर असुविधा के संबंध में भदोही विकास खण्ड में ठगापुर तथा बभनौटी से गिरिया भाला भभहर होते हुए दुरासी डामैला तक कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है । ताल एरिया होने के कारण आये दिन बीमारी फैलती है किन्तु सड़क के अभाव में लोग समय से अस्पताल नहीं पहुंचते जिससे असामयिक मृत्यु भी हो जाती है । इस सड़क को यदि बना दिया जाये तो जिले के मुख्यालय ज्ञानपुर की दूरी काफी कम हो जायेगी तथा इस क्षेत्र का विकास भी हो जायेगा ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि शासन को उक्त सड़क बनाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद आगरा के गांव अजीता के सदियों पुराने रास्ते पर जेल अधिकारियों द्वारा किये गये अवरोध को शीघ्र हटवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा०-राम बाबू हरित–

[मान्यवर, गांव अजीता में हलवाई की बगीची की तरफ जाने वाले सदियों पुराने रास्ते पर केन्द्रीय जेल अधिकारियों द्वारा 1993 में पैदा कर दिया गया जिससे आगरा के 70 प्रतिशत मार्गों की तरफ जाने से ग्रामवासियों को कष्ट उठाना पड़ रहा है ।

आये दिन केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा जुलाई, 1993 क्षेत्र जनता को मारना पीटना, बेइज्जत करना प्रारम्भ कर दिया है जिसकी समय-समय पर एफ० आई० आर० भी दर्ज होती रही है । पूर्व में 23-1-94 के लिखित ज्ञापन व 4-2-94 को जिलाधिकारी, अपर जिला अधिकारी व तहसील आगरा द्वारा जांच करने उपरान्त 5-2-94 को जेल अधीक्षक व ग्रामीणों के बीच हुए लिखित समझौते के तहत 30'फुट चौड़ा मार्ग पूर्वी दिशा में गाटा संख्या 1099, 100, 1101 एवं 1086 में होकर देना तय हुआ ।

दुर्भाग्य से अवरुद्ध किये गये मार्ग को अभी न खोलने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है । पूर्व की भांति पुनः रास्ता जाम, प्रदर्शन झगड़ा होने का अंदेशा बना हुआ है ।

अतः आपके माध्यम से उपरोक्त समस्या के समाधान की मांग करता हूं ।]

हरदोई जनपद के हरपालपुर से लखनऊ वाया बिलग्राम सांडी, माधोगंज सण्डीला होकर रोडवेज बस चलवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

[हरदोई जनपद के कस्बा हरपालपुर से लखनऊ वाया सांडी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावां गौसगंज संडीला होकर प्राइवेट अथवा परिवहन विभाग की बसें चलाने की व्यवस्था की जाय ताकि इस क्षेत्र की लाखों जनता को आवागमन की सुविधा हो सके । हरपालपुर से बसें चलने से फर्रुखाबाद व शांहजहांपुर की जनता भी लाभान्वित होगी । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परियोजना अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक की चयन सूची में किये गये कथित घपले की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

[मान्यवर, मैं आवश्यक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि परियोजना अधिकारी अनौपचारिक शिक्षा, सिद्धार्थनगर के द्वारा ब्लाक भनवापुर अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी ने सम्पूर्ण नियमों के अनुसार चयन समिति के सामने साक्षात्कार के द्वारा 80 अनुदेशकों को चयन किया, सूची बनी, बैठे हुए समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर जिला परियोजना अधिकारी सिद्धार्थनगर के हस्ताक्षर मौजूद हैं। परन्तु परियोजना अधिकारी सिद्धार्थनगर ने इस समिति की जरा भी परवाह नहीं की, और पुनः दो-दो हजार रुपया लेकर प्रति अनुदेशकों से लेकर नई सूची तैयार करके प्रकाशित भी करवा दी, जिसमें अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी ने मनमाने ढंग से भारी रकम लेकर उन गरीब योग्य बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है और रकम लेकर 93 लोगों की नियुक्ति अवैधानिक रूप से की गई है, जो भ्रष्टाचार का प्रमाण है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल निलम्बित करते हुए उन 80 लोगों की नियुक्ति की जाये जो चयन समिति साक्षात्कार करके, चयन समिति के माध्यम से चुने गये हैं।

अतः सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 अगस्त, 1994 को नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई है।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ल, ई० राम कृष्ण वर्मा की मंत्रिपरिषद् के सदस्यों में सामूहिक उत्तरदायित्व समाप्त होने के बारे में है दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की दिनांक 23 अगस्त, 1994 के अतरांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर अधूरा होने के बारे में, तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल और श्री जगदम्बिका पाल की दिनांक 23 अप्रैल, 1994 को माननीय प्रतिपक्ष द्वारा अध्यक्ष पीठ पर आरोप लगाये जाने के बारे में चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी श्री जगदम्बिका पाल श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री कोकब हमीद की तत्कालीन मंत्री डा० मसूद का बंगला खाली कराये जाने के बारे में है।

इन सब सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

वित्त (व्यापार कर)–अनुभाग–2 की दिनांक 1 मई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 मई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित–

(1) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1338/ग्यारह–9(216)/92_उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–94 दिनांक 30 अप्रैल, 1994 एवं

(2) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1341/ग्यारह–9(217)/92–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–94 दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :–[| यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापी नहीं गयी।

वित्त (व्यापार कर)–अनुभाग–2 की दिनांक 27 मई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 27 मई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित–

(3) विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2-1625/ग्यारह–7(159)/91–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–94 दिनांक 21 मई, 1994 एवं

(4) विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2-1626/ग्यारह–7(159)/91–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–94 दिनांक 21 मई, 1994 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (व्यापार कर)–अनुभाग–2 की दिनांक 1 जून, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 जून, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित–

(1) संख्या व्या० क०–2-1902/ग्यारह–9(6)/94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–94 दिनांक 31 मई, 1994 एवं

(2) विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2-1912/ग्यारह–9(217)/92–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–94 दिनांक 1 जून, 1994 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3 क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (व्यापार कर)–अनुभाग–2 की दिनांक 19 जुलाई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की दिनांक 19 जुलाई, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित–

विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2-2573/ग्यारह–7(42)/86–उ० प्र० अधि०–15–48–

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, अवध कृषि विश्वविद्यालय को डा० राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है, उसके कारण के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आदेश–94, दिनांक 18 जुलाई, 1994 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापारकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या व्या०क० 1627/ग्यारह–9(605)/92–उ०प्र० अधि०–15–48–नियम–1948–संशो०–1994, दिनांक 21 मई, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापारकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या व्या०क०–2–1900/ग्यारह–9(605)/92–उ०प्र० अधि०–15–48–नियम–1948–संशो०–(2)1994, दिनांक 31 मई, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सुख-साधन नियमावली, 1994 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापारकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या व्या०क०–2–1909/ग्यारह–9(382)/93–उ०प्र० अध्या०–8–94–नियम–1994 दिनांक 1जून, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 1994 की बैठक में सदन ने दिनांक 23 अगस्त, 1994 से 26 अगस्त, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

---

† छापी नहीं गई।

अगस्त, 1994

23 मंगलवार

1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(1) उ० प्र० कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 आधा घण्टा ।

(2) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, 1994 आधा घण्टा ।

(3) उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 एक घण्टा ।

2–5.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1994-95 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

24 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के प्रथम अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक, का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (आधा दिन)

2–विधायी कार्य (आधा दिन)

25 गुरुवार

26 शुक्रवार

विधायी कार्य ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश काराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को सदन के पटल पर रखने की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को सदन के पटल पर रखने की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 27-8-94 व 30-8-94 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को सदन के पटल पर रखने की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-8-94 को नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है, इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री सुरेश संगल जी की जिला मुजफ्फरनगर सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डा के प्रकोप से चारा व ईख की फसल नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह वर्मा जी की जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा अन्तर्गत ग्राम बासंरा में उप पुलिस अधीक्षक की सह पर अनुसूचित वर्ग के नवयुवक की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री राम कृष्ण वर्मा, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री अमरनाथ यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा', श्री भैरो प्रसाद मिश्र, श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा जी की प्रदेश में कालरा, आंत्रशोध, वायरल फीवर, ज्वाइन्डिश आदि बीमारियों की महामारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है.....

चौथी सूचना श्री नन्द किशोर मिश्र, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी की थाना खड्डा जनपद पड़रौना के ग्राम सूरज पुर व विन्ध्यांचल पुर से अपहरण कर दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबंध में तथा पांचवी सूचना श्री प्रेम प्रकाश की जनपद सिद्धार्थनगर के थाना डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम मनोहरपुर में निर्बलों की जमीनों पर सरकारी आवासों में माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

मान्यवर, मेरी सूचना सबसे गम्भीर है, सहारनपुर में जेल में दो व्यक्तियों की जहर देकर हत्या कर दी गयी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्रीमती शशिबाला पुण्डीर के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों की इच्छा है कि सारी की सारी सूचनायें स्वीकार हों जायें । नियम विरुद्ध कोई चीज नहीं होगी ।

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

आप [x x x] कर रहे हैं । मेरे जनपद का मामला सबसे गम्भीर मामला है ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को बेच रहे हैं, यह बहुत गम्भीर मामला है, कल आपने इस सूचना को स्वीकार किया था, आज उसको नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष–

समय मिलेगा, तो उसको बाद में देखेंगे ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, मैंने आपको नियम 311 में लिखकर दिया था, उसका आपने कुछ उत्तर दिया, मैं सुन नहीं पाया, कृपया उसको दोहरा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पुनः दोहराये दे रहा हूं ।

जो उत्तरांचल की समस्या नियम 311 में थी, उसको मैंने टेकअप कर लिया था, शेष सूचनायें जो आयी थीं, उनको नियम–56 में मिला दिया, उसमें शलाका थी । एक अन्य सूचना जो सबसे गम्भीर थी, उसको स्वयं अपने विवेक से शामिल कर लिया, प्रदेश में टिड्डी दल के बारे में, क्योंकि यह पूरे प्रदेश की समस्या है । शेष जो सूचनायें थीं, वह लाटरी में थीं, जिसका भाग्य था, वह आ गयीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं किसी सूचना के बारे में नहीं कह रहा हूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो आपने ग्राह्य की या लाटरी निकली, वह आपका विवेक है । मैं दो बातें कहना चाहता हूं । कदाचित आपको स्मरण होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारे प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्यायें हैं । चीनी मिल के अधिग्रहण का मामला है क्या आपने इस पर कल सुनने को कहा है । माननीय मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारी चीनी मिलें औने-पौने दामों में बेची जा रही हैं । मेरी इतनी प्रार्थना है कि चाहे विशेष अधिकार से या विशेष शक्ति से इस पर चर्चा करा दें । आज बहुत दिन बाद इस आदरणीय सदन में बैठ रहे हैं । आपने नियमों के हिसाब से जो किया, उसका मैं समर्थन करता हूं । दो-तीन सूचनायें और भी महत्वपूर्ण हैं । इतना अन्तराल हो जाने के कारण प्रदेश की कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार होना है, उसको सुना जाना है । आपके पीठ से व्यवस्था दी जाती है कि विशेष परिस्थिति में पांच के अलावा भी सुना जायेगा । जैसा कि शशिबाला पुण्डीर जी कह

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रही हैं कि जेल में दो लोगों को विषाक्त भोजन पहुंचा कर हत्या कर दी गयी, चीनी मिल के बारे में आप जानकारी दे दें कि इसको कब सुनेंगे ?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । आपको स्मरण है कि इस सम्मानित सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था पिछले बजट सत्र में कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान जल्दी से जल्दी कर देंगे । 27 अप्रैल को सदन का सत्रावसान हो गया और तीन महीने के बाद यह सत्र चल रहा है । कल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 40 करोड़ रुपया बकाया है । उस 40 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों के भुगतान के संबंध में और प्रदेश की 28 चीनी मिलों की बिक्री के संबंध में चर्चा करायी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न तो है नहीं यह आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमने आपके निर्णय को सदैव शिरोधार्य करते हैं । आज पूरे उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की संघ और चीनी मिलों का निजीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को आज लेने की कृपा करें । हमारे उप नेता भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रश्न को उठाया है । कदाचित संसदीय कार्य मंत्री जी समझते हैं और अपनी नीति को स्पष्ट करें कि हम किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करायेंगे और बट्टे में नहीं डाल देंगे या चीनी मिल के संबंध में राय क्या है आदि ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे बड़ा दुःख इस बात का है कि जो बात विभिन्न दलों के नेताओं के बीच में तय होती है और उससे हटकर आचरण किया जाने लगता है । कल तय यह हुआ था कि उत्तरांचल के ऊपर विचार होगा, कल चीनी मिल पर होगा, अगले दिन कानून व्यवस्था पर होगा, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है तय हो जाने के बाद भी नेताओं की बात कोई नहीं, मानता है ।

(4 बजकर 05 मिनट)

(शोर एवं व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कल चीनी मिलों के बारे में उसी पर चर्चा होगी, परसों कानून और व्यवस्था पर पूरी तरह चर्चा कर लीजियेगा । आज कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपका निर्णय मुझे शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, परसों रखियेगा । आज मैं सबको निरस्त करता हूं, ग्राह्यता पर कोई बोलना नहीं चाहता है । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कार्य-स्थगन पर प्रस्ताव श्री संगल जी खड़े हैं । (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दो-चार शब्द बोल दीजिये । (शोर/व्यवधान)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)– –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप अपना संशोधन रखिये ।

(घोर व्यवधान तथा किसी के न खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे तथा डायस पर चढ़ने की कोशिश की, जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) यह 8 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, खण्ड (3) में, उप खण्ड (ख) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, समिति, यथास्थिति, आढ़तिया, व्यापारी या क्रेता, जिसने लाइसेंस प्राप्त किया हो, के विकल्प पर, किसी कृषि वर्ष के लिए जिसमें उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का कोई कृषि वर्ष, जिसके संबंध में मण्डी शुल्क बकाया हो, भी सम्मिलित है उसके द्वारा देय मण्डी शुल्क की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, स्वीकार कर सकती है ।"

निरसन और अपवाद

2–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

(घोर व्यवधान के मध्य, "तानाशाही नहीं चलेगी" के नारे लगाये गये)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रन यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त अपना संशोधन प्रस्ताव रखें ।

(घोर व्यवधान, किसी के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व खण्ड 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

[घोर व्यवधान श्रीमती शशिबाला पुण्डीर, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्रीमती उर्मिला राजपूत अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगी रोके जाने पर सहायक सुरक्षा (महिला) एवं होमगार्ड की महिला कर्मी से उनकी झड़प हो गयी । बाद में वे कार्यवृत्त टेबुल पर खड़ी होकर नारे लगाने लगीं । सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी ।]

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 8 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2–सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–3-क में,–

(क) उपधारा (3) में,–

(एक) खण्ड (क) में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "एक सौ" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (ग) में शब्द "दो रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (5) के परन्तुक में, शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

4–(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कृष्ण वर्मा, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी और श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल आप अपना प्रस्ताव रखें ।

(किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 9 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) धारा 3, 7 और 8, 18 जून, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 2, 4, 5 और 6, 15 जुलाई, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(5-क) पद 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में है ;

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ख) में, शब्द "फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय" के पश्चात् शब्द "जिसे 18 जून, 1994 से डाक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद कहा जायेगा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 6 में, परन्तुक में, शब्द "अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 12 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकते हैं ।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात रहते हुए, कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय,–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था ;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायगा ।''

धारा 28 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

''(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए प्रवेश के लिए ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधियिम, 1994 की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा ।

(ख) मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षण या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा किन्तु जो 1 जनवरी, 979 के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा) विनियमित होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस खण्ड के अधीन प्रदेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा :

(ग) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दण्डनीय होगा ।

(5-क) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं ।''

नयी धारा 72-घ का बढ़ाया जाना

7-मूल अधिनियम की धारा 72-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :-

अवध विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

''72-घ--18 जून, 1994 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में अवध विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को डाक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायगा ।''

अनुसूची का संशोधन

8-मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या-10 के सामने स्तम्भ-2 में शब्द ''अवध विश्वविद्यालय'' के स्थान पर शब्द ''डाक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद'' रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

9-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1994 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब 4.59 बजे (अपराह्न) तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

(इस समय 4 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 59 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 4 बजकर 59 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण

(4 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या–19 ले रहा हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1994-95 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं ।

(प्रतियां माननीय सदस्यों को वितति की गईं)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-8-94 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से प्रथम सूचना सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, राम कुमार शुक्ल व राम कृष्ण वर्मा जी की है, जो कस्बा सांडी, जनपद हरदोई में अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ प्रदर्शनकारी जितेन्द्र रस्तोगी की पुलिस द्वारा कथित रूप से गोली मारकर हत्या किये जाने तथा अन्तिम दर्शन हेतु शव परिवारजनों को न देने से मर्माहत वाहन द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है।

अगली सूचना श्री ओम प्रकाश खन्ना की, जनपद शाहजहांपुर के खुदागंज थानान्तर्गत एक व्यक्ति को कथित रूप से थानाध्यक्ष द्वारा नदी में डुबोकर मार दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

अगली सूचना श्री रमेशकान्त लवानियां की है–आगरा महानगर अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इसके बाद की अगली सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी जी की है, जो जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद में प्रभारी निरीक्षक का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु है।

अगली सूचना श्री बदन सिंह की होम साइंस इंस्टीट्यूट आगरा में प्रवेश तथा अन्य राज्यों की अध्यनरत छात्राओं के अध्यन में बाधित दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके बाद की सूचना श्री बी० आर० वर्मा की डा० ए० के० सिंह अपर निदेशक (गोधन) पशुपालन विभाग की पदोन्नति में की गयी धांधली के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके बाद की सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री अखिलेश की प्रदेश में दूषित पेयजल, गन्दगी और विषाक्त भोजन से हजारों लोगों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में हैजा फैला हुआ है। यह गंभीर विषय है। इस पर चर्चा या वक्तव्य स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उक्त सूचना वक्तव्य के लिये निर्देशित की जाती है।

अगली सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय "गुरूजी" की इलाहाबाद के प्रस्तावित पुनरीक्षित महायोजना में ढील, लापरवाही एवं नजूल भूखण्ड संख्या ओ० ओ० सिविल स्टेशन इलाहाबाद के 36 परिवारों के भू–उपयोग परिवर्तन कार्यालय से आवासीय, मा० मुख्य मंत्री एवं सचिव, आवास के

आदेश के बावजूद भी विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मैं श्रीमन्, आपसे एक बड़ी विनम्र प्रार्थना के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उस समय नहीं था जब आप नियम–56 की सूचनाएं ग्राह्य कर रहे थे। पांच सूचनाएं स्वीकार भी कर ली थीं लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थिति हुई कि वह सूचनाएं सुनी नहीं जा सकीं। मैं उस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मेरा केवल इतना निवेदन है कि कल जब आप सूचनाएं लें तो उसके अतिरिक्त इन पांच सूचनाओं को भी उसमें जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कल विचार किया जायेगा।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 7 मिनट पर बुधवार, 24 अगस्त, 1994 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

23 अगस्त, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 28 फरवरी, 94 को सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एवं निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागवार संख्या

क्र०सं०	विभाग का नाम	सम्बद्ध अधिकारियों की संख्या	सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1	उत्तराखण्ड विकास विभाग	शून्य	शून्य
2	उद्योग विभाग	शून्य	15
3	वन विभाग	शून्य	शून्य
4	वित्त विभाग	शून्य	शून्य
5	संस्थागत वित्त विभाग	शून्य	19
6	परिवहन विभाग	शून्य	2
7	राजस्व विभाग	शून्य	शून्य
8	संसदीय कार्य विभाग	शून्य	शून्य
9	खेलकूद विभाग	शून्य	शून्य
10	सहकारिता विभाग	शून्य	शून्य
11	दुग्ध विकास विभाग	शून्य	शून्य
12	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	शून्य	शून्य
13	आबकारी विभाग	शून्य	2
14	शिक्षा विभाग	शून्य	शून्य
15	सतर्कता विभाग	शून्य	शून्य
16	सार्वजनिक उद्यम	शून्य	शून्य
17	कार्मिक विभाग	शून्य	शून्य
18	न्याय विभाग	शून्य	शून्य
19	नियुक्ति विभाग	शून्य	शून्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1994 के प्रथम मंगल के लिये निर्धारित श्री लाल मणि प्रसाद द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या–78 के उत्तर का संलग्नक

संवर्ग	कुल सृजित पद	कार्यरत अधिकारी	कार्यरत अधिकारी			
			सामान्य	अनुसूचित	जनजाति	पिछड़े वर्ग
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	554	531	442	89	–	सूचना उपलब्ध नहीं।
उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)						
उच्चतम वेतनमान	18	17	14	3	–	ये पद प्रोन्नति के पद हैं जिनमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं है।
उच्चतर वेतनमान	65	49	40	9	–	
विशेष वेतनमान	123	162	123	38	1	
चयन वेतनमान	148	139	112	26	1	
समयमान वेतनमान	238	238	189	49	–	
साधारण वेतनमान						
सीधी भर्ती	213	117	81	19	1	16
प्रोन्नति	419	384	329	55	–	अनुमन्य नहीं।
योग : साधारण वेतनमान	632	501	410	74		16

भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान में सीधी भर्ती के लिये 50 पदों पर चयन हो गया है जिसमें 9 अनुसूचित जाति तथा 7 पिछड़े वर्ग के हैं। सामान्य तथा आरक्षित वर्ग की 30 रिक्तियों के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है जिसमें 6 अनुसूचित जाति तथा 6 पिछड़े वर्ग के पद आरक्षित हैं।

प्रोन्नतियों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं है। प्रोन्नति कोटे से अनुसूचित जाति को कोटा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं है। न्यायिक सेवा संवर्ग की सूचना माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 128 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

नोटिस

यह कि उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल मजदूर मोर्चा अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा मे० उ० प्र० राज्य कताई मिल कं० लि०, अकबरपुर, फैजाबाद के प्रबन्धकों को 11 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 23-4-90 देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि यदि सेवायोजकों द्वारा पूर्व में सम्पन्न समझौते का पालन नहीं किया जाता है तथा श्रमिकों का उत्पीड़न किया जाता है तो वह आन्दोलन की कार्यवाही करेंगे ।

यह कि श्रमिक संगठन द्वारा दिये गये मांग-पत्र पर पक्षों से समझौता वार्ता कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 2059-60/एफ० आर० आई० आर०/90, दिनांक 8-5-90 द्वारा उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के साथ पठित उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957 की नियमावली के नियम–4 के तहत नोटिस जारी की गई है उक्त के परिप्रेक्ष्य में पक्षों के मध्य समझौता वार्ता की कार्यवाही इस कार्यालय में विचाराधीन है ।

यह कि उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स स्टाफ कर्मचारी एसोसियेशन उ० प्र० द्वारा सेवायोजकों को 9 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 26-4-90 देते हुये यह मांग की गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वह आन्दोलनात्मक कार्यवाही करेंगे । श्रमिक पक्ष द्वारा सूचित किया गया है कि मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों पर समझौता वार्ता की कार्यवाही के दौरान सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार प्रतिष्ठान में पक्षों के मध्य एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया है तथा इसे लेकर पक्षों के मध्य तनाव व गतिरोध बना हुआ है ।

ऐसी स्थिति में पक्षों का ध्यान उ० प्र० औद्योगिक विवाद नियमावली, 1937 के नियम–4 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान है कि समझौता वार्ता के दौरान हड़ताल एवं तालाबन्दी की कार्यवाही निषिद्ध है ।

उपर्युक्त के संबंध में पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिष्ठान में उत्पन्न विवाद के मामले में समझौता वार्ता हेतु उभय पक्ष इस कार्यालय में दिनांक 13-6-90 को 11 बजे उपस्थित हों । इस अवधि में पक्षों को परामर्श दिया जाता है कि वह ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे औद्योगिक शान्ति भंग हो ।

ह०/ के०के० पुरवार

7-6-90

सहायक श्रमायुक्त,

फैजाबाद ।

सं० 119-22/एफ० आर० आई० आर० दिनांक 7-6-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1–मुख्य अधिशासी, मे० उ० प्र० राज्य कताई मिल कं० लि०, अकबरपुर, फैजाबाद ।

2–मंत्री, उ० प्र० राज्य कताई मिल स्टाफ एसोसिएशन, अकबरपुर, फैजाबाद ।

3–मंत्री, कताई मिल, मजदूर यूनियन, अकबरपुर, फैजाबाद ।

4–महामंत्री, उ० प्र० राज्य कताई मिल्स मजदूर मोर्चा, अकबरपुर, फैजाबाद ।

ह०/ के०के० पुरवार

7-6-90

सहायक श्रमायुक्त,

फैजाबाद ।

प्रेषक,

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश

फैजाबाद क्षेत्र फैजाबाद ।

सेवा में,

(1) श्री सुभाष अग्रवाल,

मुख्य अधिशासी एवं आकूपायर,

मे० उ० प्र० राज्य कताई कम्पनी

लि०, अकबरपुर, फैजाबाद ।

(2) श्री आर० पी० वर्मा,

कारखाना प्रबन्धक,

मे० उ० प्र० राज्य कताई कम्पनी

लि०, अकबरपुर, फैजाबाद ।

पत्र संख्या 3721-22/एफ०आर०–आई०आर०/90 दिनांक 13-6-90

कारण बताओ नोटिस

(1) यह कि मे० उ० प्र० राज्य कताई कम्पनी लि० अकबरपुर, फैजाबाद प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक संगठन उ० प्र० राज्य कताई मिल मजदूर मोर्चा अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा दिये गये । सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 23-4-90 तथा उ० प्र० कताई मिल्स स्टाफ कर्मचारी एसोसिएशन अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा दिये गये 9 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 26-4-90 पर उ० प्र० औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 के नियम 4 के अन्तर्गत समझौता वार्ता विचाराधीन है । इसके बावजूद आपके द्वारा अपने पत्र संख्या 90/13, दिनांक 10 जून, 1990 द्वारा प्रतिष्ठान में दिनांक 11-6-90 से तालाबन्दी घोषित कर दी गयी है ।

(2) यह कि प्रतिष्ठान में कार्यरत उपर्युक्त श्रमिक संगठनों द्वारा दिये गये मांग-पत्र पर उ० प्र० औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 के नियम 4 के अन्तर्गत समझौता वार्ता विचाराधीन होने की स्थिति में उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 एस (2) (डी) के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा की गई उपर्युक्त तालाबन्दी अवैधानिक है ।

(3) यह कि तालाबन्दी की सूचना विषयक उपर्युक्त नोटिस दिनांक 10-6-90 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित कथन के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्य नहीं दिये गये हैं, और न ही तालाबन्दी के पूर्व उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 एस (2) के प्राविधानों के तहत तालाबन्दी के लिए नियमानुसार नोटिस दी गयी है ।

(4) यह कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा प्रतिष्ठान में दिनांक 11-6-90 से की गयी तालाबन्दी उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–6 एस एवं 6 टी के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अनुचित एवं अवैधानिक होने के कारण अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर यह स्पष्ट करें कि प्रतिष्ठान में दिनांक 11-6-90 से की गयी अवैधानिक तालाबन्दी के लिए क्यों न आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय ? इस संबंध में निर्धारित अवधि में आपके द्वारा कोई समुचित कारण/तथ्य एवं उत्तर न दिये जाने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही अपनायी जायेगी ।

ह०/चन्द्रमणि लाल मौर्य,

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,

फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 160 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

संख्या : 680/18-12-94-10/90 टी० सी०

प्रेषक,

श्री आलोक सिन्हा,

संयुक्त सचिव,

उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी, 1994

विषय :–नीलामी वर्ष 1993-94 (राजस्व क्षेत्रों के लिये 1-10-93 से 30-9-94 तक और वन क्षेत्रों के लिये 1-10-93 से 30-6-94 तक) की शेष अवधि के लिये बाल मौरम और नदी तल में पाये जाने वाले उप खनिजों के रिक्त क्षेत्रों के परिहार स्वीकृत करने के संबंध में ।

महोदय,

उद्योग (12) अनुभाग

उपर्युक्त विषयक शासन के टैलेक्स संख्या 676/18-12-94-10/90 टी० सी०, दिनांक 15-2-94 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बालू, मौरंग व नदी तल में पाये जाने वाले उप खनिज के बारे में शासन द्वारा नई नीति निर्धारित की जा रही है । जब तक नई नीति निर्धारित नहीं कर दी जाती, उपरोक्त रिक्त उप खनिज क्षेत्र/क्षेत्रों के परिहार के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) उपरोक्त उप खनिजों के जिन क्षेत्रों में खनन की व्यवस्था नीलामी/निविदा/पट्टे आदि के माध्यम से पूर्व में एक निर्धारित अवधि के अन्दर की जा चुकी है, उन क्षेत्रों में निर्धारित अवधि की समाप्ति तक खनन की कार्यवाही उक्त निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत चलती रहेगी ।

(2) शासन के संज्ञान में यह बात लाई गयी है कि बालू, मौरंग व नदी तल में पाये जाने वाले उप खनिजों के कतिपय क्षेत्र/क्षेत्रों का परिहार किन्हीं कारणवश नीलामी/निविदा/पट्टे आदि के माध्यम से संभव नहीं हो पायी है जिसके कारण शासन को राजस्व की हानि हो रही है । अतएव, उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त राजकीय राजस्व एवं सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुये उ० प्र० उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम 68 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर,राज्य सरकार द्वारा अन्तरिम व्यवस्था के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि बालू, मौरंग व नदी तल में पाये जाने वाले ऐसे उप खनिज क्षेत्र/क्षेत्रों को, जिनकी व्यवस्था किन्हीं कारणवश नीलामी/निविदा/पट्टे आदि के माध्यम से नहीं हो पाई है, शासन द्वारा नई नीति निर्धारित किये

जाने तक, उ० प्र० उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत तीन-तीन माह की अवधि के लिए अनुज्ञा-पत्र प्रणाली द्वारा परिहार स्वीकृत किया जाय तथा खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने हेतु निम्नांकित प्रस्तर–3 में निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाय ।

(3) ऐसे उप खनिज क्षेत्र/क्षेत्रों को उक्त नियमावली के नियम 53 के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने से पूर्व एक सप्ताह के सार्वजनिक नोटिस द्वारा उप खनिज क्षेत्र/क्षेत्रों की उपलब्धता की सूचना सर्वसाधारण को दी जाय तथा अनुज्ञा-पत्र हेतु निर्धारित अवधि, जो तीन माह से अधिक नहीं होगी, में निकाले जाने वाले उप खनिज की मात्रा को स्पष्ट करते हुए नियमावली प्रार्थना पत्र एक निश्चित अवधि (एक सप्ताह) के अन्तर्गत आमंत्रित कर लिये जायं । इस प्रकार के समयान्तर्गत सभी वैध प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर उस आवेदक को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाय, जिसके द्वारा अनुज्ञा-पत्र की निर्धारित तीन माह की अवधि में अधिकतम उप खनिज निकालने का आवेदन किया गया हो । ऐसे अधिकतम उप खनिज निकालने वाले आवेदक को अनुज्ञा पत्र पर कार्य करने की अनुमति एक सप्ताह के भीतर प्रपत्र एम०एम० 10 में नियमानुसार अग्रिम रायलटी जमा कर दे, दी जाये ।

(4) कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि क्षेत्रों की उपर्युक्तानुसार व्यवस्था करने से यथासंभव शासन को राजस्व की क्षति न होने पाये ।

(5) यह स्पष्ट करना है कि उपरोक्त अन्तरिम व्यवस्था शासन द्वारा नई नीति निर्धारित किये जाने वाले तक के लिए ही प्रभावी होगी । जैसे ही शासन द्वारा इस विषय में नई नीति घोषित कर दी जायेगी, एतद्द्वारा निर्धारित अन्तरिम व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(6) कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय ।

भवदीय,

ह०/आलोक सिन्हा,

संयुक्त सचिव ।

संख्याः 680(1)/18-12-94-10/90 टी० सी० तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ० प्र० लखनऊ ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र० ।

(3) मुख्य वन संरक्षक, उ० प्र० ।

(4) वन अनुभाग–2, उ० प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इसकी सूचना अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह०/आलोक सिन्हा,

संयुक्त सचिव ।

पी० एस० यू० पी–एल० 214 विधान सभा (334)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।